Saturday, 16 June, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृ०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६० और २८६२ से २८६९ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्थव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव , . .	४५७८–७९
अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७
अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्यां १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४—८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८४—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२
अंक ४४—गुरुवार, १३ जन, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, २१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर	४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४६००—०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन	४६००-०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी	४६०५-०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १६६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०१७-१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१६
१. सीमा शुल्क विधेयक	५०१६
२. विशिष्ट सहायता विधेयक	५०१६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	५०१६—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१६—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५६—६४

विषय	पृष्ठ
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संख्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वरा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय . . .	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५६–६० . . .	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५६–६० . .	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १६६२ . . .	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव . . .	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—६६
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा . . .	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०६
अंक ४८—मंगलवार, १६ जून, १६६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५५१ और १५५२ .	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १६क . .	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२ . .	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४६७, ३५०० और ३५०१.	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना .	५३७८—७६
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १६६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६२ . . .	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १६६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . .	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . .	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . .	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० .	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ .	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार .	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . .	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . .	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . . ५५८८—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६९० ३६९२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ ग . ५५९४—५६५२

दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि ५६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५६५२—५४

(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . . ५६५२—५३

(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ . ५६५३—५४

जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न ५६५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५६५४—५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . . ५६५७

सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . . ५६५७

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . . ५६५८—६४

भेषज (संशोधन) विधेयक ५६६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६६५—७३

खण्ड २ से २२ तथा १ . . . . . ५६६४—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५६६४—७७

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५६७८—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५६८१—९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३ . . . . ५६९३—५७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . . ५७२०—२३

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६८
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [**श्री अ० त्रि० शर्मा** का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [**श्री इन्द्रजीत गुप्त** का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [**श्री अ० क० गोपालन का**]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [**श्री वी० चं० शर्मा का**]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [**श्री दी० चं० शर्मा** का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का**]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [**श्री हेम राज का**] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**]	५७८१–८२

विषय	पृष्ठ
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] . .	५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . .	५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया .	५७८२–८४
विचार करने का विचार	
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . .	५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्ध्या का] .	५७९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	५७९४–९९
नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५७९९–५८०२
विदाई भाषण .	५८०२
दैनिक संक्षेपिका . .	५८०३—१३, १—१०
पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शनिवार, १६ जून, १९६२

२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एयर इंडिया के सुपर कांस्टेलेशन विमान

†*१४८९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के सुपर कांस्टेलेशन विमानों का पूरा बेड़ा बेचने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी हवाई जहाज उन्हें दे दिये गये हैं ; और

(ग) प्रतिरक्षा मंत्रालय से उस की कीमत की कितनी रकम प्राप्त हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग) प्रतिरक्षा मंत्रालय एयर इंडिया कारपोरेशन से ९ सुपर कान्स्टेलेशन विमान और उनके पुर्जे लेने के लिये सहमत हो गया है । इनमें से ८ विमान मंत्रालय को प्राप्त हो गये हैं और नौवां विमान शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा । एयर इंडिया कारपोरेशन को किये जाने वाले भुगतान तथा इस सम्बन्ध में किये जाने वाले करार के ब्योरे पर बातचीत हो रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : देश में विमान परिवहन बढ़ गया है तो सरकार ये विमान प्रतिरक्षा मंत्रालय को क्यों बेच रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस प्रश्न पर सभा में पहले चर्चा हुई थी और मैंने सभा को सूचित किया था कि चूंकि अब अधिक अच्छे विमान बनने लगे हैं जो परिवहन के लिये अधिक उपयुक्त हैं, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन इन विमानों को देश में विभिन्न मार्गों पर चलाना उचित या उपयुक्त नहीं समझता ।

†मूल अंग्रेजी में

1245(Ai) LSD—1

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन विमानों का वास्तविक मूल्य क्या है और क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने वह दे दिया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : पुर्जों सहित इन विमानों का मूल्य लगभग ५.८० करोड़ रुपये है। प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा कितना मूल्य दिया जायेगा यह अभी तय होना है।

†**श्री महेश्वर नायक** : मंत्री महोदय ने बताया कि ये विमान उनके मंत्रालय के काम के नहीं रहे तो प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उन्हें किस विशिष्ट प्रयोजन के लिये काम में लाया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

†**श्री हेडा** : चूंकि ये विमान बेचे जा रहे हैं, सरकार कम खर्च वाले कौन से विमान खरीदने जा रही है और उनका मूल्य क्या है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन "कैरावेल" विमान खरीदने का इरादा रखता है जो भारत की सेवाओं के लिये अर्थात् ७०० से लेकर १००० मील तक की उड़ान के लिये अत्यन्त उपयुक्त समझे जाते हैं। ये विमान आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद, आरामदेह और तेज़ समझे जाते हैं।

†**श्री अ० व० राघवन** : करार के अनुसार नौ विमान अप्रैल-मई तक दिये जाने चाहियें थे। नौवां विमान अब तक क्यों नहीं दिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : विमान देने के बारे में दोनों पक्ष इस कार्यक्रम पर सहमत हुए थे।

देश में नर्सों की कमी

†*१४९०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नर्सों की भारी कमी दूर करने के लिये अल्पकालीन सहायक पाठ्यक्रम चालू करने की कोई योजना सरकार के सामने है ; और

(ख) क्या काफी बड़ी संख्या में पुरुष नर्सों को भी यह व्यवसाय चुनने के लिये प्रोत्साहन देने की कोई योजना सरकार के समने है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है कि हमारे यहां नर्सों की कितनी कमी है

†**डा० द० स० राजू** : सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हो जाने पर हमें लगभग ४०,००० नर्सों और दाइयों की आवश्यकता होगी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस अल्पकालीन पाठ्यक्रम में पूरी अवधि के पाठ्यक्रम की सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है ?

†**डा० द० स० राजू** : जी, नहीं। इस अल्पकालीन पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष होती है जिसमें ९ महीने नर्सिंग और १५ महीने दाई के काम की शिक्षा दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सार हरवानी :** देश में नर्सों की कमी को देखते हुए क्या सरकार के पास ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण का कोई प्रस्ताव है ताकि वे प्रशिक्षित नर्सों की अनुपस्थिति में नर्सों का काम कर सकें ?

†**डा० द० स० राजू** : उन्हें राज सरकारों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : माननीय मंत्री ने बताया कि नर्सों को नौ महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा तो क्या नर्सों के लिये नौ महीने का पाठ्यक्रम पर्याप्त समझा जा सकता है ?

†**डा० द० व० राजू** : इस प्रयोजन के लिये यह पाठ्यक्रम पर्याप्त समझा जा सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि नर्स बनने के लिए युवतियों को आने में हिचक क्यों होती है और क्या सरकार उस कारण को दूर करने का यत्न कर रही है ।

†**डा० द० स० राजू :** उन्हें निवास के लिये छात्रावास आदि सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं । अब छात्रावास बनाये जा रहे हैं और संभव है कि अधिक नर्सें इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में नर्सों की भर्ती योग्यता को छोड़ अन्य बातों के आधार पर की गई है और यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष नर्सिंग सेवा के लिये एक अखिल-भारतीय नर्सिंग पदाली (कैडर) बनाने का कोई प्रस्ताव है ? क्या सरकार इस व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को लाने के लिये कोई प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रही है

†**डा० द० स० राजू :** जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है हमारी जानकारी में तो इस प्रकार का विभेद नहीं किया जाता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ?

†**डा० द० स० राजू :** उन्हें निवास, भोजन आदि सुविधायें बढ़ाकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या एक अखिल भारतीय नर्सिंग कैडर बनाने का प्रस्ताव है ?

†**डा० द० स० राजू** : यह तो कार्यवाही के लिय सुझाव है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह सुझाव नहीं है । माननीय मंत्री बतायें कि प्रस्ताव है या नहीं ।

डा० द० स० राजू : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या किसी राज्य सरकारों ने नर्सों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने की कोई योजना भेजी है ?

†**डा० द० स० राजू** : नर्सों को विभिन्न श्रेणियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । नर्सों के प्रशिक्षण का पूरा पाठ्यक्रम ३ $^{1}/_{2}$ वष का होता है ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : मैं ने यह पूछा था कि क्या किसी राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की कोई योजना भेज कर केन्द्र से सहायता मांगी है ?

†**डा० द० स० राजू** : उनके यहां बहुत सी योजनायें हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या किसी राज्य सरकार ने नर्सों के प्रशिक्षण की कोई योजना केन्द्र को भेजी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : राज्य सरकारों की बहुत सी प्रशिक्षण योजनायें होती हैं जिन्हें वे केंद्रीय मंत्रालय को सूचित किये बगैर कार्यान्वित कर सकती हैं। जब कभी कोई नया प्रस्ताव होता है तो उस का निर्देश केन्द्रीय मंत्रालय को किया जाता है। मुझे ऐसी किसी योजना की फिलहाल जानकारी नहीं है।

†**श्री वारियर** : क्या कोई प्रशिक्षित नर्स अधिक वेतन पाने के लोभ में विदेश जा रही हैं क्योंकि उन्हें यहां पदोन्नति जैसा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता ?

†**डा० सुशीला नायर** : कई नर्सों को विदेश भेजा जाता है किन्तु उस के पीछे यह उद्देश्य है या नहीं यह मैं नहीं कह सकती। उन्हें विदेशों में अधिक योग्यता प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है ताकि वे अपना काम अधिक अच्छे ग ढ़ंसे कर सकें।

†**श्री नाथ पाई** : नर्सों को प्रशिक्षण की अधिक सुविधायें देने के अलावा क्या सरकार के समक्ष नर्सों के सामाजिक स्तर के उन्नयन और उन्हें अधिक आकर्षक वेतन देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० द० स० राजू** : जी, हां। हम उन्हें अधिक सुविधायें दे कर उन के सामाजिक स्तर को उन्नत कर रहे हैं।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : नर्सों की कमी को देखते हुए क्या सरकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भर्ती की न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल करने के बारे में सोच रही है ?

†**डा० द० स० राजू** : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री दी० चं० शर्मा।

'ट्रैफिक डेबिट्स' के कारण कर्मचारियों से वसूली

†*१४९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'ट्रैफिक डेबिट्स' के कारण रेलवे कर्मचारियों से बड़ी बड़ी रकमें वसूल की जा रही हैं ;

(ख) किन-किन विभिन्न मदों के लिये ये वसूलियां की जा रही हैं ; और

(ग) ये वसूलियां बन्द करने के लिये क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४१]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ये डेबिट्स' कितने वर्षों के हैं ? वे कितनी अवधि में वसूल की जायेंगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेबिट्स का पता हमें कितनी जल्दी लगता है। किन्तु आम तौर पर यह अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह रकम किस प्रकार वसूल की जाती है ? क्या वह कर्मचारियों के वेतन से वसूल की जाती है या किसी अन्य तरीके से ?

मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनावज खां** : वह कर्मचारियों के वेतन में से काट ली जा सकती है या उस का नकद भुगतान हो सकता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार जाली नोट व सिक्के लेने में कर्मचारी से अनजाने में या किसी अन्य कारण से हुई भूल के सम्बंध में कोई रियायत बरतती है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां । उचित रियायत बरती जाती है और प्रत्येक कर्मचारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार ने इस प्रश्न के दूसरे पहलू पर विचार किया है कि कर्मचारी अधिक सावधानी के विचार से यात्रियों से अक्सर ज्यादह धन ले लेते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह बिल्कुल गैर-कानूनी है और सरकार इसे अनुमति नहीं देती ।

आम की कुरचना के बारे में अनुसंधान[1]

†*१४९३. **श्री मे० के० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने आम की कुरचना के बारे में अनुसंधान की किसी योजना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां । परिषद् ने १ अप्रैल, १९६२ से आम की कुरचना के बारे में जांच करने के लिये एक योजना मंजूर की है ताकि इस रोग के कारण जाने जा सकें और नियंत्रण के उचित उपाय खोज निकाल जायें । चूंकि योजना का कार्य अप्रैल में शुरू हुआ है इसलिये उस के परिणामों के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : इस बात को देखते हुए कि आम की फसल को नष्ट करने वाले रोगों में यह रोग सब से पुराना है और वह बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है क्या सरकार अनुसंधानकार्य शीघ्रता से कराने के लिये कदम उठायेगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : अनुसंधान को शीघ्र पूरा करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये जायेंगे ।

†**श्री बारियर** : इस रचना के फलस्वरूप आम की फसल को प्रति वर्ष कितनी हानि होती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : अभी हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि आमों की कुरचना के फलस्वरूप आम पैदा करने वालों को कितनी हानि होती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Research on Mango Malformation.

†**डा० राम सुभग सिंह** : कोई ठीक अनुमान नहीं लगाया गया हैं कि इस का अनुमान लगाने की कोशिश की जायेगी ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या सरकार को जानकारी है कि किसी राज्य ने इसी प्रकार की जांच आरम्भ की है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां । पहले इस तरह की जांच बम्बई और मद्रास सरकार ने कराई थी । यह रोग पुराना है और इस के बारे में १९१० से जांच की जा रही है । किन्तु अब तक इस के निवारण का सही उपाय नहीं जाना जा सका है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या आमों की कुरंचना के नमूने देश भर से और विशेष कर गुरदासपुर जैसे जिलों से इकट्ठे किये जायेंगे ताकि रोग का कोई इलाज ढूंढ निकाला जा सके ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस रोग का आक्रमण आमों के वृक्षों पर बौर आने के समय होता है इसलिये आमों का कोई प्रदर्शन आयोजित करना संभव नहीं है ।

†**श्री तीरूमल राव** : ये अनुसन्धान योजनायें कब से चल रही हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसाकि मैं ने बताया है, एक अनुसन्धान कार्यकर्ता मिस्टर बनर्स और उन के साथियो ने १९१० में बम्बई से इस रोग के बारे में सूचना दी थी और बताया था कि यह रोग न तो फफूंद से, न कीड़ों से होता है और उस का फैलाव आम के तने में कीटाणुओं के प्रवेश से संभव है । अन्य अनुसन्धान कार्यकर्ताओं—श्री सिंह और चक्रवर्ती—ने भी इस सम्बन्ध में अनुसंधान किये हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस रोग के लक्षण क्या हैं ?

†**डा० राम० सुभग सिंह** : यह रोग एक प्रकार की दीमक से होता है ।

†**श्री तिरूमल राव** : क्या सरकार ने अपनी अनुसंधान प्रयोगशालाओं और केन्द्रों में अनुसन्धान की कोई योजना शुरू की हैं और यदि हां, तो क्या सरकार स्वयं यह अनुसन्धान कार्य कर रही है अथवा उसे गैर-सरकारी वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया गया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसाकि मैं बता चुका हूं, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने एक संस्था स्थापित की हैं यह अनुसन्धान सहारनपुर स्थित उद्यानविद्या संस्था में किया जा रहा हैं और वह पांच साल तक चलेगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : कुछ राज्यों में अनुसन्धान किये गये थे तो क्या उन्होंने इस रोग के कारणों पर कोई प्रकाश डाला हैं ?

†**डा० रामसुभग सिंह** : सच तो यह हैं कि वे ठीक ठीक कारणों का पता नहीं लगा सके । जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित हैं, यह रोग आम के पेड़ के बौर के फूलों पर आक्रमण करता है और पेड़ के बढने के स्थान पर कई टहनियां निकल आती हैं । अनुसन्धान कार्यकर्ता इस के ठीक-ठीक कारणों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक प्रश्न चर्चा का रूप धारण कर लेता हैं । हाउस आफ कामन्स में एक प्रश्न पर आम तौर पर दो या तीन पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं ।

अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी पर्यटकों के लिये शराब के परमिट

†*१४९४. **श्री विशन चन्द्र सेठ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार विदेशी पर्यटकों को शराब के अखिल-भारतीय परमिट देने की एक नई योजना पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना आरम्भ करने के क्या कारण है और उसके कब लागू किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस योजना को लाग करने के लिये संघ सरकार की वर्तमान मद्य-निषेध नीति में विधान द्वारा परिवर्तन करना आवश्यक होगा;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सभी राज्यों से परामर्श कर लिया गया हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(च) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया हैं; और

(छ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्होंने अपने विरोध के क्या कारण दिये है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी पर्यटकों के लिये औपचारिकताओं को सरल बनाने के उद्देश्य से जो योजना लागू की जा रही है उसके राज्य सरकारों द्वारा इस वर्ष के अन्त तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ।

(ग) जी, नहीं । मद्यनिषेध के बारे में कोई केन्द्रीय विधान नहीं हैं । किन्तु मद्यनिषेध की वर्तमान नीति के दायरे में रहते हुए, राज्य सरकारों को मद्यनिषेध सम्बन्धी अपने-अपने नियमों अथवा कानूनों में संभवतः कुछ परिवर्तन करना पड़े ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) जी नहीं ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विशनचन्द्र सेठ : यह जो प्रोहिबिशन की स्कीम हैं जोकि सभी स्टेट्स में चल रही हैं, उसके रहते वे कौन से कारण हैं जिन को दृष्टि में रखते हुए आपने यह छूट विदेशी पर्यटकों को देने का विचार किया है ?

श्री राज बहादुर : हमारा अभिप्राय यह है कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और जो उनकी आवश्यकतायें हैं, वे पूरी की जा सकें । जहां तक मदिरा का सम्बन्ध हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो परमिट उनको दिया जाता है उसके वास्ते उनको जगह जगह जाना पड़ता था और असुविधा होती थी । इस वास्ते आल इंडिया लिकर परमिट का सवाल पेश हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विशन चन्द्र सेठ : बम्बई वगैरह में आपकी जो मद्यनिषेध की स्कीम हैं वह कितनी असफल चल रही है, इसकी तरफ भी गवर्नमेंट ने क्या कोई ध्यान दिया है ? बजाय इसके कि आदमी शराब भी पीये और चोरी भी साथ साथ करे . . .

अध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरा सवाल हो गया ।

†**श्री बड़े** : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भारत में बनी विदेशी शराब और आयात की हुई शराब में विभेद किया है और आयात की हुई शराब पर कोई नियंत्रण या सीमा नहीं हैं किन्तु भारत में बनी शराब के सम्बन्ध में ६ बोतल की सीमा निर्धारित की गई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रश्न की भी कोई सीमा नहीं होती ?

श्री बड़े : इसके बारे में भी जिक्र हुआ हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक शराब की विभिन्न किस्मों का और उनके संभाव्य प्रभाव का सम्बध हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं हैं क्योंकि यह कार्यराज्य सरकार का है । यह प्रश्न विदेशी पर्यटकों को शराब के अखिल-भारतीय परमिट देने की योजना के बार में है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सरकार ने जो मद्यनिषेध योजना स्वीकार की हैं, आर्थिक दृष्टि से हानिकर होते हुए भी इस वास्ते स्वीकार की हैं कि स्वतंत्रता आन्दोलन में हम ने इस बात की घोषणा की थी । जिस बात को हम सिद्धान्ततः स्वीकार कर चुके हैं, उसके बाहर जा कर मैं जानना चाहता हूं कि क्यों पर्यटकों को सुविधा दी जाती हैं ?

श्री राज बहादुर माननीय सदस्य ने उस बात को सुना होगा जो बात मैं ने अपने उत्तर में कही हैं । मैं ने कहा है कि जो हमारी मद्य निषेध सम्बन्धी नीति है और जो नियम और कानून हैं, उनके अन्तर्गत विदेशी पर्यटकों को सुविधा देनी हैं, और उसके लिए हम यह कार्रवाई करना चाहते हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह योजना कब से सरकार के विचाराधीन हैं और किन अफसरों को शराब के अखिल-भारतीय परमिट देने का अधिकार होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं पिछले वर्ष हुई एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके फल-स्वरूप प्रख्यात फिल्म अभिनेता मिस्टर फ्रेडरिक मार्च और एक अन्य प्रख्यात चिकित्सक को काफी दिक्कत हुई ती और इसलिये हमें अखिल-भारतीय परमिट की योजना के बार में सोचना पड़ा । इस योजना को सभी राज्यों ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और उन्होंने अपने नियमों अथवा कानूनों में संशोधन करना स्वीकार किया है ।

जहां तक ये परमिट देने का सम्बन्ध हैं हमारा इरादा यह हैं कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावास के जो अधिकारी वीसा जारी करते है उन हैं ये परमिट वीसा के साथ देने का अधिकार प्रदान किया जाये । इनके अलावा बम्बई, कलकत्ता, मदरास और दिल्ली स्थित हवाई पर्यटन निदेशक भी इस प्रकार के परमिट दे सकेंगे ।

श्री त्यागी : इस बात का क्या इन्तजाम किया गया हैं कि जो लिकर परमिट्स होंगी उन को ले कर टूरिस्ट्स यहां हिन्दुस्तानियों को न दे दें ? क्या इस की कोई हिफाजत की गई हैं ?

श्री राज बहादुर : जो साधारण नियम और कानून लागू करने की हिफाजत होती हैं और जो कायदे होते है, उन क मुताबिक कम्म होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० सिं० सहगल** : क्या सरकार इस देश में आने वाले विदेशियों के लिये बढ़िया किस्म की शराब बनाने का इरादा रखती है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, कल वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान शराब पीने को जुआ और वेश्या व्यवसाय की बुराई के साथ गिनाया था। क्या माननीय मंत्री ने अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की है या यह राय सरकार की है और यदि हां, तो क्या यह बात सभी को, जिन में विदेशी शामिल हैं, लागू होती हैं या केवल भारतीयों को ?

†**श्री राज बहादुर** : श्रीमन्, श्री कामत ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किये हैं और उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि उसे हमारे निदेशक तत्वों में एक अनुच्छेद के रूप में सम्मिलित किया गया हैं। माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा हो वह उस अनुच्छेद के अनुरूप ही होगा।

†**श्रीहरि विष्णु कामत** : जो, नहीं ।

†**श्री नाथ पाई** : इस प्रकार की असंगति की ओर ध्यान दिलाना माननीय सदस्य का कर्तव्य था ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा प्रश्न . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न ऐसा नहीं है कि उसका उत्तर दिया जाये । अगला प्रश्न ।

दिल्ली आयुर्वेदिक कालेज

†*१४९५. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा राज्य बोर्ड तथा निकाय परिषद् [1] ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह दिल्ली आयुर्वेदिक कालेज को अपने नियंत्रण में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निश्चय किया हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन हैं ।

श्री विभुति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली आयुर्वेदिक कालेज को सरकार अपने हाथ में ले यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : उन्होंने यह संकल्प हाल में पारित किया हैं और सरकार को भेजा है । इस सम्बन्ध में विचार कर कब तक निर्णय कर लिया जायेगा यह बताना सम्भव नहीं है । मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र: क्या यह बात सही है कि जब सरकार इस कालेज को अपने हाथ में ले लेगी तो इस में लोगों को शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० शुशीला नायर) : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि शिक्षा दीक्षा का इन्तजाम इस वक्त भी वहां पर हैं ; आप को शायद मालूम होगा कि सन् १९२१ में महात्मा गांधी ने इस का उद्घाटनकिया था, और तब से यह कालेज चलता रहा। बीच में जो इसकी

---

†मूल अंग्रेजी में

१. Council of State Boards and Faclties ofI ndian Medihire.

कमेटी थी उस ने बहुत मिसमैनेज किया इस लिये वह रिसीवर के पास चला गया । तब दिल्ली सरकार ने सन् १९५२ में कानून पास करके उसे नये बोर्ड के सुपुर्द किया । अब यह सिफारिश आई हैं कि उस को भारत सरकार ले ले और उस सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : यदि सरकार इस कालेज को ले लेती है तो क्या उस कालेज के पाठ्यक्रम में चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा के विषयों का समावेश किया जायेगा क्योंकि अब तक यह समझा जाता रहा है कि आयुर्वेदिक प्रणाली में इन शाखाओं का अभाव हैं ?

†**डा० द० स० राजू** : ये सब विषय शल्य-चिकित्सा और दाई का काम———अब भी पढ़ाये जाते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आयुर्वेद के बारे में सरकार की नीति क्या है ? क्या सरकार की राय में में वह एलोथ्थी जैसी वैज्ञानिक प्रणाली है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आयुर्वेद में अनुसंधान और आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं पूछा जा सकता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि चूंकि तृतीय पंच वर्षीय योजना में आयुर्वेद की उन्नति करने के लिये धनराशि नियत की गई है इस लिये इस दिल्ली आयुर्वेदिक कालेज को अपने हाथों में लेने के पश्चात् सरकार उस को इतने ऊंचे स्तर पर ले जायेगी जिस से कि उस को आयुर्वेद विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक सजेशन है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या दिल्ली कालेज आयुर्वद भैषज-संहिता बना रहा है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : दिल्ली कालेज नहीं वरन् भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित एक विशेष समिति आयुर्वेदिक और यूनानी भैषज-संहिता तैयार कर रही है ।

स्वचालित ट्रंक काल की सुविधा वाले स्थान

†*१४९६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से स्थान इस समय स्वचालित ट्रंक काल प्रणाली के अन्तर्गत हैं; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कौन-कौन से अन्य स्थान इस प्रणाली के अन्तर्गत आ जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) लखनऊ–कानपुर ।

(ख) निम्नलिखित स्थानों क बीच स्वचालित ट्रंक की सुविधा देने के लिये योजनायें मंजूर की गयीं :—

(१) नई दिल्ली–आगरा

(२) नई दिल्ली–कानपुर

---

†मूल अंग्रजी में

(३) नई दिल्ली–लखनऊ

(४) आगरा–कानपुर

(५) आगरा–लखनऊ

(६) कानपुर–वाराणसी

अन्य स्थानों में भी यह सुविधा प्रदान करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : स्वचालित ट्रंक काल की इस प्रणाली के फलस्वरूप ट्रंक काल मिलने में अब तक जो विलम्ब होता था वह किस हद तक कम हुआ है ?

†**श्री भगवती** : यह काल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है इसलिये अधिक विलम्ब न होगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस बात को देखते हुए कि लाइनें बहुत व्यस्त रहने के कारण ट्रंक काल मिलने में बहुत विलम्ब होता है, क्या सरकार स्वचालित ट्रंक काल प्रणाली के लिये नई लाइनों की व्यवस्था करने जा रही है ?

†**श्री भगवती** : इस नई प्रणाली के लिये कई विश्वसनीय ट्रंक सर्किट आवश्यक होते हैं जिनकी व्यवस्था कर दी गयी है । इसलिये अब ये कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होंगी ।

†**श्री दो० चं० शर्मा** : स्वचालित ट्रंक प्रणाली की यह सुविधा उत्तर प्रदेश के नगरों में बहुतायत से क्यों दी गयी है ?

†**श्री भगवती** : यह सुविधा देश के अन्य भागों में भी दी जायेगी । दिल्ली–आगरा–कलकत्ता और आगरा–बम्बई के बीच "को-एक्शियल" तार बिछाने की योजनायें मंजूर की जा चुकी हैं । दिल्ली–आगरा–कलकत्ता सेक्शन में यह काम लगभग पूरा हो चुका है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली से पटना की जो ट्रंक लाइन है वह बराबर खराब रहती है ?

अध्यक्ष महोदय : बात तो उस के फैलाने की है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि एक ओर जहाँ इन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है वहाँ दूसरी ओर वर्तमान सेवाओं का स्तर बराबर गिरता जा रहा है ?

†**श्री भगवती** : यह इसलिये होता है कि माँग बढ़ती जाती है और ट्रंक काल की संख्या में वृद्धि हो रही है । इसलिये स्वचालित ट्रंक प्रणाली लागू की गई है । मेरा ख्याल है कि जब देश भर में को-एक्शियल केबल लग जायेंगे तब इस प्रकार की कठिनाइयाँ बहुत कम हो जायेंगी ।

†**श्री नाथ पाई** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ वर्तमान सेवाओं का स्तर गिरता जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उपमंत्री महोदय ने बताया कि जब देश भर में को-एक्शियल केबल लग जायेंगे तो ये कठिनाइयाँ घट जायेंगी और स्थिति में सुधार होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार इस प्रणाली को अन्य शहरों में लागू करने से पहले एक्सचेंज के जरिये टेलीफोन की व्यवस्था को बदलकर उसके स्थान पर स्वचालित एक्सचेंज की व्यवस्था करने का इरादा रखती है क्योंकि कई शहरों में ये स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भगवती :** मैं माननीय सदस्य की बात को समझ नहीं सका ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मूल प्रश्न सीधी ट्रंक लाइनों के बारे में है । मैं जानना चाहता हूं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित होने चाहियें । माननीय सदस्य बिलकुल अलग प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या इस तरह की शिकायत मिली कि ये सीधी ट्रंक लाइनें अक्सर देश भर में खराब रहती हैं और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जाँच वगैरा की है किये शिकायतें कहाँ तक सही हैं ?

†**श्री भगवती :** माननीय सदस्य ओवरहेड लाइनों का उल्लेख कर रहे जब कि यह प्रश्न स्वचालित ट्रंक काल के बारे में ।

श्री अचल सिंह : क्या आटोमैटिक और आर्डिनरी ट्रंक काल्स के चार्जेज एक से हैं या उन में कोई फर्क है ?

†**श्री भगवती :** शुल्क में कोई फर्क नहीं है ।

पानी के शुल्क की दरों का सुव्यवस्था करण

†*१४९८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संभरण योजनाओं के लिये सहायता देने से पूर्व पानी के शुल्क की दरों का सुव्यवस्थाकरण करने के लिये कोई प्रयत्न किया है;

(ख) एक लाख से अधिक जन संख्या वाले विविध नगरों में क्या दरें हैं; और

(ग) इन में से कितनी योजनायें स्वावलम्बी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री** (डा० द० स० राजू) : (क) आवश्यक जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई प्रत्येक योजना के इंजीनियरिंग प्रतिवेदन में पूंजीगत तथा संचारण व्यय तथा उस के पुनः भुगतान के साधन आदि के वित्तीय मामलों पर चर्चा भी शामिल करें ।

विभिन्न राज्यों में वित्तीय व्यवस्था समान न होने के कारण पानी की दरों का वैज्ञानिक व्यवस्थीकरण सम्भव नहीं है क्योंकि तब इन योजनाओं को धन इन योजनाओं के द्वारा नहीं मिल पायेगा ।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेग ।

---

†पल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण में यह बताया गया है कि :

'विभिन्न राज्यों में वित्तीय व्यवस्था समान न होने के कारण पानी की दरों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण संभव नहीं है क्योंकि तब इन योजनाओं को धन इन योजनाओं के द्वारा नहीं मिल पायेगा ।'

क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई मार्गदर्शन बनाया है तथा यदि हां, तो क्या राज्य को इसकी सूचना दी गई है तथा उन की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**डा० द० स० राजू** : केन्द्रीय सरकार ने वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण की सराहना की है और इसको राज्य सरकारों के सामने भी प्रस्तुत किया जा रहा है । उनसे अनुरोध किया गया है कि उपभोक्ताओं पर उत्पादन तथा वितरण की दर के आधार पर पानी का पैसा लेना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में राज्य सरकारों को सरकार सहायता दे रही है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकारें वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये फार्मूले को नहीं मानती हैं तो सरकार किस आधार पर सहायता दे रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : कई बार यहां पर जिन सिद्धान्तों पर चर्चा हो चुकी है उन्हीं सिद्धान्तों पर सहायता दी जाती है । नगरीय जल संभरण ५० प्रतिशत ऋण तथा ग्राम्य जल संभरण.....

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस पर यहां पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई है ।

†**डा० सुशीला नायर** : नगरीय जल संभरण पर राज्य सरकारें पानी का भार लगा रही हैं । यह समान नहीं है । ग्राम्य जल संभरण पर भार लगाने के प्रश्न को अभी कहीं पर भी नहीं उठाया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि समान प्रक्रिया नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों की पानी की दरों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण करने के लिये सरकार क्या तरीके अपना रही है ?

†**डा० सुशीला नायर** : राज्य सरकारें विभिन्न स्थानों पर अपनी सुविधानुसार पानी का व्यय लगाने का प्रयत्न कर रही हैं । जहां पर व्यय बिल्कुल नहीं लिया जाता है वहां पर उन का विचार है कि शुल्क बहुत थोड़ा होना चाहिये । दूसरे स्थानों पर यह कुछ अधिक होगा यह मामला स्थानीय स्वायत्त शासन के मंत्रियों की केन्द्रीय परिषद् में पुनः आ रहा है । हम वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण करने का तथा समान ढांचा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु अब तक ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री का उत्तर स्पष्ट नहीं है ।

†**श्री दाजी** : मंत्री महोदय ने समानता न होने के कारणों की सूची बना ली है । क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई सिद्धान्त बनाया है कि जिन के आधार पर शुल्क लिया जाये ?

†**डा० सुशीला नायर** : पूंजीगत व्यय, जनता के शुल्क देने की क्षमता, आवर्त्तक व्यय आदि सिद्धान्त हैं । परन्तु दिल्ली नगरपालिका समेत कोई भी नगरपालिका पानी के व्यय से कुल व्यय वसूल नहीं कर सकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मान सिंह पू० पटेल** : क्या पानी के व्यय की वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण स्थानीय स्वशासन के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : भाग (ख) और (ग) एक लाख की जनसंख्या से अधिक के नगरों के बारे में हैं । उस का उत्तर यह दिया गया है कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है । क्या जब यह प्रश्न पूछा गया उसी समय जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया था अथवा क्या पहली दो योजनाओं और अब तीसरी योजना बनाने के लिये यह आरंभिक जानकारी इकट्ठा करने के प्रयत्न किये गये हैं ? यदि बाद की बात ठीक है तो उस प्रयत्न के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बता सकती हूं कि जानकारी इकट्ठा करने का आधार क्या है । केवल इतना ही कह सकती हूं कि माननीय सदस्य की इच्छानुसार जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

मत्स्य पालन कार्यकर्ता प्रशिक्षण-संस्था, कोचीन

\+
†*१४९९ { **श्री वारियर** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमा नाथ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्य पालन कार्यकर्ता प्रशिक्षण-संस्था, कोचीन की संस्थापना और कार्य-संचालन के सम्बन्ध में नार्वे के विशेषज्ञ की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट पर विचार कर के उस पर निर्णय कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) नार्वे के विशेषज्ञों की सिफारिश पर सरकार द्वारा संस्था की स्थापना की ब्यौरेवार योजना बनाई जा रही है ।

†**श्री वारियर** : नार्वे के विशेषज्ञ के प्रतिवेदन में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं ?

†**श्री शिन्दे** : वह संस्था में दिये जाने वाले प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्था के लिये आवश्यक यंत्र, पाठ्यक्रम, कैरीकुलम आदि के बारे में है ।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार ने संस्था के लिये आवश्यक यंत्र खरीदने के लिये कोई निर्णय लिया है ?

†**श्री शिन्दे** : जी नहीं । प्रस्ताव विचाराधीन है । योजना बनाई जा रही है तथा जैसे ही वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति स्वीकृत करेगी, यंत्रों के आर्डर दे दिये जायेंगे ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या संस्था की प्रवेश धारिता निश्चित कर दी गई है ?

†**श्री शिन्दे** : जी हां, प्रवेश धारिता पर भी विचार किया गया है । प्रारम्भ में यह विचार किया गया था कि संस्था में ४८ विद्यार्थियों का प्रवेश होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या नार्वे सरकार द्वारा कोई वित्तीय अथवा प्रविधिक सहायता भी दी जा रही है ?

†**श्री शिन्दे** : जी नहीं । इस समय वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

†**श्री वारियर** : इसके लिये अनुमानतः कितना धन चाहिये तथा वित्त मंत्रालय से उसकी स्वीकृति कब ली जायेगी ?

†**श्री शिन्दे** : यह योजना तीसरी योजना में स्वीकार की गई है तथा आशा है कि इस संस्था पर लगभग ३५ लाख रुपया व्यय होगा । सरकार ने इस धन को व्यय करने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या इस संस्था में समुद्र में मछली पकड़ने का भूमि पर जलाशयों आदि में मछली पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री शिन्दे** : इस से समुद्र में मछली पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†***१५००. श्री प० कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है, जिस के द्वारा मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के ऐसे लोगों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जा सके, जो उस मृत कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर थे और जो उस के साथ स्थायी रूप से रहते थे ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे निराश्रित परिवारों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार तब तक के लिये जब तक वह सरकारी निवास स्थान में रहते हैं, करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कुन्हन** : क्या सरकार जानती है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की अकाल मृत्यु हो जाती है, उन के परिवारों को बड़ी कठिनाई हो जाती है ?

†**डा० द० स० राजू** : जी हां । हम उन की कठिनाइयों को जानते हैं ।

†**श्री वारियर** : मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे परिवारों जो सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं को ही इस योजना का विस्तार करने का निर्णय क्यों किया जा रहा है ? इन को सरकारी क्वार्टरों में कब तक रहने दिया जाता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री(डा० सुशीला नायर)** : अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना इस समय दिल्ली में ही लागू है । इस को एक अथवा दो अन्य नगरों में भी लागू किया जा रहा है । सरकारी कर्मचारी समस्त भारत से आते हैं तथा उस के मर जाने के बाद उन के परिवार अपने राज्य को चले जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब तक वह यहां रहते हैं जो अवधि चार महीने की है, तब तक के लिये निर्णय किया गया है कि उन को चिकित्सा सुविधा मिलती रहे। जब वह अपने घरों को चले जायें तब उन को यह सुविधा देना संभव नहीं है।

बिना टिकट यात्रा की जांच करने के लिये रेलवे मजिस्ट्रेट

†*१५०१. **श्री बा० वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मजिस्ट्रेटों को रेल के डिब्बों में खुद जा कर चैकिंग करने और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की गिरफ्तारी की आज्ञा देने के अधिकार दे दिये गये हैं जिस से वे भी विवाद का एक पक्ष (पार्टी) बन जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मजिस्ट्रेट यात्रियों की बात सुने बिना ही भारी जुर्माना कर देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है और उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री(श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषकों को ऋण

†*१५०२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९४७ में किसानों को "अधिक अन्न उगाओ" आन्दोलन क एक भाग के रूप में दिये गये ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि किसानों से बहुत अधिक ब्याज, ऋण की रकम के दुगुने से भी अधिक तक, वसूल किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में ऋण लेने वाले व्यक्तियों अथवा राज्य सरकारों से शिकायतें अथवा अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) क्या इस मामले में किसानों को कोई सहायता दी जावेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) और (ख). भारत सरकार अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं की क्रियान्विति के लिए ऋण तथा अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दे रही थी। भारत सरकार पुनः भुगतान के अधिकतर राज्य सरकारों से ३। प्रतिशत से ३॥। प्रतिशत तक सूद लेती है। कुछ मामलों में प्रथम वर्ष में सूद नहीं लिया जाता था। इसके बाद राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकता तथा प्राथमिकताओं के अनुसार किसानों को ऋण देती हैं। भारत सरकार को मालूम नहीं है कि राज्य सरकारें किसानों से सूद की क्या दरें लेती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या भारत सरकार की उगाही के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है तथा क्या वह इस धन की उगाही पर राज्यों से सूद नहीं लेती है ?

†**श्री शिन्दे** : मामले पर १९५८ में विचार किया गया था तथा राज्य सरकारों के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकारों को सूद की ऊंची दरें नहीं लेनी चाहिए ।]

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : परन्तु मैं एक मामला जानता हूं जिसमें १२,००० रुपये के ऋण के लिए प्रमाणपत्र कार्यवाहियां जारी हैं और ९०० रुपया सूद लिया गया । इस प्रकार के कई मामले हैं । क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

†**श्री शिन्दे** : जी नहीं । माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है ।]

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : अदालती जांच हो रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि राज्य सरकारें किसानों को जिस प्रकार ऋण दिया जा रहा है वह तरीका ठीक है ?

†**श्री शिन्दे** : ऋण १९४७–४८ में दिया गया था तथा बाद में बन्द कर दिया गया था । इसलिए प्रश्न १९४७–४८ की स्वीकृति के सम्बन्ध में है । सरकार ने राज्य सरकार का परामर्श लिया है तथा सरकार ने इसका ध्यान रखा है कि राज्य सरकारें अधिक सूद न लें तथा किसानों को तंग न किया जाये ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या यह समझना ठीक है कि ऋण का धन केन्द्रीय सरकार का है तथा राज्य सरकार इसका वितरण करती है ? यदि हां, तो अब तक कितना धन बकाया है ?]

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : बकाया ऋण के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लेखे बाक़ी हैं जो राज्य सरकारों तथा केन्द्र के बीच तय होने हैं । उसके लिए अलग लेखे नहीं हैं । अब तक ९२.७४ लाख रुपया ऋण के रूप में तथा १४६.३१ लाख रुपया अनुदान के रूप में पेशगी दिया गया था । सूद की दर पर १९५८ में चर्चा हुई थी और यह निर्णय किया गया था कि स्थानीय स्वशासन जैसे नगरपालिकायें, पंचायतें आदि को दिये गये ऋण पर राज्य सरकारें वही सूद लें जो केन्द्र सरकार ने लिया है । गैरसरकारी किसानों को दिये गये धन के बारे में राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये सूद से १½ प्रतिशत अधिक ले सकती हैं ।

श्री क० ना० तिवारी : पिछले वक्त बिहार सरकार ने एग्रीकल्चरिस्ट लोन पर इंटरैस्ट माफ कर दिया था जिसकी कि वजह से काफी लोन रियलाइज हुआ था । उसी तरह बाक़ी लोन पर भी क्या इंटरैस्ट माफ कर दिया जायगा जिससे लोन रियलाइज हो सके ?

†**श्री शिन्दे** : यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है ।

†**श्री वारियर** : धन थोड़ा होने के कारण तथा समस्त राज्यों में फैला होने के कारण क्या सरकार इन ऋणों को बट्टेखाते नहीं डाल देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न (**अन्तर्बाधा**) यह सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

†*१५०३. {श्री मा नाथ :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट पर शीघ्र ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम शुरू किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य किस अभिकरण के कराया जायेगा;

(ग) क्या किन्हीं विदेशी फर्मों ने इस काम को करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री शिन्दे)**: (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार की विजगापटनम तथा तूतीकोरिन के समुद्रतटीय मछली पकड़ने के संगठन तथा पश्चिम बंगाल सरकार के ट्रालरों द्वारा भारत के पूर्वी तट के साथ साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री उमा नाथ** : क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की जानकारी है कि विदेशी अभिकरणों के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये थे तथा यदि हां, तो क्या सरकार जानती है कि वह विदेशी अभिकरण कौन सा है तथा अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

†**श्री शिन्दे** : माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं है । एक गैर सरकारी सार्थ अर्थात् सिंदियां इंजीनियरिंग कम्पनी, मद्रास ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि अमरीकी फर्म के सहयोग की एक योजना स्वीकार करें । मंत्रालय ने इस योजना को बनाया । उन्होंने सूचित किया कि योजना का ब्योरा अमरीकी फर्म से निश्चित नहीं हुए हैं तथा केन्द्रीय सरकार कोई बाधा नहीं डालेगी तथा केन्द्रीय सरकार से सीधे बातचीत भी नहीं की गई है ।

†**श्री उमा नाथ** : क्या सरकार को भारत-नार्वे परियोजना अधिकारियों के अन्य क्षेत्रों में परियोजना के विस्तार के इरादे की जानकारी है तथा यदि हां, तो क्या पूर्वी क्षेत्र भी उसके अधीन आता है ?

†**श्री शिन्दे** : पूर्वी क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना चालू की जा रही है तथा यह विचार है कि तीसरी योजना में तूतीकोरिन तथा विजगापटम में योजना का विस्तार होगा । इसके अतिरिक्त योजना उड़ीसा में परादीप में तथा अन्दमान और निकोबार में पोर्टब्लेयर में लागू होगी । इस समय टी सी एम एड से तीन ट्रालर पश्चिम बंगाल सरकार को दे दिये गये हैं तथा वह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं ।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या सरकार ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षार्थियों को यंत्रीकृत नावें दी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : सभी प्रशिक्षणार्थियों को इन को देना सम्भव नहीं है क्योंकि हम यंत्रीकृत नावों के लिए पर्याप्त डीजल इंजन का आयात नहीं कर सके हैं परन्तु प्रशिक्षार्थियों को हम सान्त्वना दे रहे हैं तथा लगभग सभी प्रशिक्षार्थियों को यंत्रीकृत नावें दे दी गई हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार यह जानती है कि जो ट्रालर पश्चिम बंगाल सरकार के पास थे उनमें से कुछ टूट फूट गये हैं तथा काम के अयोग्य हैं और इस प्रकार यह योजना नुकसान में है । क्या मामले की जांच की गई है तथा क्या इस योजना को लाभदायक बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार कोई सहायता देगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमें इन ट्रालरों की टूट फूट की जानकारी नहीं है । हम जांच करेंगे ।

श्री बडे : क्या यह बात सच है कि जापान गवर्नमेंट ने भारत सरकार से डीप फिशिंग क वास्ते भी चर्चा की है और क्या भारत सरकार इसमें उनकी मदद लेना चाहती है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इसके बारे में हमारे पास प्रस्ताव हैं परन्तु हमें किसी में भी सफलता नहीं मिली है । केन्द्रीय सरकार को कवल वही प्रस्ताव मिला है जिसका उल्लेख मेरे साथी सभा-सचिव ने किया है । केन्द्रीय सरकार के सामने कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है ।

दामोदर घाटी निगम

†**१५०५. श्री त्यागी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के मितव्ययी कार्यवहन की जांच करने के लिये नियुक्त पी० एस० राव समिति के प्रतिवेदन के पैरा ६९ पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस समिति ने बताया था कि निगम के एक ठेकेदार के ११९ लाख रुपये के मूल्य के आग्रह्य दावों की रकम मंजूर कर दी गई थी ; और

(ग) क्या इस व्यय को विनियमित कर दिया गया है अथवा रकम निगम को वापस लौटा दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) मध्यस्थ ने १२ अप्रैल, १९६१ को अपना पंचाट दिया । तथापि निगम ने उस पंचाट को रद्द किये जाने के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील की है । अब मामला न्यायाधीन है ।

†**श्री त्यागी** : पंचाट का परिणाम क्या था ? क्या फैसला सरकार के पक्ष में था यह मामला खारिज किया गया था ?

†**श्री अलगेशन** : मध्यस्थ के सामने दामोदर घाटी निगम और ठेकेदार दोनों ने अपने दावे पेश किये । मध्यस्थ ने उन सब दावों पर विचार करके अपना निर्णय दिया । किन्तु पंचाट का परिणाम यह हुआ है कि निगम को ठेकेदार को ४६ लाख रुपये अधिक देने पड़ते हैं । इस बात पर विधि-संगत राय ली गई और अब निगम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की है और उस का निर्णय अभी अपेक्षित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** दामोदर घाटी निगम का दावा यह था कि ११९ लाख रुपये की राशि ठेकेदार को अधिक दे दी गई थी और अब पंचाट के पश्चात, न केवल यहीं वापिस नही ली जा रही है अपितु निगम को ठेकेदार को ४५ लाख रुपये अधिक देने पड़ेंगे। अब स्थिति यह है। क्या आज वह स्थिति है ?

†**श्री अलगेशन :** जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** पंचाट में यही कहा है। दावे और प्रति दावे सब मध्यस्थ को सौंप दिये गये थे और उसने यह निर्णय दिया है कि पंचाट दे दिया है कि निगम को ४५ या ४६ लाख रुपये और देने पड़ेंगे। यह मामला अब उच्च न्यायालय के समक्ष है।

†**श्री त्यागी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने यह बताया है कि उनके एक ठेकेदार के अग्रह्य दावों को ११९ लाख रुपये का भुगतान किया गया था। क्या वह सही है या नहीं ?

†**श्री अलगेशन :** यह राओ समिति का निष्कर्ष है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि, इस के लिये निगम का कौन सा अफसर उत्तरदायी था, जिस के कारण निगम को यह भारी हानि उठानी पड़ी, यदि हां, तो क्या उस के विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि कौन सा अफसर उत्तरदायी समझा गया था। कई समितियों और कई व्यक्तियों ने इस प्रश्न पर विचार किया है और हानि का अलग अलग अनुमान लगाया है। यह राओ समिति का भी अनुमान था कि ११९ लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया था। इसी बात पर मामला चल रहा है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हम जानना चाहते हैं कि यह त्रुटि किस प्रकार और किन हालात में हुई और क्या सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी। हम यह भी जानना चाहते है कि क्या सरकार ने ११९ लाख रुपये तथा ४६ लाख रुपये की हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया है।

†**श्री अलगेशन :** दामोदर घाटी निगम कुछ समय तक इस बात को नहीं मानती थी कि अधिक भुगतान किया गया था। तब इस की जांच लोक लेखा समिति ने भी की। तब उस समिति द्वारा यह निर्णय किया गया था सिफारिश की कि यह मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा जाना चाहिये, और यह परिणाम है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** ठेकेदार का नाम क्या था और मध्यस्थ का क्या नाम था ?

†**श्री अलगेशन :** ठेकेदार का नाम है मैसर्स हिन्द पटेल कम्पनी और मध्यस्थ का नाम डा० एस० एन० बनर्जी है जो कलकत्ता उच्चन्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है।

†**श्री वारियर :** क्या इस मामले में कलकत्ता में महाअधिवक्ता और केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग के बीच मतभेद था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें इस में पड़ने की जरूरत नहीं है।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** क्या सरकार का ध्यान बिहार सरकार के एक अधिवक्ता द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो प्रेस में छपा था कि दामोदर घाटी निगम समाप्त किया जाये, और जिस में यह आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार दामोदर घाटी निगम से धीरे धीरे अलग हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सर्वथा भिन्न बात है ।

पश्चिम जमुना नहर का व्यवर्तन[1]

†**१५०७. श्री लहरी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूलत: पंजाब के हरियाना क्षेत्र के लिये निर्धारित पश्चिम जमुना नहर का पानी दिल्ली नगर निगम के प्रयोग के लिये व्यवर्तित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ;

(ग) पश्चिम जमुना नहर के पानी के संभरण के लिये १९६०-६१ में पंजाब सरकार को दिल्ली प्रशासन ने कितनी रकम दी थी ;

(घ) क्या वह भी सच है कि इस व्यवर्तन के फलस्वरूप हरियाना के ग्राम्य क्षेत्र की जनता और विशेषया किसानों को बड़ी कठिनाई हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** :(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में तापीय विद्युत् संयंत्र

†**१५०८. श्री महेश्वर नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तापीय विद्युत् संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) परियोजना की कुल लागत से विदेशी मुद्रा का कितना अंश होगा ;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा हासिल करने की औपचारिकतायें पूरी कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो किस समवाय के साथ ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) स (घ). अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]** ।

†**श्री महेश्वर नायक** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि तीन संयंत्र स्थापित किये जाने की संभावना है, उन में से किसी के भी १९६३ की समाप्ति से पहे आरम्भ होने की संभावना नहीं है । नगर में बिजली की वर्तमान कमी कैसे पूरी की जायेगी, अब जब कि यह सूचना मिली हैं कि पंजाब अपेक्षित मात्रा में बिजली का संभरण करने में असफल रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : इसका पहले कई अवसरों पर उत्तर दिया जा चुका है । मैंने एक बड़ा विस्तृत वक्तव्य भी दिया है कि ये विविध संयंत्र कब स्थापित किये जायेंगे और आरम्भ किये जायेंगे ।

†**श्री महेश्वर नायक** : कम से कम आज के समाचार पत्रों से यह प्रतीत होता है कि पंजाब अपेक्षित मात्रा में बिजली का संभरण करने में असफल रहा है । क्या और कैसे यह कमी पूरी की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन :** मैने पहले अवसर पर उत्तर दिया था कि हम भाखड़ा नंगल व्यवस्था से जो बिजली प्राप्त करने का विचार कर रहे थे, उस के सम्बन्ध में हम उसे दो या तीन महीनों के अन्दर प्राप्त कर सकेंगे ।

†**डा० का० ला० राव :** क्या इन संयंत्रों के डिजाइन की भारी लागत पर एक विदेशी फर्म को सौंपे जा चुके है और यदि हां, तो सरकार इस बात के लिये, कि भविष्य इस काम के लिये उनका अपना संगठन ही क्या कार्रवाई कर रही है ताकि भारी लागत न होने पावे ?

†**श्री अलगेशन :** मा० सदस्य को पता है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक एकांश स्थापित किया गया है और इसे मजबूत बनाया जायगा और कुछ ही वर्षो में हमारे लिये सब डिजाइन बनाना सम्भव होगा ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ:** इन बिजली संयंत्रों के लिये मशीनरी और जेनरेटर बनाने के मामले में हमने अब तक क्या प्रगति की है ।

†**श्री अलगेशन :** भोपाल में संयंत्र हैं और तीन और स्थापित किये जा रहे है ।

†**डा० का० ला० राव :** मा० मंत्री ने बताया है कि इन संयंत्रों के लिये केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग मे एक एकांश चल रहा है । क्या सरकार को पता है कि वह एकांश काफी नहीं हैं और इसे तुरन्त मजबूत बनाना होगा, क्योंकि हमारी बड़ी भारी लागत लग रही है ! क्या सरकार इस बात के लिये कि इस एकांश को बहुत मजबूत बनाया जाये, तुरन्त कार्यवाई करेगी ?

†**श्री अलगेशन :** हम निश्चय ही यह करेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या विवरण में बताई गई विदेशी मुद्रा संबंधी तत्काल दी जायगी और कब तक इन संयंत्रों को आरम्भ किया जा सकेगा ?

†**श्री अलगेशन :** यहां जिस विदेशी मुद्रा का वर्णन किया गया है वह दे दी गई हैं । वे विभिन्न तिथियां भी विवरण में भी दी गई हैं जिन को ये फर्म आरम्भ करेंगे ।

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ने के मूल्यों में कमी

+

†*१५०९. { **श्री बा० वर्मा :**
{ **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की कुछ चीनी मिलों ने चीनी की 'रिकवरी' की प्रतिशतता में कमी होने का बहाना लेकर गन्ने के मूल्य कम कर दिये है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तथ्य की जांच के लिये हमारे कुछ रसायनज्ञों को नियुक्त करने जा रही है; और

(ग) किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार क्या तुरन्त कदम उठा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिंदे) :** (क) जी हां । सरकार ने कमी की अनुमति दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). रसायनज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है । चीनी के उत्पादन तथा गन्ने की खरीद के बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अफसर क्रमशः पर्यवेक्षण करते हैं ।

†**श्री बा० वर्मा :** क्या मूल्य में कटौती करने से पूर्व चीनी मिल सरकार से परामर्श करते हैं ?

†**श्री शिंदे** । इस के बारे में सरकार से सलाह ली गई थी । परामर्श आदि के लिये राज्य सरकारें भी तो हैं ।

†**श्री बा० वर्मा :** इसका क्या कारण है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के गन्ने में चीनी की मात्रा का प्रतिशत अधिक होता हैं ?

†**श्री शिंदे :** सूत्र को कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ा हुआ हैं । किन्तु जैसा कि पता है, विभिन्न क्षेत्रों में गन्ने से चीनी की प्राप्ति अनिवार्यतः भिन्न भिन्न होती है, और क्योंकि सूत्र भिन्न भिन्न उत्पादन पर निर्धारित है, स्वभावतः मूल्यों में अन्तर होना ही निश्चित है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि रिकवरी में प्रतिशत की कमी का बहाना ले कर शुगर मिलों ने गन्ने के मूल्य में जो कमी की हैं, वह कितनी है और क्या उत्तर प्रदेश की सभी मिलों ने वह कमी की है, अथवा थोड़ी मिलों ने की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : उसमें बहाना तो नहीं मालूम होता हैं, क्योंकि यू० पी० गवर्नमेंट की तरफ़ से यह चीज़ आई कि इन दिनों में, यानी जून में, रिकवरी थोड़ी कम होती है । इस लिए यू० पी० गवर्नमेंट, सैंट्रल गवर्नमेंट और मिलों, इन सभी की राय ले कर वह चीज़ बनी है ।

श्री त्यागी : कितनी मिलों ने रिकवरी कम दिखा कर गन्ने की कीमत की हैं ? क्या मेहरबानी करके उन के नाम पढ़े जा सकते है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह सब उत्तर प्रदेश सरकार के पास है । जब तक वे इस मामले के बारे में हमें न लिखें, हम इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : श्रीमन्, मैं ने यह जानना चाहा था कि रिकवरी में प्रतिशत की कमी के आधार पर मूल्य में जो कमी की गई है, वह कितनी है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या शुगर मिलों की यह आदत पड़ गई हैं कि वे पिछले समय में गन्ना कम लेती है और मई जून में रिकवरी में प्रतिशत की कमी दिखा कर मूल्य कम देती हैं ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** सब पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था । राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी यहां थे । माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत की थी । अब यह अधिकार दिया गया हैं । पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी फैक्टरियों को गन्ने के न्यूनतम भाव से, १ मई, १९६२ से ९ प्रतिशत से कम प्रत्येक दशमलव एक प्रतिशत कम उपज के लिये प्रति यन गन्ने से १.५ नये पैसे की कटौती कर ली जाये । यह कटौती अधिकतम १९ नये पैसे प्रति मन गन्ने होगी जो, यदि अत्यन्त आवश्यक हो, तो २५ नये पैसे तक बढ़ाई जा सके ।

†**श्री तुलसीदास जाधव :** मैं यह जानना चाहता हूं कि यू० पी० के कारखानों में गन्ने का जो भाव (रेट) है, उसमें और हिन्दुस्तान के दूसरे गन्ने के क्षेत्रों के रेट में क्या डिफ्रेन्स है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिंदे :** माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं है । पर भारत सरकार द्वारा घोषित किये जाते हैं । निस्संदेह, दक्षिण के प्रदेशों में कुछ अंतर है, किन्तु उसका कारण यह है कि दक्षिण में अधिक चीनी निकलती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मंत्री ने भी बताया है कि यह प्रबंध राज्य सरकारों और मिलों के प्रतिनिधियों के परामर्श से किया गया है । कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व कौन करता है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कृषकों का हित इस बात में है कि समूचा गन्ना पेरा जाये । हम ने इस काम के लिये सब आवश्वक कदम उठाये हैं ।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मलहोत्रा :** क्या चीनी की प्रतिशतता की वसूली का यह सूत्र सब मिलों के गन्ने के लिये है या विशिष्ट किस्मों के लिये ?

†**श्री स० का० पाटिल :** वास्तव में, कम वसूली के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । मूल्यों का सम्बन्ध वसूली के साथ मिलाना होगा,क्योंकि अधिक और कम वसूली का प्रश्न उठता है । क्योंकि एक आदेश ऐसा था कि १० प्रतिशत कटौती होगी और मैंने सभा में प्रतिज्ञा की थी, कि हम खड़ी फसल को सूखने नहीं देंगे, इसलिये कुछ इलाज करना था । अतः राज्य सरकारों के परामर्श के साथ हमने एक सूत्र बनाया और यह काम कर रहा है । वह बहुत कम प्रतिशत कटौती है किन्तु इसका उद्देश्य बड़े परिणामों को रोकना है अर्थात् गन्ना बिल्कुल न पेरा जाये इस बात को रोकना है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की गन्ना उत्पादन संस्था ने दरों में कमी का विरोध किया है और यदि हां, तो सरकार ने अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उन से परामर्श करने के लिये क्या किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** उस परामर्श का मामला राज्य सरकार और गन्ना उत्पादकों के बीच का है । हमारा उस से सम्बन्ध नहीं हैं ।

†**श्री त्यागी :** भूतकाल में, जब कभी ऐसी कटौती की गई थी, कमी कितनी है वह जानने के लिये वसूली को देखने के लिये शिल्पिक लोग भेजे जाया करते थे । तभी यह कटौती स्वीकार की जाती थी । मुझे आश्चर्य है कि आया वह तरीका छोड़ दिया गया है । इस बार क्या हमने चीनी मिलों की बातों पर यकीन कर लिया था हमने वह देखने के लिये शिल्पिक भेजे कि आया वसूली कम हो गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** समूचा सूत्र इतना सही और हिसाब से बनाया गया है कि मूल्यों में १ तक थोड़ी कमी की जाती है जो दर वहां है । इस से पता चलता है कि कटौती का सामान्य सूत्र है और वह जांच के पश्चात् की जाती है । जिस मात्रा तक वसूली कम होती है, मूल्य कम दिया जाता है ।

†**श्री त्यागी :** इस की जांच कौन करता है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** सरकार द्वारा शिल्पिक नियुक्त किये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दक्षिण रेलवे में पदोन्नति की प्रक्रिया

†*१४९२. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई नियम है कि रेलवे के जो कर्मचारी ४५ वर्ष से अधिक आयु के हों उन्हें पदोन्नति के लिये जाने वाली किसी लिखित परीक्षा में बैठने के लिये न कहा जाये; और

(ख) क्या दक्षिण रेलवे में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

अन्तर्देशीय परिवहन के लिये ब्रह्मपुत्र का तलकर्षण

†*१४९७. **श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले भूकम्प के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ भौगोलिक परिवर्तन हो गये है;

(ख) क्या इस परिवर्तन का प्रभाव ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाल अन्तर्देशीय परिवहन पर पड़ा है जिस के फलस्वरूप कुछ स्थानों पर परिवहन की बहुती हुई कठिनाइयां दूर करने के लिये नदी का तलकर्षण आवश्यक हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) उस का ब्यौरा क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । अगस्त १९५० के भूकम्प के कारण ब्रह्मपुत्र में बहुत सी मिट्टी और पत्थर आदि आ गये । परिणामत: नदी का तल अपने ऊपर के भाग में ऊंचा उठ गया और कम गहरा, चौड़ा तथा पहले की अपेक्षा अधिक अस्थायी हो गया । कई स्थानों पर नदी बहुत कम गहरी हो गई है तथा भूमि कटाव बढ़ गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). नदी को निम्न कार्यों के द्वारा नौवहन योग्य हालत में रखा जाता है :—

(१) बांडालिंग अर्थात् नदी के प्रवाह को, चुने हुए स्थानों पर नदी में बांस की कतारें लगा कर चुनी हुई नालियों में बदल देना;

(२) गहरी नालियों का मार्ग निश्चित करना;

(३) कम गहरे स्थानों से मिट्टी निकालना ।

इस समय संयुक्त जलपोत समवायों द्वारा बचाने का कार्य किया जा रहा है, जो ब्रह्मपुत्र में अपने जहाज चलाते हैं । १९५८-५९ में उन्हें इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त

---

†मूल अंग्रेजी में

होता रहा है। चूंकि कम गहरे स्थानों की मिट्टी निकालने का काम ड्रैजर के बिना प्रभावपूर्ण नहीं होता, गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड २१·४९ लाख रुपये की लागत से एक १४" का कटर सक्शन ड्रैजर खरीद रहा है। आशा की जाती है कि ड्रैजर उपयोग के लिये एक वर्ष के अन्दर उपलब्ध हो जायेगा।

आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

†*१५०४. **श्री लक्ष्मी दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति १५ किलोवाट घंटे (के० डब्लू० एच०) बिजली की खपत अखिल भारतीय औसत ४० किलोवाट घंटे और निकटस्थ राज्य (मद्रास) के औसत ६० किलोवाट घंटे से बहुत कम थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने उस राज्य को विद्युत् परियोजनाओं की प्रगति को तेज़ करने का परामर्श देने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) आंध्र प्रदेश और मद्रास के लिये दूसरी योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः १९·५ किलोवाट घंटे और ५१·६६ किलोवाट घंटे थी, अखिल भारतीय औसत ३७·९२ किलोवाट की तुलना में।

(ख) विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी प्रगति की समीक्षा विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा की गई थी और राज्य सरकार को परियोजना रिपोर्टें तैयार करने संयंत्र तथा मशीनरी आदि के आयात की व्यवस्था करने के लिये कहा गया था। संकल्प में उन कठिनाइयों के लिये सहायता की पेशकश भी गई थी जो कई योजनाओं की कार्यान्विति में राज्य सरकार को पेश आती है। अल्पकालीन सहायता की व्यवस्था करने के लिये गैस टर्बाइन पैकेज एकांकों का आयात करने का भी प्रबन्ध किया गया हैं।

बम्बई गोदी में खाद्यान्नों का इकट्ठा होना

†*१५०६. **श्री याज्ञिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई गोदी में विदेशों से आये खाद्यान्नों को उठाने का ठेका २८ फरवरी १९६२ से एक नये ठेकेदार को दिया गया है;

(ख) क्या बम्बई गोदी में खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा पड़ी हुई है और बम्बई के क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार उठाई नहीं गई हैं;

(ग) क्या खाद्यान्नों को समय पर न उठाने के लिये ठेकेदार की ओर से बम्बई पत्तन न्यास को सरकार ने बड़ी रकम विलम्ब शुल्क के रूप में दी है;

(घ) क्या ठेकेदार को दिये गये बहुत से वैगनों का भी उसने खाद्यान्नों को उठाने में अकुशलता के कारण उपयोग नहीं किया; और

(ङ) स्थिति को सामान्य बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) बम्बई पत्तन पर आने वाले उर्वरकों और खाद्यान्नों को उठाने का काम १४ अप्रैल १९६२ से न कि २८ फरवरी १९६२ से एक नये ठेकेदार को सौंपा गया था।

(ख) १३-६-६२ को प्रातःकाल बम्बई पत्तन में ४०१७ टन गेहूं, १८४ टन चावल और ९०१३ टन (उर्वरक) का स्टाक पड़ा था। बम्बई की गोदियों में इतना माल पड़ा रहना कोई असाधारण बात नहीं है। २·५ लाख टन की कुल मात्रा में से २·३५ लाख टन से अधिक माल उठाया जा चुका है। तथापि कुछ दिन माल काफी जमा हो गया किन्तु बाद में उसे शीघ्र ही काफी मात्रा में उठा लिया गया।

(ग) इस अवधि के लिये पत्तन न्यास को कोई हरजाना नहीं दिया गया। तरीका यह है कि पत्तन न्यास पहले सरकार के नाम में धन जमा करता है और सरकार साफ करने वाले ठेकेदारों से धन वसूल करती है यदि यह अनुभव हो जाये कि उन की गलती के कारण शैड का हर्जाना हुआ था। पत्तन न्यास ने अभी इस अवधि के लिये लेखे नहीं लिखे हैं।

(घ) ८ जून १९६२ तक इंडेन्ट किये गये ८०९७ वैगनों में से ४२०० सही वैगन दिये गये थे। इसमें से केवल २५५ बिन भर वापिस लौट आये तथा ६२९ रोके गये और फालतू समय में भरे गये। माल उठाने वाले अभिकर्ता का उत्तरदायित्व आंका जा रहा है।

(ङ) बम्बई में खाद्य आयात भारत के सब पत्तनों में सर्वाधिक होता है। इस समय की स्थिति असाधारण नहीं मानी जाती यद्यपि निगरानी और गहन प्रयत्नों की आवश्यकता है। सरकार इस स्थिति पर सतत विचार करती रहती है और जब कभी आवश्यक होता है प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

बीकानेर में औद्योगिक साइडिंग पर रोशनी और पानी का प्रबन्ध

†**३२१४. श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि यद्यपि बीकानेर की औद्योगिक साइडिंग का काफी विस्तार कर दिया गया है, वहां रोशनी और पानी का समुचित तथा पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है, जिस कारण उपभोक्ताओं को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां तो इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाये जाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) जी हां। औद्योगिक साइडिंग पर रोशनी की व्यवस्था करने का काम आरम्भ किया जा चुका है और पूरा होने वाला है। जल संभरण की व्यवस्था की जांच की जा रही है।

कोटा को डबल लाइन पटरी के द्वारा बम्बई और दिल्ली के साथ मिलाना

†**३२१५. श्री बृज राज सिंह कोटा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और बम्बई दोनों से कोटा तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का विचार करती हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो काम कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'न' है तो इस के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी)** : (क) से (ग). बम्बई और दिल्ली के बीच बरास्ता कोटा ८६४ मील की यात्रा में से डबल लाइन ४७८ मील तक विभिन्न सैक्शनों पर है। शेष ३८६ मील में से, बयाना और लाडरी के बीच ११७ मील को डबल करने का काम १९६२-६३ के बजट में शामिल है। इसके पश्चात् केवल तीन इकहरी लाइन के सैक्शन समूचे मार्ग पर रह जायेंगे जो २६९ मील होगी जहां पर तीसरी योजना में प्रत्याशित यातायात की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त लाइन क्षमता पहले ही विद्यमान है।

सहायक खुराक की फसलें

†३२१६. **श्री मे० के० कुमारन् :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक खुराक की फसलों को खेती को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के उपाय के तौर पर देश में वनस्पति उत्पादन के विकास की योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) देश में वनस्पति उत्पादन की एक तीसरी पंचवर्षीय योजना में शमिल की गई है जिस के अन्तर्गत इनके द्वारा विकास कार्य किया जाये :—

१. बीज प्रमाणन और ठीक बीजो का संभरण;

२. फसल बोने सम्बन्धी तरीकों के बारे में तकनीकी सलाह देना;

३. पौध संरक्षण उपायों की व्यवस्था; और

४. अधिक क्षेत्र पर सब्जी बोना।

तीसरी योजना में उत्तर प्रदेश पंजाब मद्रास, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आसाम, मैसूर, हिमाचल प्रदेश एवं पांडिचेरी में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ४७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) योजना १९६२ में ही तीसरी योजना में आरम्भ की गई है और इतनी जल्दी रिपोर्ट तथा परिणाम बतलाना सम्भव नहीं हैं।

केरल में आम का फल

†३२१७. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने प्रकार के आम मिलते है;

(ख) क्या तीसरी योजना में करल में कोई अनुसंधान कार्यक्रम बनाया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या उस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्रवाई की गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) केरल में सामान्यतया ये आम हैं :

बंगलौरा, नीलम, बैनट-अलफौंसो, बैंगना, पाल्ली, मुलंगोआ, नाडसाला, ओलोर, पैरी, चन्द्रकरन, जहांगीर, मुंडप्पा और काज्ञापाडी ।

इन के अतिरिक्त राज्य में देशी किस्मों के आम भी मिलते है ।

(ख) और (ग). केरल में आम सम्बन्धी गवेषणा का कोई कार्यक्रम इस समय तक नहीं बनाया गया जिसे तीसरी योजना अवधि में कार्यान्वित करना हो ।

केले के पेड़ों का रोग

†**३२१८. श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में केले के पेड़ों के रोग ('बंची टॉप' रोग) से भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि मद्रास में भी केलों की पैदावार वाले क्षेत्रों में यह रोग फैल गया है ; और

(ग) क्या इस रोग पर काबू पाने के लिये कोई सफल तरीका निकाला गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) बताया जाता है कि मद्रास राज्य के निकटवर्ती क्षेत्रों में यह रोग देखा गया है ।

(ग) यह बताया जाता है कि केरल राज्य में इस रोग के नियंत्रण के लिये कोई सफल तरीका नहीं निकाला गया है । फिर भी, केलों के पेड़ों के रोग के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनुसन्धान किया जा रहा है । इस रोग के निमंत्रण के उपायों का अन्तिम परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

दूसरी ओर मद्रास राज्य में नियंत्रण के जो उपाय किये जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(१) जो पेड़ खराब हो गये हों उन की मुख्य पत्तियों पर किरोसीन तेल या अशोधित तेल डाल कर उन्हें नष्ट कर डालना ताकि रोग के फैलाव के लिये उत्तरदायी कीड़े मार डाले जा सकें और पेड़ के टुकड़े टुकड़े किये जा सकें और उन्हें सुखा दिया जा सके ।

(२) "पूवन" जैसे किस्म के केलों का उपयोग ।

(३) कीड़ों के नियंत्रण के लिये बीएचसी ५० प्रतिशत जैसे कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव ।

नई दिल्ली में विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारी

†**३२१९. श्री वारियर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या

---

†मूल अंग्रेजी में

११७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने विलिंगडन अस्पताल में अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वेतन (पेन्शन) के लाभ देने का इसी बीच निश्चय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विलिंगडन अस्पताल केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिये जाने के बाद, अस्पताल के नई दिल्ली नगरपालिका कर्मचारियों को पहल की सेवा के लिये सेवानिवृत्ति वेतन लाभ देने के सम्बन्ध में सरकार का अपने पहले के निश्चय पर पुनः विचार करने का भी विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा

†३२२०. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीनाम्बक्कम हवाई अड्डे के आसपास के इलाके अपने अधीन ले लने की कोई योजना हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बसाने की क्या योजनायें हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हाँ ।

(ख) मीनाम्बक्कम हवाई अड्डे के विकास के लिये जो ज़मीन ले ली गई है वह लगभग उस ४ एकड़ जमीन को छोड़ कर जो गैर-सरकारी लोगों की है, सेनाधिकारियों की है । मालूम हुआ है कि यह जमीन न तो खेती के काम और न रहने के लिये काम में लाई जाती है ।

केरल में राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता कार्यक्रम

†३२२१. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने १९५४ और १९५७, १९५७ और १९६० और १९६० से १९६२ के बीच राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन कितनी शहरी जलपूर्त्ति और स्वच्छता योजनाओं के लिये सहायता माँगी ;

(ख) केरल सरकार ने १९५४ और १९५७, १९५७ और १९६० और १९६० से १९६२ के बीच राष्ट्रीय जलपूर्त्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन कितनी ग्रामीण जलपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं के लिये सहायता माँगी ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन केरल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ग) केरल सरकार को राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन शहरी योजनाओं के लिये ३६१ . ९९ लाख रुपये का ऋण और ग्रामीण जल सम्भरण और स्वच्छता योजनाओं के लिये ३६ . ६१ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

†३२२२. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई योजनायें हैं कि सफदरजंग अस्पताल के फिजियोथेरापी यूनिट को एक सुसज्जित पुनर्वास केन्द्र में बदल दिया जाये जिस के साथ फिजियोथेरापी, आक्यूपशनल थेरापी और प्रास्थेसिस का एक विभाग भी होगा ;

(ख) यदि हाँ, तो ये योजनाएं संभवतः किस वर्ष तक कार्यान्वित की जायेंगी ; और

(ग) क्या पुनर्वास केन्द्र के लिये अतिरिक्त मकान बनाने और आवश्यक उपकरण प्राप्त करने का सरकार का कोई विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). एक योजना अभी हाल में प्राप्त हुई है । उस की छानबीन की जा रही है ।

राजस्थान के लिए वृक्ष संरक्षण कार्य

†३२२३. **श्री तन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्या क्या वृक्ष-संरक्षण-कार्य किये जा रहे हैं ; और

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अनेक कीड़ों और रोगों जैसे, टिड्डियों, ग्रास हॉपर्स, मिल्ड्यू आफ म्यूमिन, साइट्रस के रोग, खेतों के चूहे, दीमक आदि के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं । १९६५-६६ तक राज्य में खेती वाली १० प्रतिशत जमीन में यह कार्य करने का सरकार का विचार है ।

(ख) १९६१-६२ के अन्त तक वृक्ष संरक्षण योजनाओं के अधीन जो प्रगति हुई है वह इस प्रकार है :—

(१) विभिन्न कीड़ों और रोगों को दूर करने के लिये जितने क्षेत्र में छिड़काव किया गया . . .	१६ लाख एकड़ (लगभग)
(२) जितने क्षेत्र में से लोकस्ट हॉपर्स को नष्ट किया गया .	५,५०,००० एकड़
(३) बीज जिन्हें शुद्ध किया गया . . .	१,०७,५०७ मन

राजस्थान नहर योजना

३२२४. **श्री तन सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान नहर योजना से सिंचाई के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ;

(ख) इन में से कौन-कौन से लक्ष्य किस वर्ष पूरे नहीं हो पाये और उन का क्या कारण था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ये अधूरे लक्ष्य कितने अर्से बाद पूरे किये गये, और

(घ) उपरोक्त कारणों के निराकरण का भविष्य में क्या प्रबन्ध किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दूसरी पंचसाला योजना के अरसे में, राजस्थान नहर परियोजना से सिंचाई का कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। तीसरी योजना के अरसे के लिये शुरू में बनाये गये साल-वार लक्ष्य और बाद के परिवर्तित लक्ष्य इस प्रकार हैं :

साल	पहिले-पहिल बाँधे गये लक्ष्य	परिवर्तित लक्ष्य
	(अंक लाख एकड़ों हैं)	
१९६१–६२	१.५०	०.०३
१९६२--६३	२.१०	०.८१
१९६३–६४	३.०७५	१.६२९
१९६४–६५ . . .	४.४४४	२.६१५
१९६५–६६	६.११६	३.३१९

(ख) तथा (ग). गोकि शुरू में बाँधा गया निशाना १,५०,००० एकड़ का था, लेकिन १९६१ के दौरान ३,००० एक ड़ भूमि ही सिंची। शुरू में निशाना बनाते वक्त ख्याल था कि परियोजना का काम १९५७ में चालू हो जायगा, जबकि असल में, काम १९५८ में ही शुरू हुआ। अगला साल, तजर्बा-कार तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, अस्तर लगाने के विवरणों की छांट, जरूरी इमारती सामान का जुटाव, और निर्माण के काम के लिये पानी का अभाव जसी समस्याओं को दूर करने में लग गया।

(घ) सम्बद्ध अधिकारी इस समस्या पर बराबर सोच-विचार कर रहे हैं और स्थिति पर बराबर निगाह रखे हुए हैं ताकि सिंचाई के परिवर्तित लक्ष्यों पर, जहाँ तक हो सके, कायम रहा जाय।

दक्षिण पूर्व रेलवे में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाएं

३२२५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के रक्षित रिक्त स्थानों पर भरती के लिये १९६१-६२ में कितनी विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाएं हुईं ;

(ख) विभिन्न अवसरों पर कितने उम्मीदवार आये ;

(ग) उन में से कितनों को योग्य घोषित किया गया ;

(घ) कितनों को अयोग्य घोषित किया गया ; और

(ङ) वे किस सबंध में अयोग्य घोषित किये गये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक।

(ख) चार।

(ग) से (ङ). अभी अन्तिम परिणाम तैयार नहीं किये गये हैं।

डाक तथा तार घर

†३२२६. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री बालकृष्णन् :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में नये डाकतार कार्यालय खोलने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मडल के बारे में आंकड़े बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

रेलवे रक्षा बल में भर्ती

३२२७. **श्री प०ला० बारुपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ से जून, १९५९ तक रेलवे रक्षा बल (आर० पी० एफ०) में कितनी भर्ती की गई और उन में कितने परिगणित जाति के सदस्य हैं ?

रेलवे मत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : १९५७-५८ से जून १९५९ तक की अवधि में रेलवे सुरक्षा दल में १२०४१ व्यक्ति भर्ती किये गये, जिन में २२७५ अनुसूचित जातियों के थे।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने के लिये जिप्सम का लदान

३२२८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि बीकानेर से १७ मील दूर जामसर से प्रतिदिन १०० से २०० तक माल ढोने के वैगन जिप्सम भर कर सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्टरी भेजे जाते हैं जो भटिंडा स्टेशन पर ट्रांशिपिंग हो कर खाली हो जाते हैं ;

(ख) क्या रेलवे मंत्रालय को यह मालूम है कि उक्त वैगन भटिंडा से वापिस खाली आते हैं, क्योंकि वहां से बीकानेर की तरफ आने लायक माल भटिंडा में लदाई के लिये नहीं मिलता ;

(ग) क्या रेलवे मंत्रालय को यह मालूम है कि यदि उक्त वैगनों में सूरजपुर फैक्टरी से सीमेंट भर कर लाया जाये तो रेलवे को प्रति मास करीब $1^1/_2$ लाख रुपयों की आय हो सकती है; और

(घ) इस विषय में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) प्रतिदिन औसतन लगभग ५८ माल डिब्बे जिप्सम ले कर जामसर से सिन्दरी उर्वरक कारखाने को भेजे जाते हैं और भटिंडा स्टेशन पर जिप्सम मीटर लाइन से बड़ी लाइन के माल डिब्बों में बदला जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) से (घ) मीटर लाइन के जो माल डिब्बे जामसर से जिप्सम ले कर भटिंडा आते हैं, वापसी में लाद कर भेजने के लिये उन का यथासम्भव अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। भटिंडा में छोड़े गये फालतू डिब्बों में से कुछ डिब्बे हनुमानगढ़ की ओर खाली वापिस भेजे जाते हैं। लेकिन ये सभी डिब्बे सीमेन्ट लाद कर वापस भेजने लायक नहीं होते। जो डिब्बे खाली वापस भेजे जाते हैं और जिन में सीमेंट लादा जा सकता है उन की संख्या प्रति दिन केवल लगभग ६ होती है। सीमेंट का दुतरफा संचलन रोकने के लिये सूरजपुर सीमेन्ट अधिकतर पंजाब प्रदेश में भेजा जाता है और भटिंडा-जामसर सैक्शन के स्टेशनों के लिये सीमेन्ट सवाई माधोपुर और चर्खी दादरी फैक्टरियों से भेजा जाता है जो मीटर लाइन पर स्थित है।

चीनी के कारखाने

†३२२९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में चीनी के कितने कारखाने स्थापित किये गये और उन दिन क्षमता कितनी कितनी है ;

(ख) इन में से कितने कारखानों में भारतीय मशीनें लगाई गई हैं ;

(ग) क्या सरकार भारतीय मशीनें इस्तेमाल करने वाले कारखानों को अधिक पसंद करती है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) चार कारखाने जिनमें कुल दैनिक ४,०५० टन गन्ना पेरने की क्षमता है।

(ख) चीनी कारखानों में अब भी कम से कम कुछ आयात किये गये पुर्जों का इस्तेमाल जरूरी है। दो कारखानों में मुख्यत: आयात की हुई मशीनें लगाई गई हैं और दो कारखानों में मुख्यत: देशी मशीनें लगाई गई हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†३२३०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना अन्य सरकारी कर्मचारियों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के लिये लागू करने का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) मूल योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोई परामर्श किया है ;

(घ) यदि हां तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिये यह योजना लागू करने के बारे में अब तक राज्यों की क्या राय है ; और

(ङ) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत निरोधक (प्रिवेन्टिव) तथा चिकित्सा सेवा (क्यूरेटिव सर्विस) को मिला देने का सरकार का विचार है ?

---

†तृप्त अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभ आरम्भ में उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये जाते थे जिन्हें वेतन असैनिक अनुमानों के अधीन दिया जाता था । इनमें वे असैनिक सरकारी कर्मचारी और उन के परिवार (रेलवे सेवाओं में नियुक्त कर्मचारियों को छोड़ कर) शामिल हैं जिन्हें प्रतिरक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान किया जाता है और जिन क मुख्य कार्यालय दिल्ली या नई दिल्ली में हैं । ये लाभ १० अर्ध-सरकारी सगठनों को भी दिये जा रहे हैं ।

इस योजना के लाभ अब इस बीच दिल्ली में स्थित प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों (औद्योगिक और गैर-औद्योगिक) को और दिल्ली में और ४४ अर्धसरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी निकायों को भी दिये जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों का तबादला दिल्ली।नई दिल्ली से बाहर होता है उन के परिवार भी अंशदायी सेवायोजना के लाभ के अधिकारी होते हैं । अब ये लाभ और ४ अर्धसरकारी सगठनों को दिये जाने के बारे में निश्चय किया गया है। बम्बई स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये यह योजना लागू करने के सम्बन्ध में कार्यवाही भी की जा रही है ।

जिस समय यह योजना चालू की गई थी, उस समय १६ स्थिर और ३ चलते फिरते औषधालय थे जिनमें ११ विशेषजों सहित ४० चिकित्सा अधिकारी थे, और उससे २,२३,००० लोगों को फायदा पहुचता था । इस समय ४२ स्थिर और २ चलते फिरते औषधालय हैं जिनमें ३८ विशेषज्ञों सहित लगभग २८८ चिकित्सा अधिकारी हैं और उससे ४,८९,००० लोगों को लाभ पहुचता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) यद्यपि क्यूरेटिव और प्रिवेन्टिव सर्विसेज़ के पूर्ण एकीकरण का न तो विचार है और न ही वह उचित है फिर भी हैल्थ क्लिनिक, वैल-बेबी क्लिनिक्स, यौगिक व्यायाम आदि के ज़रिये सामान्य व्यक्तियों की जांच-पड़ताल की सुविधाओं के तौर पर बढ़ते हुए परिमाण में निरोधात्मक कार्य किये जा रहे हैं ।

मछलियों की बिक्री

†३२३१. **श्री काशीनाथ पांडे :**
श्री मूलचन्द दुबे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मछलियों की बिक्री में सुधार करने और उन्हें ठडे डिब्बों में भेजने की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : राज्य सरकारों को यह राय दी गयी है कि वे खपत वाले महत्वपूर्ण केन्द्रों में साफ सुथरे मछली बाज़ार और दुकानें कायम करें । बर्फ के और शीत-भंडार संयंत्र कायम करने के लिए तकनीकी सहायता भी दी जा रही है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में ५० बर्फीले और शीत भंडार सयत्र (आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट्स) कायम किये गये थे । तीसरी पचवर्षीय योजना में देश में और ७२ बर्फीले और शीत भंडार संयंत्र कायम करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ६ रिफ्रिजरेटेड रेल डिब्बे महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों से खपत वाले केन्द्रों तक मछली पहुंचाने के लिए चालू किये गये थे । तीसरी योजना की अवधि के दौरान २० और ऐसे डिब्बे चालू करने का विचार है ।

ग्रामीण दुग्धशालाएं

३२३२. **श्री काशीनाथ पांडे :**
श्री मूलचन्द दुबे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अलीगढ़ और बरौनी में ग्रामीण दुग्धशालाओं में उत्पादन कब से आरम्भ होने वाला है ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक दुग्धशाला में कितना उत्पादन होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री** (**श्री अ० म० थामस**) : (क) अनुमान है कि मार्च, १९६३ तक अलीगढ़ और बरौनी की ग्रामीण दुग्धशालाएं चालू हो जायेंगी ।

(ख) अलीगढ़ दुग्ध शाला में मक्खन और घी का वार्षिक उत्पादन लगभग ४५० मेट्रिक टन और बरौनी दुग्धशमाला में लगभग ३५० मेट्रिक टन होगा ।

मद्रास राज्य में नोटयल योजना

†३२३३. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :**
श्री अरुणाचलम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में नोय्यल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उस के लिए कितनी धनराशि दी गयी है ; और

(ग) वह संभवतः कब आरम्भ की जायगी ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कोयम्बटूर में लोकोशेड

†३२३४. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर नगर परिषद् ने मद्रास सरकार के ज़रिये रेलवे बोर्ड से यह प्रार्थना की है कि कोयम्बटूर में वर्तमान इंजन कारखाने (लोकोशेड) की जगह सरकारी अस्पताल के नज़दीक होने के कारण बदल दी जाये ; और

(ख) क्या वह कारखाना दूसरी जगह ले जाने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) लोको शेड को किसी दूसरी जगह ले जाने का कोई विचार नहीं है । सभी पहलुओं से इस मामले की छान बीन की जा चुकी है और कारखाने की मौजूदा जगह से किसी दूसरी जगह उसे ले जाना संभव नहीं समझा गया ।

होसुर, मद्रास जिले में प्लेग

†३२३५. **श्री राजा राम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होसुर, मद्रास राज्य, मे प्लेग का ज़ोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो होसुर, में इस रोग से कितने व्यक्ति पीड़ित हुए और उन में से कितने मर गये ; और

(ग) इस खतरे को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा मद्रास, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने इन राज्यों से प्लेग को आमूल नष्ट करने के लिए समन्वित कार्यवाही करने का निश्चय किया है । मद्रास सरकार ने १ जून, १९६२ से तीन महीने की अवधि के लिए इस विशिष्ट कर्तव्य के लिये एक पदाधिकारी की सेवाऐं उपलब्ध की हैं। इस पदाधिकारी के विशेष वेतन, यात्रा भत्ते आदि की अदायगी से जो अतिरिक्त व्यय होगा वह केन्द्रीय सरकार देगी ।

रायपुर और बिलासपुर जिलों में तारघर

†३२३६. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायपुर व बिलासपुर जिलों में बिलाईगढ़, सिलगा, खरौर, मालखरोदा, डभरा, क्षेत्रों मे जो तारघरों में से २५–३० मील दूर है, वहां लगभग दो-दो लाख लोग रहते हैं, तारघर खोलने के बारे में शासन ने क्या निर्णय किया है ;

(ख) क्या इन स्थानों में तारघर खोलने की लगातार मांग जनता व उन के प्रतिनिधियों द्वारा संचार विभाग से की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) इन स्थानों में तारघरों की मंजूरी देना सुविधाजनक नहीं समझा गया ; अनुमान है कि इनमें से प्रत्येक स्थान की जनसंख्या लगभग २००० या उस से कम है ।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार से मांगें प्राप्त हुई हैं। डाक-तार महाध्यक्ष, नागपुर, ने मालखरोदा में तारघर खोलने के लिये गारंटी की शर्त उन्हें बता दी हैं। शेष मामलों की जांच की जा रही है और उन से संबंधित शर्तें भी उन्हें शीघ्र ही बता दी जाएंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रायपुर और विशाखापटनम के बीच की लूप लाइन

३२३७. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर रायपुर--विशाखापटनम मार्ग पर कोमाखान स्टैशन में लाइन पूर्ण स्टेशन १० वर्षों से बन जाने के बाद भी क्यों नहीं बनायी गयी है ; और

(ख) कोमाखान स्टेशन में दोनों पड़ोस के स्टेशनों से रेलवे तार सम्बन्ध क्यों नहीं स्थापित किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) लूप लाइन बनाकर रायपुर--विशाखापटनम खण्ड के कोमाखान झंडी स्टेशन को ब्लाक स्टेशन में बदलना, यातायात की दृष्टि से जरूरी नहीं समझा गया है ।

(ख) वहां तार नहीं लगाया गया है क्योंकि झंडी स्टेशनों (नान-ब्लाक) पर तार लगाने की जरूरत नहीं होती । फिर भी यह स्टेशन साथ वाले स्टेशन (बाग बहारा) से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है ।

रायपुर जिले में सघन खेती कार्यक्रम

३२३८. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सघन खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत रायपुर जिले के असिंचित क्षेत्रों में लघु सिंचाई या खेतों में पानी देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) इस क्षेत्र में कृषि उत्पाद की बिक्री और परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राय पुर जिले में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये जो छोटे सिंचाई कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं उन में नये कुओं का निर्माण, पुराने कुओं की मरम्मत करना, पंपिंग सैटों को लगाना और तालाबों को बनाना शामिल है । छोटे सिंचाई के तालाबों की मरम्मत करने और मौजूदा तालाबों के लिये जलद्वारों की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया जा रहा है । अनुमान है कि चालू साल (१९६२-६३) के के दौरान में लगभग २७,००० एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा और इस पर लगभग ६.८२ लाख रुपये खर्च होंगे । यहां यह भी बता दिया जाये कि कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई की सुविधाओं को मुहैया करना राज्य सरकारों का काम है ।

(ख) विपणन और परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(१) नई सहकारी विपणन समितियां बनाना । कार्यक्रम के शुरू होने से पहले जिले में ७ समितियां थीं । तब से ११ और समितियां बनाई गई हैं ।

(२) चावल के कारखाने स्थापित करने में सरकारी सहायता । इससे पहले २ समितियों के पास चावल के कारखाने थे । अब यह संख्या बढ़कर ४ हो गई है ।

(३) विपणन समितियों को सरकार से अंश-पूंजी अंशदान मिला है ।

(४) विपणन समितियों को गोदाम बनाने के लिए ऋण और प्रबन्धकीय कर्मचारियों को रखने के लिये उपदान भी मिला है। आशा है कि एक वर्ष के अन्दर ही प्रत्येक समिति के पास एक-एक गोदाम होगा।

(५) ज़िला और खंड स्तरों पर अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था। सप्लाई और उपज को लाने ले जाने के लिये ज़िला स्तर पर एक ट्रक की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार प्रत्येक खंड के लिये एक ट्रैक्टर एवं ट्रेलर की व्यवस्था की जा रही है। उपज के लाने ले जाने के लिये विपणन समितियां अपने परिवहन का प्रबन्ध भी करती हैं।

मद्रास राज्य में नदियों का सर्वेक्षण

†३२३९. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में (१) विद्युत् परियोजनाओं और (२) बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं के लिए किस किस नदी का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) सर्वेक्षणों के क्या परिणाम रहे; और

(ग) कार्यान्विति के लिए इनमें से कौन कौन सी परियोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्टेशनों पर प्रतीक्षालय

†३२४०. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिल्लपुरम से तिरुवणमलै तक की ब्रांच लाइन पर अनेक ऐसे स्टेशन हैं जहां प्रतीक्षालय नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). तिरुवण्णामलै स्टेशन को छोड़कर तिरुवण्णामलै — विल्लपुरम शाखा लाइन के और किसी स्टेशन पर प्रतीक्षालय नहीं हैं। स्टेशनों पर आने जाने वाला ऊंची श्रेणी का यातायात इतना नहीं है जिससे उनके लिए पृथक प्रतीक्षालय बनाना उचित हो।

तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए मुसाफिर खाने उपरोक्त लाइन के सभी स्टेशनों पर हैं।

उत्तर रेलवे स्टेशनों को जल संभरण

†३२४१. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों को जल तालाबों से उपलब्ध किया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने रेलवे स्टेशनों को रेलों के विलयन से पानी तालाबों से संभरण किया जाता था और रेलों के विलयन के बाद कितने स्टेशनों को पानी तालाबों से संभरण किया जाता है ;

(ग) इस काम के लिए कितने तालाब हैं ; और

(घ) क्या इस कार्य के लिए कोई विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २७० स्टेशन ।

(ख) चार स्टेशन, जहां अब पानी नलकूपों से उपलब्ध किया जाता है ।

(ग) १२७ तालाब ।

(घ) हां । आठ विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं ।

आंध्र प्रदेश में भूमि संरक्षण योजनाएं

†३२४२. **श्री द० ब० राजू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष १९६२–६३ के लिए भूमि संरक्षण योजनाओं सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त काल में किन क्षेत्रों को लिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क). आंध्र प्रदेश सरकार ने वार्षिक योजना चर्चा के लिए केन्द्रीय सरकार को वर्ष १९६२–६३ के लिए मिट्टी संरक्षण सम्बन्धी अपने प्रस्ताव भेजे हैं ।

(ख) राज्य सरकार लगभग ४५,००० एकड़ कृषि भूमि और नदी घाटी परियोजनाओं में ५००० एकड़ भूमि लेगी ।

हिन्गोली को वार्धा से मिलाने वाली रेलवे लाइन

†३२४३. **श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्गोली को रेलवे लाइन द्वारा वार्धा से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो लाइन कैसी होगी—छोटी या बड़ी ; और

(ग) प्रस्ताव का कब विचार किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†३२४४. **श्रीमती जमुना देवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

ने बाढ़ नियंत्रण की कितनी तथा कौन-कौन सी योजनाएं प्रेषित की थीं ;

(ख) उनमें से कौन-सी योजनाएं स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ग) उनके लिये कितनी रकम रखी गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश की तीसरी पंचसाला योजना में नीचे लिखी छह 'स्पिल-ओवर' स्कीमें शामिल हैं :

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	तीसरी योजना में की गई व्यवस्था
			(लाख रुपयों में)
१.	शिवना सिंचाई और बाढ़-रोक स्कीम (अनुसन्धान और सर्वे के लिए ही) . . .	२.००	२.००
२.	मध्य प्रदेश की कई जगहों पर बारिश-मापक लगाना	२.६३	१.००
३.	नदी-मापक लगाना . .	२.५०	२.००
४.	गैज-निकासी और तलहट-निरीक्षक केन्द्रों की स्थापना	३.००	२.००
५.	गैज और पानी-निकास-निरीक्षक केन्द्रों की स्थापना .	२.००	२.००
६.	होशंगाबाद में नर्मदा नदी के सेठानी घाट पर बाढ़-रोकथाम के काम . . .	१०.३१	७.००
	कुल . .	२२.४४	१६.००

नई स्कीमों का ब्यौरा राज्य सरकार से अभी नहीं आया। इन स्कीमों के लिए तीसरी योजना में ४ लाख रुपए की व्यवस्था है।

मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना

३२४५. **श्रीमती जमुना देवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मध्य प्रदेश सरकार को ग्राम विद्युतीकरण के लिए कितना धन दिया गया ;

(ख) राज्य में इस बीच कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ;

(ग) तृतीय योजना में कितने और गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना है और

(घ) उसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दूसरी पांचसाला योजना के अरसे में, गांवों में बिजली लगाने के खास उद्देश्य को ही सामने रखकर राज्य सरकार को कोई राशि नहीं दी गई ।

(ख) दूसरी योजना खत्म होते-न-होते ४३९ गांवों में बिजली लग चुकी थी ।

(ग) लगभग १,००० गांवों में ।

(घ) ७.९८ करोड़ रुपए ।

पहाड़ी इलाकों में उठाऊ सिंचाई[1]

†३२४६. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस किस राज्य में, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में, उठाऊ सिंचाई की योजनायें आरम्भ की गई हैं ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही हैं और यथाशीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

कर्ण फूली बांध

†३२४७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १९ मई, १९६२ को ढाका में पाकिस्तानी मंत्री श्री भट्टू के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें भारत पर कर्ण-फूली बांध के निर्माण और उसके परिणामों के बारे में करार न करने का आरोप लगाया गया था ; और

(ख) वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हमने पाकिस्तान मंत्री के कथित वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) वक्तव्य तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं है । भारतीय सर्वेक्षणों की ओर से कोई देर नहीं हुई है । भारत और पाकिस्तान के महासर्वेक्षक तथा भूमि रिकार्डों के महा-निदेशक सहमत हो गये हैं कि पुराने मुद्रण (१९४५) प्रयोग नहीं हो सकते । बाद में, पाकिस्तान के महानिदेशक ने इस करार से बचने का प्रयत्न किया, परन्तु फिर परस्पर सहमत हो गये कि नये चित्र बनाना अनिवार्य है ।

ढौढा डीह रेलवे स्टेशन पर भूमि अधिग्रहण

३२४८. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढौढा डीह रेलवे स्टशनों (इलाहाबाद-कटिहार छोटी लाइन) पर ईंट बनाने के लिये जो जमीन रेलवे ने ले ली थी और जो अब बेकार पड़ी हुई है उसे वापस लेने के लिये स्थानीय किसानों ने जिनकी वह जमीन थी क्या प्रार्थनापत्र दिये हैं ; और

---

[1]Life Irrigation

†मूल अंग्रेजी

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों ने प्रार्थनापत्र दिये हैं और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). शायद माननीय सदस्य का आशय ढौंढा डीह रेलवे स्टेशन से है । जमीन की वापसी के लिए केवल एक व्यक्ति, श्री कालिका प्रसाद मिश्र, की अर्जी आयी है जिन्होंने जमीन का मूल स्वामी होने का दावा किया है । वर्तमान नियमों के अनुसार यदि रेलवे को जमीन की जरुरत न हो और यदि केन्द्रीय सरकार के किसी और विभाग को भी उसकी जरूरत न हो, तो वह जमीन राज्य सरकार को दे दी जाती है । तदनुसार यह जमीन राज्य सरकार को सौंपी जा रही है जो सामान्य ढंग से इसका निपटारा करेगी । उपरोक्त अर्जी भी राज्य सरकार को भेजी जा रही है ।

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति

†३२४९. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सम्बन्धी सलाहकार समिति ने कोई रिपोर्ट दी है ; और

(ख) वर्ष १९६१–६२ में इस चिकित्सा पद्धति सम्बन्धी किस-किस संस्था को केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) सलाहकार समिति से कोई रिपोर्ट पाने की आशा नहीं है । इस समिति की बैठकें समय समय पर होती हैं और यह स्वयं को भेजे गये मामलों पर सरकार को सलाह देती है ।

(ख) १. अथूराश्रामम होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज, कोट्टयम ।

२. बम्बई होम्योपैथिक एजुकेशन सोसाइटी, बम्बई ।

३. आंध्र प्रविंसियल होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज और अस्पताल, गुडीवडा ।

४. मिदनापुर होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज व अस्पताल, मिदनापुर ।

५. श्री एन० के होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज व अस्पताल, कलकत्ता ।

स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सहायता समिति, दिल्ली द्वारा दूध का विक्रय

३२५०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व दिल्ली की स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सहायता समिति को दूध के कुछ डिपो चलाने की स्वीकृति दी गई थी ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अनुमति अब वापस ले ली गई है क्योंकि वे केवल हिन्दी मे हिसाब रखते थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). जब उन शर्तों पर अन्तिम विचार किया जा रहा था, जिन पर कि स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सहायता समिति ने दूध के डिपों को चालाना था, एक कठिनाई, जिसकी ओर समिति ने संकेत किया था, अंग्रेज़ी में हिसाब किताब और विवरण रखने के बारे में थी। समिति चाहती थी कि उसे केवल हिन्दी में ही हिसाब किताब रखने की अनुमति दी जाये। दिल्ली दुग्ध योजना समिति ने बताया कि दिल्ली दुग्ध योजना का समस्त कार्य अंग्रेज़ी में किया जाता है और हिसाब किताब भी अंग्रेज़ी में हीं रखा जाता है। इस सम्बन्ध में समिति के अगले पत्र की प्रतीक्षा है।

कौसी कलां स्टेशन के पास रेल दुर्घटना

३२५१. श्री भक्त दर्शन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ मई, १९६२ की शाम को कौसी कलां स्टेशन के पास बारह गायें और दो भैंसें कट कर मर गईं ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनायें न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी, नहीं। लेकिन २२-५-६२ को शाम के लगभग ४ बजे जब अप ब्रैंक डाउन गाड़ी स्टेशन से गुजर रही थी, तो मवेशियों का एक झुंड जो कौसी कलां स्टेशन के 'ए' वर्ग के समपार पर रुका हुआ था, गाड़ी की सीटी सुन कर बिदक गया और फाटक के दोनों ओर भागता हुआ पटरी पर आ गया। फलस्वरूप २ गाय, २ बछड़े और ४ बैल गाड़ी के नीचे आ कर मर गये। २ बैलों और ३ गायों को चोट आयी जिनमें से ४ की चोटें गहरी थीं।

(ग) समपार फाटक के दोनों ओर ३० फुट की दूरी तक बाड़ लगी हुई है। मवेशियों को रेल की पटरी पर आने से रोकने का एक मात्र उपाय यह है कि समूची पटरी के किनारे बाड़ लगा दी जाय। लेकिन इसमें बहुत खर्च आयगा जिसका औचित्य नहीं है।

सहकारी कृषि समितियां त्रिपुरा

†**३२५२. श्री बीरेन दत्त** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल त्रिपुरा में कितनी सहकारी कृषि समितियां हैं ;

(ख) उनके पास कितनी भूमि है ; और

(ग) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण भूमि ऊसर पड़ी है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) दो।

(ख) २०७६ एकड़।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में पर्यटक कार्यालय

†३२५३. { **श्री ब्रजजीत सिंह :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत सरकार के कितने पर्यटक कार्यालय हैं ; और

(ख) वर्ष १९६१-६२ में उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) आठ।

(ख) लगभग १९,०० लाख रुपये।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर रांची और बांडुमुण्डा के बीच रेलवे लाइन

†३२५४. { **श्री योगेन्द्र झा :**
श्री डेविड मुन्जनी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर रांची और बांडुमुण्डा के बीच रेलवे लाइन का निर्माण छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य एक दम रोकने का क्या कारण है ?

†**रेलवे उप मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रांची-बांडुमुण्डा लाइन पर हतियां-नवागांव सेक्शन पर कार्य नवागांव की ओर ४०वें मील से आगे कार्य मई, १९६२ के मध्य से बन्द कर दिया गया है। यह दूरी कुल ४२ मील की है और कार्य बन्द होने का कारण यह है कि ग्रामवासियों ने भूमि के लिए न दिये गये प्रतिकर की बात उठाई है। रांची के उपयुक्त ने मामले में हस्तक्षेप किया था और लाइन के लिए प्राप्त की गई भूमि के लिए प्रतिकर का तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था की है। प्रतिकर का भुगतान आरम्भ हो गया है और अब ग्रामवासी कार्य में कोई अड़चन नहीं डाल रहे हैं। कार्य २३ मई, १९६२ से पुनः आरम्भ हो गया है।

गुजरात राज्य में टेलीफोन

†३२५५. **श्री मान सिंह पृ० पटेल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य की राजधानी अहमदाबाद में टेलीफोन के कितने कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये हैं ;

(ख) गुजरात राज्य के प्रत्येक राजस्व जिले के मुख्यालय में कितने टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार ने राजधानी सहित प्रत्येक स्थान को दीर्घ काल से न दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों की यह सूची समाप्त करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार अनिश्चित सूची को समाप्त करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) ३५७०।

(ख) एक विवरण (विवरण–१) पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ग) और (घ). राजधानी सहित प्रत्येक स्थान पर संलग्न विवरण (विवरण–२) के बताये गये अनुसार कार्यवाही की जा रही है। **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ४६]** चालू योजना की पूर्ति संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर होगी।

दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यात्रियों के मासिक किराया टिकट

†३२५६. **श्री विशन चन्द्र सेठ :**
श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच मासिक टिकटधारी यात्रियों के किराये में संशोधन करने का प्रस्ताव रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है ताकि यह किराया बम्बई और कलकत्ता मे लिये जाने वाले किराये के बराबर बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निश्चिय होने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पहाड़ी सेक्शन में रेल गाड़ी सेवा में अव्यवस्था

†३२५७. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पहाड़ी सेक्शनों में वर्ष १९६१ मे यात्री गाड़ियां कितनी बार बन्द हुईं ;

(ख) इस अव्यवस्था के क्या कारण हैं;

(ग) आपत्तिग्रस्त यात्रियों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) पिछले पांच वर्षों में उत्तर सीमान्त रेलवे के (१) पहाड़ी सेक्शनों (२) कच्छार में शाखा लाइनों पर और (३) करीमगंज––सिलचर लाइनों पर कितने नये यात्री डिब्बे चलाने आरम्भ किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). पूर्वोत्तर रेलवे के पहाड़ी सेक्शनों में वर्ष १९६१ में यात्री गाड़ियां तीन चार बार बन्द हुईं---दो बार लाइन से उतरने के कारण और एक बार मिट्टी के धसने के कारण । इस के अतिरिक्त छोटी छोटी अड़चनों के २८ मामले और हुए जिनमें से १० मामले रेलवे लाइन से डिब्बों के उतरने के कारण और १८ मामले मिट्टी के धसने के कारण हुए ।

(ग) (१) रेलगाड़ियां उन स्टेशनों पर नियंत्रित की गईं जहां पीने का पानी और अल्पाहार उपलब्ध होता है ; (२) यात्रियों को विकल्प दिया गया कि यदि वे चाहें तो अपनी यात्रा के आरम्भ के स्टेशन तक और किराया दिये बिना यात्रा कर सकते हैं या बाकी यात्रा का किराया वापस ले सकते हैं; (३) रेलगाड़ी बन्द रहने की अवधि में अप्रभावित सेक्शन पर शटल रेलगाड़ियां चलाई गईं ; (४) दुर्घटनास्थल पर यात्रियों और उनके सामान को ले जाने की व्यवस्था की गई ; (५) आपत्तिग्रस्त यात्रियों को, सड़क से सार्वजनिक बसें किराये पर ले कर ले जाने और मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की गई ।

(घ) ४७ नये डिब्बे---११ पहाड़ी सेक्शन पर और करीमगज---सिलचर सेक्शन सहित कछार क्षेत्र में शाखा लाइनों पर ३६ ।

मद्रास राज्य में क्षय रोग की रोकथाम के लिये अग्रिम परियोजना

†३२५८. **श्री उमानाथ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में क्षय रोग की रोक थाम के लिये एक अग्रिम परियोजना आरम्भ करने की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और यह कब आरम्भ की जायेगी ;

(ग) क्या मद्रास सरकार ने इसे लागू करने में सहयोग करने की अपनी अनुमति व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). हां ।

(घ) मद्रास राज्य के उत्तर अर्काट जिले में जिला क्षय रोग नियन्त्रण केन्द्र को राष्ट्रीय क्षय रोग संस्था, बंगलौर से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव अभी वार्ताधीन है और अभी ब्यौरा निश्चित किया जायेगा ।

बिहार में अजम नदी पर बान्ध

†३२५९. **श्री बेसरा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अजम नदी पर पर बान्ध बनाने का प्रस्ताव निश्चित होगया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थान चुन लिया है ; और

(ग) क्या विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये व्यवस्था की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सचदेव समिति की रिपोर्ट

†३२६०. { **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री प्रभात कार :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचदेव समिति ने सिफारिश करने से पहिले पश्चिम बंगाल सरकार की अजीमगंज योजना का विस्तृत अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो अब उस योजना का स्थान अज़ीमगंज से हटा कर कटवा रखना क्यों आवश्यक हो गया है ;

(ग) क्या कटवा में प्रस्तावित योजना की विस्तृत जांच हो गई है और अब उसकी क्या स्थिति है ;

(घ) क्या कटवा में प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता बढ़ा दी गई है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कटवा योजना के लिये विदेशी मुद्रा के संभावित साधन क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (च) : पश्चिम बंगाल के सरकार के प्रतिनिधियों ने समिति को अज़ीमगंज तापीय बिजली घर के बारे में बताया कि उन्होंने कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही, जैसे, स्थान का चुनाव, आदि की है। उन्हें विश्वास है कि बिजलीघर में ५० मेगावाट २ संख्या तापीय विद्युत्-जनक यूनिट तीसरी योजना के अन्त तक या चौथी योजना काल के आरम्भ तक चालू हो जायेंगे। समिति की सिफारिश का आधार यह जानकारी थी कि योजना का विस्तृत अध्ययन किया गया था। इस बीच राज्य सरकार ने उनकी पहिली सिफारिश पर विचार किया है और कटवा में बिजली घर का स्थान रेलवे के कोयला लाने की कठिनाइयां ध्यान में रख कर चुना है। विदेशी मुद्रा का साधन योजना का ब्यौरा तैयार होने और स्वीकृत होने पर ही निश्चित किया जायेगा।

कुम्भ मेले में उत्तर रेलवे की भोजन व्यवस्था

†३२६१. **श्री बा० वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिद्वार में कुम्भ मेले के सम्बन्ध में उत्तर रेलवे के भोजन-व्यवस्था विभाग ने रसद खरीदने पर कितना धन व्यय किया ;

(ख) वहां प्रयुक्त रसद की बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ; और

(ग) कितनी रसद प्रयोग न हुई और उसका कितना मूल्य है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). मेला के समय में केन्द्रीय भोजन स्टोर गोदाम से हरिद्वार को ६२,९३३ रु० के मूल्य का सामान भेजा गया और हरिद्वार में ३,६८८ रु० का सामान खरीदा गया। मेला में बिक्री से ७,४३२ रु० प्राप्त हुए :

(ग) प्रयोग न हुए सामान की मात्रा और उसका मूल्य संलग्न विवरण में दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

बिना टिकट यात्रा

†३२६२. **श्री बा० वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर पूर्व रेलवे के आइजटनगर जिले के एक मजिस्ट्रेट और एक वरिष्ठ अधिकारी ने मई, १९६२ के प्रथम सप्ताह में मैलानी जंकशन पर १५१ अपर और १५२ डाउन रेलगाड़ियों पर छापा मारने के लिये वन विभाग की सेवा सड़कों पर अनाधिकार यात्रा की ;

(ख) क्या एक बड़े छोटे डिब्बे में ७० बिना टिकट के यात्री पकड़े गये ; और

(ग) यदि हां, तो घटना का क्या ब्यौरा है और मामल में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय म उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मई, १९६२ के प्रथम सप्ताह में ऐसा कोई छापा नहीं मारा गया। फिर भी, २१–४–६२ को मैलानी जंकशन पर बाहरी और भीतरी सिगनलों पर क्रमानुसार १५१ अप और १५२ डाउन गाड़ियों पर आइजटनगर जिले के सहायक यातायात अधिकारी ने छापा मारा। सुविधा के लिए विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट ने पास हो अपना न्यायालय लगाना स्वीकार किया। वन विभाग की कोई सेवा सड़क प्रयोग नहीं की गई ।

(ख) और (ग). इस छापे में १५१ अप रेलगाड़ी में ८३ यात्री बिना टिकट के या गलत टिकट के पकड़े गये। ५२ डाउन रेलगाड़ी में १९ यात्री पकड़े गये । १५१ अप गाड़ी में पकड़े गये सारे ८२ यात्री ३ डिब्बों में थे बिठाये गये, अर्थात्, एक प्रथम श्रेणी के, और दो तृतीय श्रेणी के डिब्बों में बिठाये गये और बाहरी सिगनल से मैलानी स्टैशन पर निर्णय के लिये लाये गये ।

वन सम्पदा का अध्ययन

†३२६३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत वन विज्ञान तथा वन संवर्धन के विश्वविद्यालय शास्त्री सर हेरी जी० चैम्पियन आजकल भारत की वन सम्पदा का अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य क्या हे ;

(ग) अब तक उन्होंने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ; और

(घ) वे कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) उनके कार्य का उद्देश्य भारतीय वन संपदा पर लिखी हुई दो पुस्तकों का अर्थात् (१) प्रोलिमिनरी सर्वे आफ दी फारेस्ट टाइप्स आफ़ इंडिया एंड बर्मा बाई० एच० जी० चैम्पियन और (२) मैनुअल आफ इंडियन सिलवीकल्चर बाई एच० जी० चैम्पियन एंड ए० एल० ग्रिफथ संशोधन करना है ; जोकि क्रमशः १९३६ और १९४८ में लिखी गई थीं। इन पुस्तकों का संशोधन राज्य सरकारों के वन विभागों से आधुनिकतम दित्ता इकट्ठा करने के पश्चात् किया जाना है ।

(ग) उन्होंने भारत के वनों का अध्ययन-दौरे समाप्त कर लिये हैं और दोनों पुस्तकों के संशोधन में अपेक्षित अधिकतर जानकारी इकट्ठी कर ली है । अब संशोधित पुस्तकों के अन्तिम प्रारूप लिखे जाने हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं करनी है, परन्तु पुस्तकों के संशोधित प्रारूप भारत सरकार को लगभग ६ महीने में दिये जाने की सम्भावना है ।

सी० एच० एस० डिस्पेंसरी, लक्ष्मीबाई नगर

†३२६४. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सी० एच० एस० एस०) डिस्पेंसरी, नई दिल्ली के प्रभारी डाक्टर से उस क्षेत्र में एक रोगी पर मैपरोब्रोमाइट टैबलौपड दवाई की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन मिला है ;

(ख) क्या किसी निर्माता/संभरणकर्त्ता जो दवाई बनाते हैं संभरण करते हैं और जिसका बुरा प्रभाव हुआ है ऐसी दवाई की कोई और शिकायत मिली है ; और

(ग) प्रभारी मैडिकल अफसर के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) लक्ष्मीबाई नगर की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरी के प्रभारी मैडिकल अफसर से उसी डिस्पेंसरी के एक रोगी के समस्त शरीर पर मैप्रोबेमेट ४०० एकजीएम की टेबलेट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पित्त उछल आने और खुजली होने के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन मिला है।

(ख) कुछ मैडिकल अफसरों से तथा विशेषज्ञों से इस दवाई के असर के बारे में मौखिक शिकायत मिली हैं।

(ग) केन्द्रीय औषधि शोधनशाला में दवाई के किए गए आवश्यक विश्लेषण किए गए हैं। परिणामों से मालूम हुआ है कि दवाई अपेक्षित मिश्रण से बनी है ।

सी० एच० एस० डिस्पेंसरी, लक्ष्मीबाई नगर

†३२६५. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सी० एच० एस० एस०) डिस्पेंसरी, नई दिल्ली के प्रभारी मैडिकल अफसर से, पिम्परी में निर्मित स्ट्रैप्टोमाइसीन की शीशी में असंगत वस्तु होने के बारे में एक प्रतिवेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना डिस्पेंसरी, लक्ष्मीबाई नगर से एक प्रतिवेदन मिला है कि पिम्परी में निर्मित स्ट्रैप्टोमाइसीन के इंजैक्शन की शीशी में न घुलने वाला पदार्थ मिला था। परन्तु यह पदार्थ अगले दिन स्वयं घुल गया। इसलिये और जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया।

बेलरेन रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) की चारदीवारी बनाना

†३२६६. **श्री बा० वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि पूर्वोत्तर रेलवे के बेलरेन स्टेशन पर चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह भी जानती है कि वहां पर रहने वाली सामान्य जनता तथा व्यापारियों को इस दीवार से असुविधा होगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनता के विरोध तथा असंतोष के कारण इस निर्माण कार्य को बन्द कर देने का है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) बेलरैन स्टेशन पर चार-दीवारी नहीं बनाई जा रही है । केवल तार लगाये जा रहे हैं जिससे रेलवे की जमीन पर अनधिकृत कब्जा न होने पाये ।

(ख) जनता को जिससे असुविधा न हो इसलिये रेलवे की भूमि के सामने के मकानों के सामने रेल का तिरछी-बाड़ बनायी जा रही है । अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भोजन में विष के कारण मौतें

†३२६७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भोजन में विष खाने से कितनी मौतें हुई हैं ;

(ख) इस खतरे को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) भोजन में विष खाने से हुई मौतों के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). राज्य सरकारें अपेक्षित जानकारी इकट्ठा कर रही हैं तथा समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाई

†३२६८. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन में परिवार नियोजन संस्था मुंह से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाई "बर्थ पिल" बनाने में सफल हो गई है जिसकी प्रभावोत्पादकता निःसंदेह रूप से सिद्ध हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में ऐसी "बर्थ पिल" बनाने का विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त प्रस्ताव यदि कोई हों तो क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां । सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि १४० स्त्रियों को मुंह से खाई जानी गर्भ निरोधक दवाई 'एनो वलटर" (४ एम जी० एम० वोरोर्थस्टेटोने एसेटेट + ०. ०५ एम०जी० एथिनायल ओयस टरेडिओल) परीक्षा के तौर पर खिलाई गई थी । इन में से किसी ने भी गर्भ धारण नहीं किया और तरीका शत प्रतिशत प्रभावोत्पादक पाया गया । यह बताया गया है कि यह परिवार नियोजन संस्था, लन्दन के परिवार

†मूल अंग्रेजी में

नियोजन क्लीनिकों में मुंह से खाये जाने वाले गर्भ निरोधक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोजेस्टोजन ग्रौपैस्ट्रोजन मिक्सचर है ।

(ख) भारत सरकार ने ब्रिटेन में परीक्षित प्रोजेस्टेशनल स्ट्रोयड सभी मुंह से खाये जाने वाले गर्भनिरोधक पदार्थों के विकास तथा अनुसंधान के पुनरीक्षण के लिए एक समिति बनाई है । समिति ने प्रोजेस्टेशनल स्ट्रौयड को मुंह से खाये जाने वाले गर्भ निरोधक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :

(१) मानव शरीलर में हारमोनों का नाजूक सन्तुलन होने के कारण तथा इन स्ट्रोपडों को लगातार बहुत दिन तक खाने से इस सन्तुलन को नष्ट करने के बुरे प्रभावों के कारण, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि गर्भ निरोधक के लिए इन स्ट्रापडों का इस्तेमाल किया जाये ।

(२) इस ग्रौषधि के मासिक धर्म में गड़बड़ी करने, गर्भपात करने तथा जननशीलता में कम करने के प्राप्त प्रभावों के कारण इसका प्रयोग तथा विद्युत् चिकित्सा कार्यों के लिये डाक्टरी नुस्खे पर करने की अनुमति है तथा ग्रौषधि नियंत्रक (भारत) इस प्रश्न पर ग्रवधि आने पर विचार करेगा । ग्रौषधि नियंत्रक (भारत) इन उत्पादों की भी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में विचार करेगा ।

(३) भारत सरकार को इन उत्पादों पर अनुसंधान कार्य करने की कोई ग्रापत्ति नहीं है परन्तु यह कार्य कठोर नियंत्रित स्थितियों में दक्ष कर्मचारियों द्वारा जननशक्ति नष्ट करने के संबंध में किया जाना चाहिये ।

सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । समिति नये मुंह से खाये जाने वाले गर्भनिरोधक पदार्थों के सामान्य इस्तेमाल के ग्रौचित्य पर भी विचार करेगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन परिवहन

†३२६९. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन परिवहन द्वारा मोटर चलाये जाने योग्य कितने मील सड़कों पर मोटरे चलाई जा रही हैं ;

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन परिवहन कितनी मोटरें चला रहा है ; ग्रौर

(ग) १९६०–६१ में हिमाचल प्रदेश सरकारी परिवहन उपक्रम को कुल कितनी ग्राय हुई तथा लाभ हुग्रा था ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १,४५१ मील

(ख) ४९४ मोटरें

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ग) कुल आय रुपये ८४,०८,३१७

कुल लाभ रुपये ६,१५,३४६

हिमाचल प्रदेश में निजी परिवहन चालक

†३२७०. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन निजी चालकों को माल ढोने के लिये गाड़ियाँ चलाने देता है जब कि इस राज्यक्षेत्र में यात्री और माल परिवहन का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो चुका है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जिस समय परिवहन काफी बढ़ जाता है उस समय हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग निजी ट्रक मालिकों से किराये पर ट्रक लेकर उन्हें राज्य परिवहन उपक्रम को प्रदत्त लाइसेंस के आधार पर चलाता है । हिमाचल प्रदेश में केवल एक निजी चालक को लोक-वाहक करियर परमिट दिया गया है जिसे हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त के निदेशानुसार पहले सिमला–कालका मार्ग के लिये 'स्टेज–कैरेज' परमिट दिया गया था । बाद में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने सम्बन्धित व्यक्ति की सम्मति से यह स्टेज कैरेज परमिट रद्द कर दिया और उस के बदले उसे लोह-वाहक कैरियर परमिट दे दिया ।

हिमाचल प्रदेश मे मोटर चलने योग्य सड़कें

†३२७१. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में तीसरी योजना के लिये सड़क परिवहन हेतु कितना आवंटन है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश में इस समय बन रही मोटर चलने योग्य सड़कों की कुल लम्बाई (मीलों में) कितनी है और वे कब तक बन जायेंगी ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितने मील लम्बी मोटर चलने योग्य सड़कें बनाने का इरादा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १४० लाख रु० ।

(ख) और (ग). हिमाचल प्रदेश में इस समय बन रही मोटर चलने योग्य सड़कों की कुल लम्बाई ५३६ मील है जिस में ४१ मील लम्बी वे सड़कें शामिल हैं जो दूसरी योजनावधि में बनाई गयी थीं और जिन्हें अब चौड़ा किया जा रहा है। यह सारा काम १९६५–६६ के अन्त तक पूरा होने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में परिवहन का प्रशासनिक ढांचा

†३२७२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य-क्षेत्र में परिवहन के प्रशासनिक ढांचे के बारे में परिवहन विकास परिषद् की सिफारिश कार्यान्वित नहीं की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) माननीय सदस्य का निदेश सम्भवतः सड़क परिवहन पुनगठन समिति (जिसे आम तौर पर मसानी समिति कहा जाता है) की सिफारिश से है जिसमें कहा गया था कि सड़कों व सड़क परिवहन के सम्बन्ध में संघ राज्य-क्षेत्र के सचिवालय के एक ही अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाये और राज्य परिवहन प्राधिकार का सचिव विभाग का मुख्य रहे और उसे वह कार्य करने चाहिये जो राज्यों के परिवहन आयुक्त को सौंप जाने का सुझाव दिया गया है। उक्त सिफारिश, जिसका मार्च, १९६० में परिवहन विकास परिषद् ने समर्थन किया था, हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी राय में सड़क विभाग और सड़क परिवहन विभाग के कार्यों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिये पूर्ण समन्वय रखा जाता है और इस व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और कार्य इतना नहीं है कि उसे निबटाने के लिये राज्य परिवहन प्राधिकार में एक सचिव नियुक्त किया जाये। किन्तु मोटर वाहनों पर लगाये गये सभी करों को समेकित करके एक ही कर वसूल करने का कार्य एक अभिकरण अर्थात् हिमाचल परिवहन प्रशासन के परिवहन विभाग को सौंपने के बाद के प्रस्ताव को देखते हुए इस सचिव की नियुक्ति का प्रश्न अब प्रशासन के विचाराधीन है।

१९६० में हुई आम हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

†३२७३. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन ने मांग की है कि जुलाई, १९६० में हुई आम हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध बदले की भावना से जो कार्यवाही की गई उसकी जांच करने के लिये एक तदर्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस सम्बन्ध में यूनियन से कोई अधिकृत पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में भूमि को कृषियोग्य बनाना

†३२७४. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में बाढ़ आदि के पानी के अन्तर्गत आने वाली कितनी एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कितनी भूमि को कृषियोग्य बनाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजनायें बनाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (घ). केरल सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में पीने के पानी का अभाव

†३२७५. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुट्टनद के बड़े क्षेत्रों और केरल के अन्य तटीय क्षेत्रों में पीने के पानी का भीषण अभाव है ;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुट्टनद में पीने के पानी की आवश्यकता व उपलब्धि का कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया है अथवा केरल सरकार से यह सवक्षण करने की प्रार्थना की है ;

(ग) इस बात को देखते हुए कि इस क्षेत्र में पीने के पानी का भीषण अभाव सदा ही रहता है क्या सरकार कुट्टनद की जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देने का इरादा रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). जब इस सम्बंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा तब उस पर उचित विचार किया जायेगा ।

उड़ीसा में हल्दीपाड़ा और बस्ता के बीच लेवल क्रासिंग

†३२७६. **श्री गो० महन्ती** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे प्राधिकारियों को १९६०–६१ और १९६१–६२ में उड़ीसा के हल्दीपाड़ा और बस्ता स्टेशनों के बीच कुछ स्थानों पर 'लेवल क्रासिंग' बनाने के लिये ज्ञापन प्राप्त हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन ज्ञापनों पर विचार किया गया था और क्या निर्णय किया गया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). सितम्बर, १९६० में दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन को हल्दीपाड़ा ग्राम पंचायत की ओर से बालासोर के अतिरिक्त जिलाधीश के माध्यम से मील १३५/६ पर एक नया 'लेबल क्रासिंग' बनाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस समबार की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु उसमें ९००० रुपये तो प्रारम्भ में खर्च होंगे और

†मूल अंग्रेजी में

५०० रुपये आवर्तक संधारण प्रभार के रूप में खर्च होंगे। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत यह समस्त व्यय राज्य सरकार अथवा स्थानीय असैनिक प्राधिकारी को वहन करना होगा। यह स्थिति राज्य सरकार को बताई जा चुकी है परन्तु उसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मैसूर राज्य में माल प्रभा परियोजना

†३२७७. **श्री चन्द्रिकी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मैसूर राज्य की माल प्रभा परियोजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई थी परन्तु इस योजना के कार्य में अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना को अभी तक प्रविधिक मंजूरी नहीं मिली है ;

(ग) यदि हां, तो यह मामला कितने वर्षों से विचाराधीन है ;

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और वास्तविक कार्य कब प्रारम्भ होने की आशा है ; और

(ङ) उसके पूर्ण होने में कितने वर्ष लगेंगे और उससे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मालप्रभा परियोजना को एक नई योजना के रूप में तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है और उसका अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदन किया जाना बाकी है।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना पर प्रविधिक मन्त्रणा समिति की अक्टूबर और दिसम्बर, १९६१ में हुई बैठकों में विचार किया गया था और राज्य सरकार से प्रतिवेदन में समिति की सिफारिशों के अनुसार परिवर्तन करने के लिये कहा गया था।

(घ) राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना देने के लिये कहा गया था जो उसने दे दी है। अब परियोजना प्रतिवेदन को प्रविधिक मन्त्रणा समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा।

(ङ) परियोजना के चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूर्ण होने की आशा है तथा उससे लगभग तीन लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की तरक्की

†३२७८. **श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत नियोजित कमचाचारियों और अधिकारियों की तरक्की लिये कोई नियम बनाये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस रेलवे सुरक्षा बल के उच्च अधिकारियों का प्रवरण अभी भी पुराने नियमों के अनुसार किया जा रहा है और नये अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्मित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ग) क्या मध्य रेलवे के लिये उच्च अधिकारियों के पुराने नियमों के अन्तर्गत प्रवरण के सम्बन्ध [illegible] वे बोर्ड द्वारा आपत्ति की गई थी और उसे इस आधार पर रोक दिया गया था कि ऐसा प्रवरण [illegible] के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ऐसे प्रवरण के अभी तक पुराने नियमों के अन्तर्गत किये जाने के क्या कारण हैं जबकि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत नियम १९५९ से लागू हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की तरक्की के नियम रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत निर्मित रेलवे सुरक्षा बल विनियमों में सन्निहित हैं। परन्तु उच्च अधिकारियों की तरक्की के लिये नियमों को अभी संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है। इस बीच ऐसी तरक्कियां भारतीय रेलवे स्थापना संहिताओं में सन्निहित उपबन्धों के अनुसार की जा रही हैं।

(ग) नहीं श्रीमान्।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

आगरा का वाटर-वर्क्स

†३२७९. **श्री रा० ना० चतुर्वेदी** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आगरा के वाटर वर्क्स को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है क्योंकि जमुना का पानी ओखला में ही अधिकतम मात्रा में निकाल लिया जाता है ;

(ख) क्या इस समस्या को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को मन्त्रणा के लिये निर्दिष्ट किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कमीशन ने क्या सिफारिशें की थी और उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने आगरा में जमुना नदी पर एक बांध बनाने की सिफारिश की थी। नदी के तल में परीक्षात्मक छिद्रण के लिये प्राक्कलन आगरा निगम को अगस्त, १९६१ में अनुमोदन और धन के आवंटन के लिये पेश किये गये थे। उत्तर प्रदेश सरकार आगरा निगम के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है।

फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन पर व्यापारियों के लिये माल डिब्बे

†३२८०. **श्री रा० ना० चतुर्वेदी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यापारियों द्वारा फतेहपुरी सीकरी रेलवे स्टेशन पर पूरे भार के माल डिब्बों और 'नॉमिनेटेड डे वॉन्स' प्राप्त करने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रेलवे की कुल माल डिब्बों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन की माल डिब्बों की मांग पूरी करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय विमान सेवा निगम के सेवा विमानों में दिया जाने वाला भोजन

†३२८१. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय विमान सेवा निगम के सेवा-विमानों में शाकाहारी यात्रियों को जो भोजन दिया जाता है उसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं होते है ; और

(ख) क्या उनके भोजन में वर्तमान माड़ीयुक्त पदार्थों के स्थान पर वनस्पति-प्रोटीन और दुग्ध-प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करने के लिये कोई कदम उठाया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). भारतीय विमान-सेवा निगम विमान यात्रियों को सदा पौष्टिक भोजन देने का प्रयत्न करता हैं। शाकाहारी भोजन की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि वह भारतीय और पश्चिमी दोनों ढंगों की आवश्यकता पूरी कर सके और उनमें प्रोटीन का प्रतिशत भी ऊंचा रहे। निम्नलिखित कुछ पदार्थ ऐसे दिये जाते हैं जिनमें प्रोटीन काफी मात्रा में होता हैं: मटर पनीर कढ़ी, फिरनी, फ्रेंच बीन्स, नट रोस्ट, रसगुल्ला आदि। निगम ने शाकाहारी भोजन के लिये मेनू बम्बई के कालेज आफ केटरिंग एण्ड इन्स्टीट्यूशनल मेनजमेंट के साथ परामर्श करके तैयार किया हैं।

त्रिवेंद्रम के आंखों के अस्पताल में 'आप्टीशियनों' का प्रशिक्षण

†३२८२. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम के आंखों के अस्पताल (आपथेलमिक हास्पिटल) में 'आप्टीशियनों' के प्रशिक्षण के लिये एक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह पाठ्यक्रम कितने समय का हैं और कब चालू किया गया था ;

(ग) क्या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर कोई परीक्षा ली जाती है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, हां।

(ख) पाठ्यक्रम दो वर्ष का हैं और वह १५ जुलाई, १९६० को शुरू हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विद्यार्थियों के पहले दल का प्रशिक्षण जुलाई, १९६२ में पूरा होगा।

आंध्र प्रदेश में विद्युत् परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा

†३२८३. **श्री लक्ष्मी दास :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये मंजूर की गई समस्त विद्युत् परियोजनाओं के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ;

(ख) अभी तक कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) शेष विदेशी मुद्रा की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय म राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लगभग २७.६ करोड़ रुपये ।

(ख) ६.२ करोड़ रुपये ।

(ग) रामगुडम विस्तार और कोठागुडम थरमल स्टेशन को जिनके लिये लगभग ११.५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की जरूरत है और जिनके लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता मांगी गई है, उस अभिकरण ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। अन्य योजनाओं, जैसे नागार्जुनसागर, श्री सैलम और अपर सिलेरू स्टेज २, की प्रगति अभी इतनी नहीं हुई है कि उनको विदेशी मुद्रा दी जा सके :

आन्ध्र प्रदेश से सिंचाई और विद्युत् परियोजना प्रतिवेदन

†३२८४. **श्री लक्मी दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त तीसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी योजनाओं के सिंचाई और विद्युत परियोजना प्रतिवेदन कौन से हैं जो अभी तक भारत सरकार के अनुमोदन के लिये विचाराधीन है ; और

(ख) उनके अनुमोदन में विलम्ब के क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख) आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]**

हैदराबाद—मसलीपट्टम राजपथ

†३२८५. **श्री लक्मी दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हैदराबाद-मसलीपट्टम राजपथ पर बहुतसी दुर्घटनायें इस कारण हुई है कि उसकी चौड़ाई केवल १२ फीट है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सड़क की चौड़ाई १२ फीट से २० फीट करने का कोई प्रस्ताव रखा गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) कुछ दुर्घटनायें हुई है जैसाकि किसी भी सड़क पर हो सकती है परन्तु वे इस कारण नहीं हुई हैं कि उसकी चौड़ाई १२ फीट है ।

(ख) और (ग) १९५९ में सड़क की चौड़ाई मील ५१ और ७४ तथा १०१ और ११६ के बीच १२ फीट से बढ़ा कर २२ फीट करने के लिये १७.२६ लाख रुपये की लागत के दो कार्य मंजूर किये गये थे और कार्य प्रायः समाप्त हो चुका हैं। सड़क को मील १७ और ३७ के बीच चौड़ा करने के लिये दो प्रस्ताव और तैयार किये गये हैं परंतु उनको धन की कमी के कारण मंजूर नहीं किया जा सकता हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैदराबाद–मसलीपट्टम सड़क पर पुल

†३२८६. **श्री लक्मी दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नालगोंडा जिले में हैदराबाद-मसलीपट्टम सड़क पर मील संख्या ३५ पर एक पुल तीन वर्ष पूर्व भारी वर्षा के कारण नष्ट हो गया था ;

(ख) उसका पुनर्निर्माण का कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि अब कोई कार्य शुरू किया गया है तो वह कब तक पूर्ण होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य हैदराबाद-मसलीपट्टम सड़क के मील ३५/४ पर के पुल से है जो जून, १९६० में बह गया था। पुल के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है और प्रायः समाप्ति पर है। पुल को यातायात के लिये शीघ्र खोल दिये जाने की आशा है।

भाखड़ा बांध

†३२८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध के मजदूरों के सम्मान में एक मूर्ति स्थापित करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) जी हां।

(ख) भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड ने ब्यौरा तैयार करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की है।

भाखड़ा बांध

†३२८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने भाखड़ा बांध पर दर्शकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये १२ लाख रुपये आवंटित किये है ; और

(ख) यदि हां, तो उपबन्ध की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्यटन के विकास की योजना में भाखड़ा बांध पर गोविंदसागर में पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था के लिये १२.०० लाख रुपये का उपबंध सम्मिलित है। वहां निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है। विश्रामगृह, जलपानगृह, मंडप, नौकाविहार की सुविधा और जलक्रीड़ा (वाटर–स्काईंग)।

राज्यों को कृषि विकास के लिये ऋण

†३२८९. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की वित्तीय वर्ष १९५७-५८ से १९६१–६२ तक कृषि विकास के प्रयोजन के लिये दिये गये ऋणों का वार्षिक राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रायतन राज्यवार कितने ऋणों की वसूली हुई है ; और

(ग) क्या सरकार का राज्यों में सहकारी आन्दोलन की जांच कराने और आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये मार्गोपाय अपनाने के लिये एक समिति स्थापित करने का विचार है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)। (क) और (ख).खाद्य तथा कृषि मंत्री आवश्यक सूचना उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख देंगे।

(ग) नहीं श्रीमान्। सरकार ने हाल में सहकारी ऋण के संबंध में एक समिति और सहकारी कृषि के सम्बन्ध में कार्यकारी दल नियुक्त किया था। उस समिति तथा कार्यकारी दल के प्रतिवेदन तथा उनपर सरकार के निर्णय सभा-पटल पर रखे जा चुके है। अब इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाये जा रहे है।

हावड़ा डिवीजन में कर्मशियल क्लर्कों की तरक्की

३२९०. श्री मुहम्मद इलियास ।
श्री बीनन भट्टाचार्य

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में कर्मशियल क्लर्कों को १८ वर्षों की सेवा हो जाने पर भी तरक्की नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में कर्मशियल क्लर्कों की तरक्की

†३२९१. श्री मुहम्मद इलियास :
श्री बीनन भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् समस्त क्षेत्रीय रेलवे कर्मशियल क्लर्कों को तरक्की देने के मामले में समान नीति का पालन करेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मशियल क्लर्कों की तरक्की वरिष्ठता के आधार पर होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्व रेलवे के अधिकारी भिन्न नीति अपना रहे है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यारा क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ).सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक संभरण के लिये व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई

†३२९२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कुछ व्यक्ति, उनकी फ़र्म द्वारा उर्वरकों के संभरण के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध आरोप तैयार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कार्रवाई किस अवस्था में है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामले के सम्बन्ध में अभी पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है।

चम्बल परियोजना में मस्टर रोल का गायब हो जाना

३२९३. **श्री बेरवा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल परियोजना में १९६० फ़रवरी को डिस्ट्रीब्यूटरी संख्या १ में १८७८ रुपये की कोई मस्टर रोल गायब हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). चंबल परियोजना, कोटा, में फरवरी १९६० में डिस्ट्रीब्यूटरी डिवीजन संख्या १ में १८७८ रुपये के मस्टर-रोल के गुम होने की कोई सूचना नहीं है। हां, १८७८.६९ रुपये के चार वेतन-बिल किसी व्यक्ति ने चुराए जरूर थे। ये बिल, चंबल परियोजना, कोटा के डिस्ट्रीब्यूटरी डिवीजन संख्या १ के उपडिवीजन सं० ४ के स्टाफ के फरवरी १९६० के वेतन के बारे में थे और कोटा के कोष अधिकारी ने इन्हें बाकायदा पास किया हुआ था। चुराने वाले व्यक्ति ने संबद्ध सहायक इंजीनियर की जाली दस्तखत करके इन बिलों की रकम वसूल कर ली। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि बैंक के खिलाफ़ इस बात के लिए क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी कि उस बैंक ने सहायक इंजीनियर के नमूने के दस्तखतों से मिलान न करने की लापरवाही क्यों बरती और एक अनधिकृत व्यक्ति को रकम का भुगतान क्यों किया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित

---

†मूल अंग्रेजी में ।

लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं :

> "१४ जून १९५२ को पूर्वी पाकस्तिान क राजशाही जिले के निष्क्रमणार्थियों पर जो भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा कथित गोली चलाये जाने की ओर जिसके फलस्वरूप १२ व्यक्ति मारे गए और अन्य कई घायल हुए।"

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : सरकार ने यह समाचार देखा और हम सुबह से सीधे पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। १०.४५ बजे टेलीफ़ोन से हमें निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :

> "१५ तारीख को प्रात : ३ म० पू० बजे जबकि मालदा के उन क्षेत्रों के जो विभाजन के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे ६०० सन्थाल शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान के हाल के दंगों से डर कर राजशा ही से आनन्दपठार नामक स्थान पर मालदा में प्रवेश कर रहे थे उन पर पूर्वी पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा गोली चलाई गई। परिणास्वरूप दो संथाल मर गए और आठ गम्भीर रूप से घायल हुए। बाद में आठ घायलों में से दो व्यक्ति और मालदा अस्पताल में ले जाये जाते समय रास्ते में मर गए जिससे मृत व्यक्तियों की संख्या चार हो गयी और घायलों की छः। जिला अधिकारियों ने उन घटनाओं की मालदा में प्रतिक्रिया को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये हैं। राज्य सरकार इस विषय में पाकिस्तान सरकार से तार द्वारा ज़ोरदार विरोध प्रकट कर रही है।"

हम और अधिक तथ्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहें हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाले नोटिस पर जरूरी नहीं कि प्रत्येक माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दूं। जो जानकारी अभीष्ट थी वह दे दी गयी है। और वह काफी है। इसके अतिरिक्त उन्हें अभी अभी टेलीफ़ोन पर ही सूचना प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री को और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। इस समय इस बारे में और कुछ नहीं हो सकता।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा है परन्तु बहुत से माननीय सदस्य यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर हमारे उच्च आयुक्त ने इस सम्बन्ध में सूचना क्यों नहीं दी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर): यदि केवल वही सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे जिनके नाम नोटिस में होंगे तो बहुत से माननीय सदस्य अपना नाम नोटिस में देना चाहेंगे।

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : मेरा मत यह है कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। परन्तु यदि यह सम्भव नहीं तो प्रश्न ही पूछने की अनुमति दी जाए।

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा औचित्य प्रश्न है श्रीमान जी। इससे ज्यादा और कोई जरूरी बात हो सकती है, ऐसा हमें महसूस नहीं होता है। मैं अर्ज करना चाहता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

हूं कि जिस तरह से आपने रेलवे एक्सीडेंटस पर डिसकशन के लिए दो-ढ़ाई घंटे रख दिये हैं उसी तरह से जो कभी चाईना वाले मार जाते हैं, कभी नागा मार जाते हैं; कभी पाकिस्तान वाले मार जाते हैं, उस पर भी डिसकशन के लिए दो-ढ़ाई घंटे रखे जायें ताकि सारा हाउस इस पर विचार कर सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : बात ठीक है, परन्तु यदि सब माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमती दी गयी तब भी उनका नियन्त्रण तो करना ही होगा। जानकारी तो प्राप्त की जा सकती है परन्तु उसे पूरी चर्चा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये। खैर मैं विचार करूंगा कि मैं कितने माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट कर सकता हूं। इस बारे में प्रक्रिया के बारे में भी परामर्श से निश्चय कर लिया जाय।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रत्येक दल के एक व्यक्ति को एक प्रश्न पूछने की अनमति दी जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रक्रिया के बारे में हम निश्चय बाद में करेंगे परन्तु प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं प्रश्न पूछने से पूर्व आपके द्वारा माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्या आज जो लोग भाग कर आ रहे हैं उनसे यह तो नहीं लगता कि पूर्वी पाकिस्तान में कोई व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक हिंसा होने वाली है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पूछने से पूर्व, जानकारी प्राप्त होने तक यदि प्रतीक्षा कर लें।

†**श्री त्यागी** : क्या आप इस विषय पर दो घंटे की चर्चा की अनुमति दे देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में सरकार की राय भी लेनी होगी।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट) : अभी ४ जून को प्रधान मंत्री ने कहा था कि सब ठीक ठाक है परन्तु अब कहा जा रहा है कि वहां भय का वातावरण है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें अपने सभी उपलब्ध साधनों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उनसे यही अनुमान लगाया गया है कि स्थिति अब सामान्य है। वैसे १० बज कर ४५ मिनट पर जो सूचना मुझे मिली है वह मैंने सदन को बता दी है, और तथ्य प्राप्त करने का यत्न किया जा रहा है। परन्तु अभी हाल जो कुछ कहा गया है इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : उस समय तो यह कहा गया था कि हजारों लोग भारत आने के लिए बैठे हैं; परन्तु सीमा बन्द है। इस प्रश्न को प्रस्तुत किया गया, तो हमें बताया गया, सब

---

†मूल अंग्रेजी में

ठीक ठाक है। अब पता लग रहा है ६०० सन्थाल इधर आने के प्रयत्न कर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कोई पृष्ठभूमि है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा सुझाव यह है कि सरकार को कहा जाये कि वह और अधिक तथ्य इकट्ठे करे। मैं इस मामले को सोमवार तक अविलम्बित रखूंगा। उस समय देखेंगे इस पर प्रश्न पूछे जाने चाहियें अथवा चर्चा करनी चाहिये। इस समय हमारे पास कोई अधिकृत तथ्य नहीं हैं। अतः इस समय इस पर इतना ही होगा। अब पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्थायी सिन्धु आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** मैं स्थायी सिन्धु नदी आयोग के ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १९८/६२।]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : मुझे अपने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में दिये गये नोटिस का कुछ पता नहीं चला।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मेरे पास आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर में शुद्धि

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० क० पाटिल)** : ८ मई १९६२ को श्रीमती रेणुका राय के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने निम्नलिखित बात कही थी :

> "हमें पता चला है कि समवाय जिसका अभी उल्लेख किया गया है, यह काम कर रहा है। वह सार्थ के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ कानूनी कठिनाइयां हैं। मैं उन सब को सविस्तार नहीं बताना चाहता क्योंकि मामला अदालत में है।"

> "वास्तविक स्थिति यह है कि जो कुछ महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने बताया है कि अभी मामले की पुलिस जांच हो रही है और अभी किसी व्यक्ति अथवा समवाय के विरुद्ध अदालती कार्यवाही नहीं की गयी।"

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)** : मुझे सभा को यह बताना है :—

कि सोमवार १८ जून, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(१) १९५९–६० के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

(२) १९५९–६० के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)

(३) राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

(४) अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधयक, १९६२

(५) सर्वश्री श्रीनारायण दास और सिंहासन सिंह द्वारा पेश किया जाने वाला निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में रूप-भेद के लिए प्रस्ताव

(६) सीमा शुल्क विधेयक, १९६२— **प्रवर समिति को सौंपने के लिये**

(७) शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्ताव पश किये जाने पर अप्रैल, १९६०—मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवेदन

(८) श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा पेश किया जाने वाला भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में रूपभेद के लिए प्रस्ताव

(९) औषध (संशोधन) विधेयक, १९६२, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(१०) हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक, १९६२।

मुझे यह भी बताना है कि हाल ही के रेलवे दुर्घटनाओं पर सर्वश्री नाथपाई और नम्बियार द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने पर सोमवार, १८ जून, १९६२ को ४—०० म०प० बजे से ६—०० म० प० बजे तक चर्चा होगी।

वित्त (संख्या २) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम वित्त (संख्या २) विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड २।

खंड २—आयकर तथा अधिकर

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३१ में से "clause (IV) or" ["खण्ड (४) या"] निकाल दिया जाये। (४४)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३६ में से "clause (IV) or" ["खण्ड (४) या"] निकाल दिया जाये ; (४४)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े** (खारगांव) : मैं अपने संशोधन संख्या १, २, ३, ४, ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं।

जो संशोधन मैंने पेज २५ पर दिया है उसका तात्पर्य यह है कि टोटल इनकम के बजाए नेट इनकम पर कर लगाया जाए, यानी खर्चा काट कर जो नेट इनकम बचे उस पर कर लगाया जाए।

पेज २६ पर जो मैंने संशोधन दिया है उसका तात्पर्य यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन को एक्सक्लयूड न किया जाए। इसको इस वास्ते एक्सक्लयूड किया गया है कि यह दिखाया जा सके कि यह बिज़नेस फायदे में चल रहा है। वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन का जो बिजनेस चल रहा है उसके अन्दर बड़ा घोटाला है। यह बोगस बिजनेस चल रहा है। इसमें एक साल का लेप्स नहीं निकाला जाता बल्कि जब से लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन बना है यानी जब से लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया है उस समय से लेप्स निकाला जाता है। इससे यह प्राफिटेबिल मालूम पड़ता है और इसको प्राफिटेबिल बतलाने के लिये ही इसको एक्सक्लयूड किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर टैक्स लगाया जाए और फिर देखा जाए कि यह प्राफिट में चलता है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट शैड्यूल में इनकम टैक्स की लिमिट के बारे में यह कहा गया है :—

> "कि प्रत्येक हिन्दू अविभक्त परिवार के मामले में १५,००० रुपये और अन्य हर मामले में ७५०० रुपये।"

अभी तक ज्वाएंट हिन्दू फैमिलीज पर टैक्स नहीं लगता था और लगता भी था तो कम लगता था लेकिन अब उन्होंने अनडिवाइडेड हिन्दू फैमिली पर यह कंडीशन डाल दी है कि उसमें कम से कम दो मेम्बर्स पार्टीशन क्लेम करने के हकदार हों और जो कि १८ साल से कम न हों। अब सरकार इनकम टैक्स लगाने के लिये यह प्ली लेती है कि आजकल लोगों की इनकम बहुत बढ़ गयी है लेकिन मैं अपने साथ यहां पर एक ईस्टर्न एकोनामिस्ट पेपर लाया हूं जिसमें कि इनकम का पैट्रन दिया गया है। उसमें ३००० से लेकर २०,००० का पैट्रन दिया है कि रिएल इनकम प्री वार कितनी होती है और आजकल वह कितनी इनकम होती है। उसके अनुसार सन् १९५२–५३ में ३००० रुपये की २३९८ इनकम आती है और प्री वार लेविल पर वह ६३० रुपये आती है। १५,००० रुपये सन् ५२–५३ में ११,०४० होते हैं और प्री वार वह २,९०१ रुपये होते हैं। इसलिये दरअसल देखा जाय तो रिएल इनकम बढ़ी नहीं है। वैसे रुपये आने में इनकम लोगों की अवश्य बढ़ी है लेकिन पहले के मुकाबले परचेजिंग वैल्यू रुपये की काफी कम हो गयी है। हलांकि इनकम १५००० रुपये है तो भी प्री वार इनकम वह केवल २९०१ रुपये ही है। इसी वास्ते मैंने अमेंडमेंट दिया है कि यह ७५०० के बजाय १०,००० रुपये होना चाहिए।

इसके अलावा मैंने एक यह भी अमेंडमेंट मूव किया है कि फर्स्ट शैडयूल में पेज २६ पर पैराग्राफ डी जो दिया हुआ है वह ओमिट होना चाहिये। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया का जो बिज़नैस चल रहा है वह बोगस चल रहा है और उसमें बहुत लैप्सेज होते हैं। एक साल के लैप्सेज तो बतलाते नहीं हैं दस साल के लैप्सेज बतलाते हैं। बोगस बिजनैस बतला कर प्राफिट बतलाते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन पर टैक्स लगा कर देखना चाहिए कि आया इसमें वाकई प्राफिट होता है या नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने १ से लेकर ६ तक अमेंडमेंट मूव किये हैं। इनके अलावा और कोई तो आपका अमेंडमेट नहीं है।

श्री बड़े : फर्स्ट शैडयूल पर मैंने यह अमेंडमेट मूव किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं अपने संशोधन संख्या २६, ३२ और ३३ प्रस्तुत करता हूं ।

आयकर और अधिकर बढ़ाने के लिये वित्त मन्त्री ने जो प्रस्ताव किये हैं, मैं उन का विरोध करता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हुं :

पृष्ठ २८, पंक्ति ८—

"this Paragraph" [इस कंडिका] के बाद "and Part III of this Schedule" [और इस अनुसूची का भाग ३] जोड़ दिया जाये । (५०)

यह संशोधन भी स्पष्टीकरण के लिये है ।

श्री बड़े ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, वे फालतू हैं और मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री प्र० के० देव के संशोधन भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, २, ३, ४, ५ और ६ मतदान के लिये रख गये तथा अस्वीकृत हुये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २६, ३२ और ३३ भी मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सरकारी सशोधन संख्या ५० मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ २८, पंक्ति ८, ९

"this Paragraph" ["इस कंडिका"] के बाद "and Part III of this Schedule" [और इस अनुसूची का भाग ३] जोड़ दिया जाये । (५०)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड-२ और पहली अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ और पहली अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ३ (धारा २ का संशोधन)

†**श्री प्र० के० देव** : मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं । यह अधिक उचित होगा यदि करारोपण १२ मासों के लाभ के स्थान पर ६ मासों के लाभ तक सीमित रक्खा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है।

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

(खंड ५—धारा ७० और ७१ के स्थान पर नई धारायें रखना)

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं :

†**श्री मोरारका** (झुंझनु) : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं।

चूंकि अल्प कालीन पूंजी लाभों और अन्य व्यापारिक आय का अन्तर जहां तक दरों का सम्बन्ध हैं खत्म किया जा रहा है इसलिये अल्पकालीन पूंजी लाभों की हानियों को किसी भी अन्य आय से पूरा करने की अनुमति दे दी जानी चाहिये।

अल्पकालीन पूंजी व्यवहारों से जो हानियां होती है उन्हें अन्य आय से पूरा कर देना चाहिये। यदि आप इस वर्ष इसे नहीं पूरा करते तो वे अगले वर्ष आगे ले जाई जायेंगी और अगले वर्ष यदि अल्प कालीन पूंजी लाभ हो तो आप इस हानि को उस लाभ में से पूरा करने देंगे। यदि आप इस हानि को पूरा करने नहीं देंगे तो अगले वर्ष की आय पर ऊंची दर पर कर लगता। इस का मतलब यह है कि आप ऊंची दर से हानि को पूरा करने दे रहे हैं परन्तु उसी वर्ष में कम दर पर हानि पूरी नहीं करने देंगे।

अल्पकालीन पूंजी लाभों को सट्टे के लाभ से भिन्न समझा जाना चाहिये इसी प्रकार अल्पकालीन हानियों को भी सट्टे की हानियों से भिन्न समझा जाना चाहिये।

विधेयक की धारा ७१ (२) में है। यदि किसी और शीर्षक में हानि होती हैं तो वह हानि अल्प-कालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा किया जा सकता है। परन्तु यदि अल्पकालीन पूंजी लाभों में हानि हो तो किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आय से पूरा नहीं किया जा सकता। यह अन्तर क्यों हैं? मेरे संशोधन को मंजूर किया जाना चाहिये और पूंजी हानियों को किसी भी आय से पूरा करने दिया जाना चाहिये। आशा है कि यदि सम्भव है तो वित्त मंत्री इस संशोधन को मंजूर कर लें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : तीनों संशोधन एक ही प्रकार के हैं। वे यही चाहते है कि पूंजी हानियों को व्यापार आय से भी या अन्य आयों से भी पूरा करना चाहिये। श्री मुरारका की युक्तियों को मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। जब हम कहते हैं कि इन चीजों को सट्टे की हानियों की तरह समझा जाता हैं तो उन्हें इस की संगति की ओर ध्यान देना चाहिये। एक ही वर्ष में खरीदना और बेचना नियोजन नहीं होता है। यह तो सट्टे की तरह होता है ; परन्तु हम इसे 'सट्टा' नहीं कहते। सट्टा हानियों को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

व्यापार आमदनियों में से पूरा नहीं करने दिया जाता। इसी प्रकार इन हानियों को भी व्यापार आमदनियों में से नहीं पूरा किया जाता। पूंजी लाभों को राजस्व के लाभों से भिन्न समझा जाता है। हम पूंजी लाभों पर कर की ऊंची दर चाहते हैं क्योंकि वे अचानक प्राप्त हुई धन राशि हैं। वे कमाई हुई चीज नहीं हैं परन्तु सट्टे की तरह है। इस लिये उन पर कर अधिक होना चाहिये। मान लीजिये एक व्यक्ति को व्यापार में एक लाख रूपये की आमदनी है और पूंजी लाभों से ५०,००० रूपये की आय है यदि मैं ५०,००० रुपये एक लाखरुपये में जोड़ दूं तो उसे एक लाख रुपये पर भी ६७ प्रतिशत की दर से देना पड़ेगा। मान लीजिये यदि मैं यह मामला उठाऊं तो क्या वह मानने के लिये तैयार है कि यह उचित होगा? यदि व्यापार आय पर आय-कर दर पर विचार करने के लिये इस आय को व्यापार आय के साथ जोड़ दिया जाये तो इन हानियों को पूंजी लाभों में से पूरा करने के लिये कोई औचित्य नहीं है। यदि वे मेरी बात नहीं मानते तो हम मतभेद पर सहमत हैं।

†**श्री मुरारका** : मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यदि आप ऊंचे दर वाली आय में से हानि पूरी करने दिये जाने के लिये तैयार है तो छोटी दर वाली आय में से हानि क्यों नहीं पूरी करने दी जाती ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : क्यों कि पूरा करने के लिये कुछ नहीं होगा।

†**श्री मुरारका** : तो हानि आगे ले जायेगी।

†**श्री मोरारजी देसाई** : तो वे समाप्त हो जायेंगे :

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या ८, १७ और १८ को सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संख्या ८, १७ और १८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह हैं :—

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६

†**श्री मोरारजी देसाई** : पृष्ठ ५ पंक्तियां २५ से ३०—

"wholly set off against income under any head of income other than 'Capital gains' or, in accordance with the option exercised by the assessee under sub-section (2) ofsection 71, is not set off against income under the head ' Capital gains ', so much of the loss as has not been so set off"

शब्दों के स्थान पर

" or is not wholly set off against income under any head of income in accordance with the provisions of section 71, so much of the loss as

†मूल अंग्रेजी में

has not been so set off or, where the assessee has income only under the head 'Capital gains' and has exercised the option under sub-section (2) of that section or where he has no income under any other head, the whole loss"

शब्द रख जायें—

"'[पूंजीगत लाभ' के अतिरिक्त किसी भी आय के शीर्ष के अन्तर्गत आय में पूरी तरह से पूरा किया गया हो अथवा, धारा ७१ की उपधारा (२) के अन्तर्गत करदाता द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार, 'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अन्तर्गत दिखाई गई आय से नहीं पूरा किया गया, इतनी हानि जो कि पूरी नहीं की गई"

शब्दों के स्थान पर

"अथवा धारा ७१ के उपबन्धों के अनुसार किसी आय के शीर्ष के अन्तर्गत आय में से पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया, जितनी हानि जो कि पूरी नहीं की गयी है अथवा, जहां करदाता की आय केवल 'पूंजीगत लाभ' के अन्तर्गत ही हैं तथा उस धारा की उपधारा २ के अन्तर्गत विकल्प की प्रयोग किया हैं अथवा जहां किसी भी सीर्ष के अन्तर्गत उस की कोई आय नहीं है, पूरी हानि "

शब्द रखे जायें ।] (४५)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५ पंक्तियां २५ से ३०—

"wholly set off against income under any head of income other than 'Capital gains' or, in accordance with the option exercised by the assessee under sub-section (2) of section 71, is not set off against income under the head 'Capital gains', so much of the loss as has not been so set off"

शब्दों के स्थान पर

"or is not wholly set off against income under any head of income in accordance with the provisions of section 71, so mueh of the loss as has not been so set off or, where the assessee has income only under the head 'Capital gains' and has exercised the option under sub-section (2) of that section or where he has no income under any other head, the whole loss"

शब्द रखे जायें—

"'[पूंजीगत लाभ' के अतिरिक्त किसी भी आय के शीर्ष के अन्तर्गत आय में से पूरी तरह से पूरा किया हो अथवा, धारा ७१ की उपधारा (२) के अन्तर्गत करदाता द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार, 'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अन्तर्गत दिखाई गई आय से नहीं पूरा किया गया, इतनी हानि जो कि पूरी नहीं की गई"

शब्दों के स्थान पर

---

†मूल अंग्रेजी में

"अथवा धारा ७१ के उपबन्धों के अनुसार किसी आय के शीर्ष के अन्तर्गत आय में से पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया, जितनी हानि जो कि पूरी नहीं की गई है अथवा, जहां करदाता की आय केवल 'पूंजीगत लाभ' के अन्तर्गत हो है तथा उस धारा का उपधारा २ के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया है अथवा जहां किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत उसकी कोई आय नहीं है, पूरा हानि"

शब्द रखे जांए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७]

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ६—पंक्ति ३ से ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

47. "Losses under the head 'Capital gains'.

74. (1) (*a*) Where in respect of any assessment year, the net result of the computation under the head 'Capital gains' is a loss, such loss shall, subject to the other provisions of this Chapter, be dealt with as follows:—

(*i*) such portion of the net loss as relates to short-term capital assets shall be carried forward to the following assessment year and set off against the capital gains, if any, relating to short-term capital assets assessable for that assessment year and, if it cannot be so set off, the amount thereof not so set off shall be carried forward to the following assessment year and so on ;

(*ii*) such portion of the net loss as relates to capital assets other than short-term capital assets shall be carried forward to the following assessment year and set off against the capital gains, if any, relating to capital assets other than short-term capital assets assessable for that assessment year and, if it cannot be so set off, the amount thereof not so set off shall be carried forward to the following assessment year and so on :

Provided that where, in the case of any assessee not being a company, the net loss computed in respect of such capital assets for any assessment year does not exceed five thousand rupees, it shall not be carried forward under this section.

(*b*) Notwithstanding anything contained in the Indian Income-tax 1922, any loss computed under the head 'Capital gains' in respect of the assessment year commencing on the 1st day of April, 1961, or any earlier assessment year which is carried forward in accordance with the

11 of 1922.

†मूल अंग्रजी में

provisions of sub-section (2B) of section 24 of that Act, shall be dealt with in the assessment year commending on the 1st day of April, 1962, or any subsequent assessment year as follows :—

(*i*) in so far as it relates to short-term capital assets, it shall be carried forward and set off in accoradance with the provisions of sub-section (i) of clause (*a*) and sub-clause section (2); and

(*ii*) in so far as it relates to capital assets other than short-term capital assets, it shall be carried forward and set off in accordance with the provisons of sub-clause (ii) of clause (a) and sub-section (2).

(2) (*a*) No loss referred to in sub-clause (i) of clause (a) of sub-section 1 or sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (b) of that sub-section shall be carried forward under this section for more than eight assessment years immediately succeeding the assessment year for which the loss was first computed under this Act or, as the case may be, the Indian Income-tax Act, 1922. (46)

11 of 1922.

(*b*) No loss referred to in sub-clause (ii) of clause (*a*) of sub-section (1) shall be carried forward under this section for more than four assessment years immediately succeeding the assessment year for which the loss was first computed under this Act. "

'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अन्तर्गत हानिया

[७४. (१) (क) जहां किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में 'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अन्तर्गत निधारण के फलस्वरूप कोई हानि दिखाई जाती हैं इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस प्रकार की हानि का निम्न प्रकार से निपटारा किया जायेगा :—

(१) अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित शुद्ध हानि के ऐसे भाग को आगामी कर निर्धारण वर्ष में दिखाया जायेगा और पूंजीगत लाभों में से पूरा किया जायेगा, यदि कोई ऐसे पूंजीगत लाभ हों जो कि उस करनिर्धारण वर्ष पर लगाय जा सकने वाली अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित हों, और यदि यह इस प्रकार पूरी न की जा सकती हो तो इस प्रकार उस में से पूरी न की गई राशि आगामी कर निर्धारण वर्ष तथा आगामी वर्षों में दिखाई जायगी ;

(२) अल्पकालीन पुंजीगत आस्तियों के अतिरिक्त पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित शुद्ध हानि के ऐसे भाग को आगामी कर निर्धारण वर्ष में दिखाया जायगा तथा उस कर निर्धारण वर्ष में निर्धारण किये जाने वाली अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों से भिन्न पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित यदि ऐसी कोई हो, तो में से पूरा किया जायेगा तथा यदि उसे इस प्रकार पूरा नहीं किया गया सकेगा तो वह पूरी न की गई राशि आगामी कर निर्धारिण वर्ष तथा अन्य निर्धारिण वर्षो में दिखाई जायेगी।

परन्तु शर्त यह है कि जहां कर दाता समवाय में भागी नहीं है किसी भी कर निर्धारण वर्ष के इस प्रकार की पूंजीगत आस्तियों के सम्बन्ध में किया गया निधरिण पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है तो वह इस धारा के अन्तगत आगे नहीं दिखाई जायेगी।

१९२२ का ११

(ख) भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ किसी व्यवस्था के होते हुये भी अप्रैल १९६१ के पहले दिन को आरम्भ होने वाले करनिर्धारण वर्ष अथवा किसी

पूर्व निर्धारित वर्ष से सम्बन्धित जो कि उस अधिनियम की धारा २४ की उप धारा (२ ख) के उपबन्धों के अनुसार आगामी वर्षों में दिखाई जायगी, 'पूंजीगत लाभ' के शीर्ष के अन्तर्गत निर्धारित कोई हानि अप्रैल १९६२ के पहले दिन आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष अथवा किसी अनुवर्ती कर निधारण वर्ष में निम्न प्रकार से निपटाई है जायेगी :—

(१) जहां तक इस का सम्बन्ध अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों से हैं यह उपखण्ड (१) अथवा ण्ड (क) तथा उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार पूरी की जायेगी;

(२) जहां तक इस का सम्बन्ध अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों के अतिरिक्त पूंजीगत आस्तियों से हैं यह खण्ड (क) के उपखण्ड (२) तथा उपधारा (दो) के उपबन्धों के अनुसार आगामी वर्ष में दिखाई जायेगी ।

१९२२ का ११ (दो) (क) उपधारा (एक) के खण्ड (क) क उपखण्ड (१) अथवा उपखण्ड (१) अथवा उपधारा के खण्ड (ख) के उपखण्ड (२) में निर्दिष्ट कोई हानि इस धारा के अन्तर्गत आठ कर निर्धारित वर्षों से अधिक वर्षों से नहीं दिखाई जायेगी जो कि इस अधिनियम में पहले निर्धारण की गयी कोई हानि जो कि करनिर्धारण किये जाने वाले वर्षों के बाद हो अथवा भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जिस का कर निर्धारण किया गया हो जैसा भी स्थिति हो ।

(ख) इस धारा के अन्तर्गत, उपधारा (एक) के खण्ड (क) के उपखण्ड (२) में निर्दिष्ट कोई हानि चार करनिर्धारण वर्षों से अधिक वर्षों में नहीं दिखलाई जाएगी। जो कि कर निर्धारण वर्ष उस कर निर्धारण के बाद के हों जिसमें कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वह हानि पहले दिखा दी गई है।] (४६)

इस संशोधन से यह व्यवस्था की गई है कि १९६२ और ६३ से पूर्व के करनिर्धारण वर्ष की पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित हानियां आठ वर्ष तक दिखाई जा सकेंगी । जहां तक कि करनिर्धारण वर्ष १९६२–६३ की हानियों का सम्बन्ध है, इन्हें और चार वर्ष तक दिखाया जा सकेगा, जबकि पहले वित्त विधेयक के उपबन्धों के अनुसार उन्हें आगे बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा सकता था । इस संशोधन को प्रस्तुत करने का उद्देश्य दी गई रियायतों को क्रियान्वित करना है ।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं । यह इस सम्बन्ध में है कि पूंजी हानियों को आठ वर्ष के लिये आगे ले जाया जाए और पूंजी लाभों से पूरा किया जाए ।

हमें पुरानी हानि के साथ भी नई हानि जैसा व्यवहार करना चाहिए । करदाताओं के प्रति समानता और औचित्य के लिए वित्त मन्त्री को इस बात से सहमत होना चाहिए कि पूंजीगत हानियां आठ वर्ष की अवधि तक आगे ले जाई जा सकें ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं। जो श्री देव ने अपने संशोधन के बारे में कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि उनका संशोधन मेरे संशोधन से मिलता है। आशा है माननीय वित्त मन्त्री मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : और कोई संशोधन ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनूं) : मैं अपना संशोधन नहीं प्रस्तुत करना चाहता, क्योंकि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने संशोधन में मेरे संशोधन का सारांश लिया है। इसलिये मैं संशोधन संख्या १९ को वापस लेना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इसे वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह आरोप कि सरकार को संसद् में कोई विश्वास नहीं है उचित नहीं है। मेरे विचार में सरकार को संसद् में माननीय सदस्य से अधिक विश्वास है। आयकर अधिनियम पर प्रवर समिति में मैंने बताया था जब भी आयकर अधिनियम में कराधान प्रस्थापनाओं में परिवर्तन करना होता था वह कर के दर में होता है। मैंने कहा था कि ऐसा केवल बजट के समय किया जा सकता है। इसलिये कराधान से सम्बन्धित प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में मैं अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहुंगा। यहां भी मैंने वर्तमान स्थिति स्वीकार कर ली। अतः मैंने इसमें परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। यह उचित समय है जब मुझे करना चाहिए। मैं केवल १९६२-६३ से हो रहे कर निर्धारण से परिवर्तन कर रहा हूं। यह सरकार के सद्भाव का सबूत है। बजट के समय परिवर्तित प्रस्थापनाएं प्रस्तुत करना सरकार का विशेषाधिकार है और माननीय सदस्य उनसे सहमत हों अथवा न हों। वह भिन्न मामला है, परन्तु यह बिल्कुल ठीक है कि मैं इस समय इस व्यवस्था में परिवर्तन करूं। उसी के सम्बन्ध मे मने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं माननीय मित्रों के संशोधनों का विरोध करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं संशोधन संख्या ९ और २० इकट्ठे सदन के मतदान के लिये रखूं।

†**श्री प्र० के० देव** : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ और २० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६—पंक्ति ३ से ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

46. **"Losses under the head 'Capital gains'.**

74. (1)(*a*) Where in respect of any assessment year, the result of the computation under the head 'Capital gains' is a loss, such loss shall, subject to the other provisions of this Chapter, be dealt with as follows :—

(*i*) such portion of the net loss as relates to short-term capital assets shall be carried forward to the following assessment year and set off against the capital gains, if any, relating to short-term capital assets assessable for that assessment year and, if it cannot be so set off, the amount thereof not so set off shall be carried forward to the following assessment year and so on.

---

†मूल अंग्रेजी में

(*ii*) such portion of the net loss as relates to capital assets other than short-term capital assets shall be carried forward to the following assessment year and set off against the capital gains, if any, relating to capital assets other than short-term capital assets assessable for that assessment year and, if it cannot be so set off, the amount thereof not so set off shall be carried forward to the following assessment year and so on :

Provided that where, in the case of any assessee not being a company, the net loss computed in respect of such capital assets for any assessment year does not exceed five thousand rupees, it shall not be carried forward under this section.

(*b*) Notwithstanding anything contained in the Indian Income-tax Act, 1922, any loss computed under the head ' Capital gains ' in respect of the assessment year commencing on the 1st day of April, 1961, or any earlier assessment year which is carried forward in accordance with the provisions of sub-section (2B) of section 34 of that Act, shall be dealt with in the assessment year commencing on the 1st day of April, 1962, or any subsequent assessment year as follows :—

11 of 1922

(*i*) in so far as it relates to short-term capital assets, it shall be carried forward and set off in accordance with the provsions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-section (2) ; and

(*ii*) in so far as it relates to capital assets other than short-term capital assets, it shall be carried forward and set off in accordance with the provsions of sub-clause (ii) of clause (a) and sub-section (2).

(2) (*a*) No loss referred to in sub-clause (i) of clause (*a*) of sub-section (1) or sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (b) of that sub-section shall be carried forward under this section for more than eight assessment years immediately succeeding the assessment year for which the loss was first computed under this Act or, as the case may be, the Indian Income-tax Act, 1922.

11 of 1922

(*b*) No loss referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) shall be carried forward under this section for more than four assessment years immediately succeeding the assessment year for which the loss was first computed under this Act. " (46)

"पूंजीगत लाभ" शीर्ष क अन्तर्गत हानियां

[७४. (१) (क) जहां किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में, 'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अन्तर्गत निर्धारण के फलस्वरूप कोई हानि दिखाई जाती है, इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस प्रकार की हानि का निम्न प्रकार से निपटारा किया जाएगा :—

(१) अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित शुद्ध हानि के ऐसे भाग को आगामी कर निर्धारण वर्ष में दिखाया जाएगा और पूंजीगत लाभों में से पूरा किया जाएगा, यदि कोई ऐसे पूंजीगत लाभ हों जो कि उस कर निर्धारण वर्ष पर लगाए जा सकने वाली अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित हों, और यदि यह इस प्रकार पूरी न की जा सकती हो, तो इस प्रकार उसमें से पूरी न की गई राशि आगामी कर निर्धारण वर्ष तथा आगामी वर्षों में दिखाई जायगी ;

(२) अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों के अतिरिक्त पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित शुद्ध हानि के ऐसे भाग को आगामी कर निर्धारण वर्ष में दिखाया जाएगा तथा उस कर निर्धारण वर्ष में निर्धारण किए जाने वाली अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों से भिन्न पूंजीगत आस्तियों से सम्बन्धित, यदि ऐसी कोई हो तो, में से पूरा किया जाएगा तथा यदि इसे इस प्रकार पूरा नहीं किया जा सकेगा तो वह पूरी न की गई राशि आगामी कर-निर्धारण वर्ष तथा अन्य निर्धारण वर्षों में दिखाई जाएगी ।

परन्तु शर्त यह है कि जहां कर दाता समवाय में भागी नहीं है किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के इस प्रकार की पूंजीगत आस्तियों के सम्बन्ध में किया गया निर्धारण पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है, तो वह इस धारा के अन्तर्गत आगे नहीं दिखाई जाएगी ।

१९२२ का ११ (ख) भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ किसी व्यवस्था के होते हुए भी, अप्रैल, १९६१ के पहले दिन को आरम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष अथवा किसी पूर्व निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित जो कि उस अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२ख) के उपबन्धों के अनुसार आगामी वर्षों मे दिखाई जायेगी । "पूंजीगत लाभ" के शीर्ष के अन्तर्गत निर्धारित कोई हानि, अप्रैल, १९६२ के पहले दिन आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष अथवा किसी अनुवर्ती कर निर्धारण वर्ष में निम्न प्रकार से निपटाई जाएगी :—

(१) जहां तक इसका सम्बन्ध अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों से है, यह उपखण्ड (१) अथवा खण्ड (क) तथा उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार पूरी की जाएगी ; तथा

(२) जहां तक इसका सम्बन्ध अल्पकालीन पूंजीगत आस्तियों के अतिरिक्त पूंजोगत आस्तियों से है यह खण्ड (क) के उपखण्ड (२) तथा उपधारा (दो) के उपबन्धों के अनुसार आगामी वर्ष में दिखाई जाएगी ।

१९२२ का ११ (दो) (क) उपधारा (ख) के खण्ड (क) के उपखण्ड (१) अथवा उपखण्ड (१) अथवा उपधारा के खण्ड (ख) के उपखण्ड (२) में निर्दिष्ट कोई हानि धारा के अन्तर्गत आठ कर निर्धारण वर्षों से अधिक वर्षों में नहीं दिखाई जाएगी । जो कि इस अधिनियम में पहले निर्धारण की गई कोई हानि जो कि कर-निर्धारण किए जाने वाले वर्षों के बाद हो अथवा, भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जिस का कर-निर्धारण किया गया है । जैसी भी स्थिति हो ।

(ख) इस धारा के अन्तर्गत, उपधारा (एक) के खण्ड (क) के उपखण्ड (२) में निर्दिष्ट कोई हानि चार कर-निर्धारण वर्षों से अधिक वर्षों में नहीं दिखाई जाएगी, जो कि कर-निर्धारण वर्ष उस कर-निर्धारण के बाद

के हों जिसमें कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वह हानि पहले दिखा दी गई है] (४६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १२--(१९५७ के अधिनियम २७ का संशोधन)

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ९,.....

पंक्ति १४ के **बाद** निम्नलिखित रखा जाए—

'(३) नियम २ में, अनुसूची, भाग दो में "2 per cent" ("२ प्रतिशत") अंक तथा शब्दों के स्थान पर "2.5 percent" ("२.५ प्रतिशत") अंक तथा शब्द रख दिये जायेंगे'। (४७)

यह भी स्पष्ट करने के लिये संशोधन है ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९....

पंक्ति १४ के बाद निम्नलिखित रखा जाए—

'(३) नियम २ में, अनुसूची, भाग दो में "2 percent" ("२ प्रतिशत") अंक तथा शब्दों के स्थान पर "2.5 percent" ("२.५ प्रतिशत") अंक तथा शब्द रख दिये जाएंगें' (४७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड १३ से १५ को लेंगे ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : खण्ड १३ अलग से लेना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खंड १३ --(व्यय कर का १९६२ अप्रैल के पहले दिन से नहीं लगाया जाना)

†**श्री प्रभात कार** : व्यय-कर को हटाये जाने का हम विरोध करते हैं। व्यय-कर हमारी कर व्यवस्था का अग बन चुका है और करों का अपवचन रोकने के लिए इसे सम्पत्ति-कर और उपहार-कर के साथ लागू किया गया था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

यह कर करापवचन की सभावनाओं को दूर करने के लिए लगाया गया था। आज माननीय वित्त मंत्री इस कर को हटा रहे हैं, क्योंकि राजस्व अधिक नहीं है। यदि वसूली कम है तो उससे कर एकत्र करने वाली व्यवस्था की कुशलहीनता ही सिद्ध होती है। व्यय-कर के राजस्व के बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। इसीलिए हम इस खंड का विरोध कर रहे हैं।

†**श्री मुरारका** : व्यय-कर की प्रस्तावित समाप्ति का एक कारण राजस्व की वसूली न होना है। इसका कारण यह है कि चार वर्षों के अनुभव ने इस आशा को भ्रामक सिद्ध कर दिया है कि उससे त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी अथवा इससे आय-कर और अन्य करों को प्रभावपूर्ण ढंग से संग्रह करने में सहायता मिलेगी। प्रगतिशील देशों में भी जहाँ लोगों की बैंकिंग आदतों का पूर्ण रूप से विकास हो गया है यह व्यवस्था बहुत प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई और इसे वापस ले लिया गया है।

व्यय-कर समाप्त नहीं किया जा रहा है ; उसका एक या दो वर्ष के लिये केवल स्थगन किया जा रहा है अर्थात् भविष्य में कोई वित्त मत्री इसे संसद् को निर्देश किये बिना फिर से लागु कर सकता है। वस्तुत: खण्ड १३ को और तरह से बनाया जाना चाहिए था और व्यय कर को संविधि पुस्तक से हटा देना चाहिये था।

†**श्री दाजी** (इदौर) : व्यय-कर के परीक्षण के लिये कम समय दिया गया। किसी नए कर के परीक्षण के लिए चार वर्ष पर्याप्त नहीं होते। आय-कर के मामले में भी एक लम्बी अवधि तक उसका परीक्षण किया गया था। इस व्यय-कर को अधिक समय देना चाहिए।

दूसरे सारा तर्क निराशा पर आधारित है माननीय वित्त मंत्री जैसे होशियार व्यक्ति यह कहते हैं कि वे करापवचन के सम्बन्ध में त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते।

यदि सरकार वस्तुत: ऐसा चाहे तो वह बहुत अधिक खर्चीला जीवन व्यतीत करने और धन के सग्रह दोनों को रोकने के लिये व्यय-कर का प्रयोग करना उसकी शक्ति से बाहर नहीं है। किन्तु तर्क यह दिया जाता है कि लोगों को बेजा परेशानी होगी, हम करापवचन रोक नहीं सकते, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। यदि इस तर्क की और आगे जाँच की जाय, तो इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि डकैती को भी वेध बना दिया जाये, क्योंकि डकैती को पकड़ा नहीं जा सकता।

यदि हम इस मामले में गम्भीर होते, तो हम इसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए और दृढ़ उपाय करते और अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न करते।

इस समय जब कि दियासलाई, तम्बाकू, बीड़ी, कपड़े आदि पर अधिकाधिक कर लगाया जा रहा है और राष्ट्र को और कुर्बानी करने के लिये कहा जा रहा है, व्यय कर को हटाना अत्यधिक निरुत्साहक है। धन के केन्द्रित होने और अत्यधिक व्यय को रोकने के उपाय आप वापस ले रहे हैं। इसलिए मैं खण्ड १३ का विरोध करता हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : यह तर्क कि व्यय-कर के परीक्षण के लिए चार वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं है, ठीक नहीं है। इसके अलावा, करको हटाया नहीं गया, केवल इसका लगाया

---

†मूल अंग्रेजी में

जाना कुछ अवधि के लिए रोक दिया गया है। यदि आवश्यक समझा गया, तो इसे फिर लगाया जा सकता है। साथ ही व्यय-कर से अधिक खर्च पर नियत्रण नहीं हो सकता। वे जितना खूला खर्च करते हैं, उतना ही कम आयकर देते हैं।

इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने १९६२–६३ से व्यय-कर अधिनियम को लागू न करने के स्पष्ट कारण बतला दिये थे।

अधिनियम को हटाना आवश्यक नहीं है। इसके कार्यकरण को स्थगित करने से प्रयोजन सिद्ध हो गया है। मैं पुराने तर्क दुहरना नहीं चाहता। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उन लोगों के विरुद्ध जिहें वे अमीर समझते है, कोई भी कदम उठाना ठीक होगा, चाहे उन्हें कितनी ही परेशानी हो। यह कहना सही नहीं है कि इसे इसलिए हटाया जा रहा है कि इससे पर्याप्त आय नहीं होती।

इस विशेष मामले में, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए इसको हटा दिया गया है। यदि इससे व्यय पर नियत्रण हो सके, तो मैं अवश्य विचार करूंगा। फिर सबका पता लगाना भी सभव नहीं है। यदि इस अधिनियम से एक भी त्रुटि दूर करने में सहायता मिलती, तो मैं इसे अवश्य रखता। इसलिये मैंने इसे हटाना ठीक समझा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अग बने।"

†**श्री दाजी** : हम इस पर मत विभाजन चाहते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: तो इसे २.३० तक उठा रखा जायेगा और उस समय इस पर मत विभाजन होगा।

प्रश्न यह है :

"कि खड १४ और १५ विधेयक का अग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४ और १५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १६––(१९४४ के अधिनियम १ का संशोधन)

†**श्री प्र० के० देव** : मैं अपना सशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हू।

†**श्री लहरी सिंह** (रोहतक) : मैं अपना संशोधन संख्या ५२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्रभात कार** मैं अपने सशोधन संख्या ३५ से ४३ तक प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं अपने संशोधन संख्या २२ से २५ प्रस्तुत करता हूं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

(१) पृष्ठ ११, पंक्तियाँ २८ और २९— शब्द "Including Pigment Dyestuffs" (रंगने के पदार्थों सहित") के बाद शब्द 'And Synthetic Organic Derivatives used in any dyeing process" (प्रांगारिक व्युत्पन्न पदार्थ) रख दिये जायें। (४८)

(२) पृष्ठ १६, पंक्ति ७—"Joint ("जोड़") शब्द के स्थान पर "Joists" ("धरणिका") शब्द रख दिया जाये। (४९)

मेरा पहला संशोधन केवल प्रारूप को सुधारने के लिए है। दूसरा संशोधन एवं छपाई की गलती को दूर करने के लिए है, क्योंकि विधेयक की छपी हुई प्रति में 'ज्यास्टस' के स्थान पर 'ज्वायंट' छप गया था।

†**श्री प्र० के० देव** : तयार किया हुआ तम्बाकु आदिम जातीय क्षेत्रों में जनता के सामाजिक जीवन का अंग है और उस पर कर में कोई भी वृद्धि गरीब लोगों के लिए भार स्वरूप होगी।

बिजली के करघों तथा हथकरघों पर तैयार किये गये कपड़े के प्रोसेसिंग पर कर में वृद्धि उनके लिए बहुत कठिनाई का कारण होगी और वे मिल में बने कपड़े के मुकाबले में टिक नहीं सकेंगे।

पटसन निर्माताओं पर उत्पादन शूल्क की वृद्धि सम्बधी उपबन्ध हटा दिया जायें। एस्बेस्टोस सीमेंट की चादरें गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करती हैं तथा उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। जब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने का कार्यक्रम चल रहा है तो बिजली के तारों को अधिक महंगा बनाना बुद्धिमानी नहीं है।

†**श्री लहरी सिंह** (रोहतक) : मेरा संशोधन संख्या ५२ खंड १६ के बारे में है।

कल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इस टूबेको की एक्साइज ड्युटी के बारे में यह कहा था कि चूंकि यह नशे की चीज है इसलिये इसके रिडैक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जहाँ तक नशे की चीजों का एक्साइज ड्युटी के रिडैक्शन का सवाल है उनका कहना ठीक हो सकता है, लेकिन हमें तो पदावार को देखना है। हमारे जमींदार और कल्टीवेटर जिसे पदा करते हैं उससे मूल्क का कितना फायदा है? उससे कितनी आमदनी होती है, कितना उसका एक्सपोर्ट होता है और कितनी फैक्टरीज वगैरह कायम हुई हैं, यहाँ पर यह सवाल है।

जो टूबेको की मद है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब से ज्यादा एक्साइज है। पिछले साल ५३ करोड़ ६६ लाख की थी। याने या जो दूसरी चीजें हैं वह सब पीछे छूट गई। १५ करोड़ रु० के करीब का इसका एक्सपोर्ट होता है और जो सारे देश हैं उनमें यू० के० और चाइना के बाद हमारा तीसरा नम्बर है। हम तम्बाकु की काश्त करते हैं। इस पर जो ड्यूटी लगाई गई है वह करीब ५ करोड़ २८ लाख रु० है। यह मामूली नहीं है। ५ करोड़ २८ लाख रु० में से २ करोड़ २९ लाख अनमैनूफक्चर्ड पर लगाई है और २ करोड़ ९९ लाख मैनूफक्चर्ड पर लगाई गई है। यह ५ करोड़ २८ लाख रु० की एक्साइज ड्युटी लगाना और फिर मिनिस्टर साहब की तरफ से यह कहा जाना कि यह नशे की चीज है इसलिये लगाई गई है, यह ठीक नहीं है। यह किस पर लगती है?

†मूल अंग्रेजी में

मैं अर्ज करूं कि यह सारी की सारी गरीब कल्टीवेटर पर पड़ती है। ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि कल्टीवेटर छोटा आदमी है, उसके पास सरमाया नहीं है, वह होर्ड नहीं कर सकता और न वह मारकेट को कंट्रोल कर सकता है। और चूंकि वह मारकेट को कंट्रोल नहीं कर सकता इसलिये जो टैक्स मैन्युफैक्चरर पर पड़ना चाहिये वह भी उसी कल्टीवेटर पर पड़ जाता है। अगर मैन्युफैक्चरर कुछ दिनों तक न खरीदे तो कल्टीवेटर बरदाश्त नहीं कर सकता और तम्बाकू का भाव गिर जाता है। तो मैं अर्ज करूं कि जितना टक्स आपने कल्टीवेटर और मन्युफैक्चरर पर लगाया है वह सारा का सारा उस कल्टीवेटर पर पड़ता है जो कि आपके देश की बैकबोन है। कल्टीवेटर के पास न कोई प्रेस है, न उसका कोई आरगेनाइजेशन है और इसलिये वह कुछ कह भी नहीं पाता। उसके ऊपर है क्स सन् १९४४ में लगा था और वह बढ़ता जाता है हालांकि काश्त नहीं बढ़ी। सन् १९५७ में स्टेट का सेल्स टैक्स भी उस पर थोप दिया गया। हर साल उस पर टैक्स बढ़ता जाता है। रूल्स भी कुछ खराब हैं कि टैक्स एकड़ के हिसाब से नहीं लिया जाता बल्कि पैदावार के हिसाब से लिया जाता है। असेसमेंट करने वालों को बड़े अख्तियारात दे दिये गये हैं, वे चाहे कुछ लगा देते हैं और उनकी कुछ सुनवाई नहीं होती। तो मैं अर्ज करूंगा कि सन् १९४७ से रकबा नहीं बढ़ा है लेकिन टैक्स बढ़ता चला गया। पहले सन् १९४४ में टैक्स लगा। फिर यह सन् १९५१ में बढ़ाया गया, उसके बाद सन् १९५७ में स्टेट का सेल्स टैक्स भी कल्टीवेटर पर लगा दिया गया, और आज हालत यह है कि तम्बाकू पर ५५ करोड़ १० लाख का टैक्स लगा है जो कि सारे का सारा गरीब किसान को देना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर तो बड़ा सरमायादार है। वह जानता है कि किस वक्त खरीदे। वह अगर चार रोज की ढील दे देता है तो छोटा कल्टीवेटर बरदाश्त नहीं कर सकता और तम्बाकू का भाव गिर जाता है। अगर गवर्नमेंट ने कल्टीवेटर को वेयर हाउस की सहूलियत दी होती और उसको सपोट दिया होता तो वह मन्युफैक्चरर का मुकाबला कर सकता था। आज तो हालत यह है कि जितना भी टैक्स तम्बाकू पर लगता है वह सारा का सारा गरीब कल्टीवेटर पर लगता है।

इसके साथ एक चीज और भी है। वह कल्टीवेटर लैंड रेवेन्यू भी देता है। जो कि एकड़ के हिसाब से ली जाती है। और वह लोकल रेट भी देता है। इसके अलावा तम्बाकू की खेती या तो नहर के किनारे हो सकती है या उसके लिये ट्यूब वैल हो या कुंव से पानी दिया जाये। यह सबसे ज्यादा पानी चाहती है। तो आप अन्दाजा लगाये कि किसान को पानी वगैरह देने में कितना खर्चा करना पड़ता है और उसके बाद उस पर इतना टैक्स लगाया जाता है, जबकि वह आपका एक्सपोंट बढ़ाता है, आपके कारखानों के लिये तम्बाकू देता है जिससे इतने लोगों को रोजगार मिलता है। आज कल्टीवेटर एजीटेशन नहीं कर सकता इसलिये उस पर इतने टैक्स लगाये जा रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि इन हालात के अन्दर टैक्स नहीं बढ़ना चाहिये। आपकी जो आडिट रिपोर्ट सन् १९६२ की निकली है उसमें कहा गया है कि किसान बड़ा गरीब है। उसमें कहा गया है कि इन पर एरियर्स हैं और उसमें बताया गया है कि क्यों उन पर एरियर्स हैं। आडिट रिपोर्ट के सफा १०० पर कहा गया है :

> "साधारणतया तम्बाकू उत्पादकों के संबंध में ५० प्रतिशत कर साल में ही दे दिया जाता है और बाकी बकाया हो जाता है।"

आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ५० फीसदी तक तो वसूल हो जाता है और बाकी एरियर्स में पड़ जाता है उसको एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल किया जाता है और उसके खेत नीलाम होते हैं और तमाम चीज नीलाम होती हैं। तो यह रिपोर्ट आपके सामने है। आप तम्बाकू से नफरत करें, तम्बाकू पीने वालों से नफरत करें लेकिन यह तो देखें कि तम्बाक् को बोने वाला एक छोटा जमींदार

है, वह कैपीटलिस्ट नहीं है। वह मकरूज है और वह आपके टैक्स को अदा भी नहीं कर सकता। वह आधे के करीब दे पाता है और बाकी के लिये उसकी कुरकी वगैरह होती रहती है। तो यह उसकी हालत है। ऐसे हालात में मेरी दरखास्त है कि यह सारा टैक्स मैन्युफैक्चरर पर डाला जाये और जमींदार को तम्बाकू की काश्त के लिये सहूलियतें दी जायें। उसको अच्छा तम्बाकू बोने के लिये दिया जाये। लेकिन उसको कोई इमदाद नहीं दी जाती। उसके जबान नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसको रुपया दिया जाये और दूसरी सहूलियतें दी जायें ताकि वह ज्यादा अच्छी खेती कर सके। लेकिन उसके लिये कुछ नहीं किया जाता। वह गरीब है लेकिन फिर भी मुल्क की बहबूदी के लिये अपने बैल लेकर काश्त करता है। उसके पास कोई बड़ी मैशिनरी नहीं है क्योंकि वह बहुत गरीब है।

इस काम में बड़ा करप्शन होता है। किसान से कहा जाता है कि तुम काट लो तब असेसमेंट किया जायेगा लेकिन उठाना मत। वह काट लेता है। लेकिन बहुत वक्त तक असेसमेंट नहीं किया जाता और जमींदार उठा लेता है, उसके बाद उस पर मनमाना टैक्स लगा दिया जाता है। हालत यह है कि जमींदारों को छोटे अफसरों को सलाम करना पड़ता है। आपके छोटे अफसरों में बड़ा करप्शन है, बड़ों में नहीं है। और ये छोटे अफसर जमींदारों को बड़ा तंग करते हैं, उनसे कहते हैं कि या तो हमको दो वरना हम इतना लगा देंगे। एकड़ पर तो हिसाब है नहीं, पैदावार पर असेसमेंट किया जाता है। नतीजा यह है कि रकबा करीब करीब वही है और टैक्स बढ़ता जा रहा है। मैं अर्ज करूं कि सन् १९४४ में तम्बाकू का कुल रकबा ७११ हजार एकड़ था और सन् में ८९६ हजार एकड़ हो गया। तो कई ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन टैक्स जो कि कुछ लाख से शुरू हुआ था वह आज ५५ करोड़ हो गया है। रकबा वही है लेकिन अफसरों और रूल्स की वजह से टैक्स दिन व दिन बढ़ता जाता है, सन् १९५७ में कल्टीवेटर पर सेल्स टैक्स भी डाल दिया गया। तो मैंने आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स पेश कर दिये हैं कि किस तरह रकबा वही है पर टैक्स बढ़ता जाता है।

मेरे पंजाब में २९ हजार एकड़ रकबे में तम्बाकू की काश्त होती थी लेकिन आज इन अफसरों की मेहरबानी से और जो सिस्टम इम्पोज किया गया है उसकी वजह से यह रकबा घट कर चार हजार एकड़ रह गया है। अगर हालात ठीक होते तो २९ हजार एकड़ के बजाये हम कई लाख एकड़ में तम्बाकू पैदा करते, लेकिन अफसरों के डर की वजह से और हैवी टैक्स की वजह से आज नतीजा यह है कि २९ हजार एकड़ से तम्बाकू की काश्त चार हजार एकड़ रह गयी है। मेरे पास सन् १९३९ से सन् १९५९ तक के स्टेटिस्टिक्स हैं जिनसे मालूम होता है कि एक इंच भी रकबा नहीं बढ़ा है लेकिन टैक्स बराबर बढ़ता चला जा रहा है और तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपके रूल्स ऐसे हैं और ऐक्ट भी ऐसा है कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं इसके लिये मिनिस्टर साहब से मिलूंगा और मैं उनसे चाहूंगा कि उन गरीब तम्बाकू की काश्त करने वालों की परेशानी दूर करने के लिये कुछ इंतजाम वे अवश्य करें ताकि आज छोटे अफसरान जिन पर कि टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी होती है वह उनको हैरेस न कर सकें क्योंकि कुछ फिक्स तो होता नहीं है डिस्क्रिशन पर सब काम होता है और छोटे अफसरान इस वजह से उन बेचारे गरीब काश्तकारों को बहुत तंग व परेशान करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन छोटे अफसरान के हैरेसमेंट से उनको बचाने का कोई न कोई इंतजाम मंत्री महोदय अवश्य करें। छोटे जमींदारान जिन पर कि यह ५५ करोड़ और १० लाख रुपये की ऐक्साइज ड्यूटी लगी हो उनके वास्ते कोई इंतजाम न हो और इस तरह से उनको परेशान किया जाय यह बहुत ही गैर मुनासिब बात है।

सेंट्रल गवर्नमेंट की आडिट रिपोर्ट में उनकी पावर्टी के बारे में यह लिखा हुआ है कि वह ५० पर सेंट से ज्यादा टैक्स हर साल नहीं दे सकते हैं और बाकी ऐरियर्स में चला जाता है जो मुख्वत: किसानों की माली हालत की वजह से है। जब उसकी हालत पहले ही इतनी खस्ता है तब यह

[श्री लहरी सिंह]

एक्साइज ड्यूटी और लगा देने से, तो उसकी कमर ही टूट जावेगी। इस ऐक्साइज ड्यूटी का विरोध करने के लिये उसके पास कोई, प्रैस नहीं है। न ही उसके पास कोई मार्केट या फर्म है। उसके पास कोई उसकी तरफ से बोलने वाला भी नहीं है। वह पहले से ही लंगड़े हैं इसलिये उनके ऊपर और करों का बोझा डालना सरासर नाइंसाफी होगी। में ज्यादा वक्त न लेते हुये आनरेबुल मिनिस्टर से अपील करूंगा कि वह इस ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। तम्बाकू से वे भले ही नफरत करें मुझे उसके लिये कुछ नहीं कहना है लेकिन कम से कम जो आपकी फाइनेंस की इतना हैल्प करते हों उनके ऊपर यह टैक्स कम से कम आपको नहीं लगाना चाहिये क्योंकि उनकी तो हालत पहले से ही बदतर है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं अपने माननीय मित्र के तम्बाकू संबंधी संशोधन का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने कहा था कि तम्बाकू विलास की वस्तु है। मैं उन से सहमत नहीं हूं।

तम्बाकू पर जो विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बहुत उपयोग किया जाता है, उत्पादन शुल्क लगाया गया है। इसको हटाने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि उस कर का भार सीधे निर्धन लोगों पर पड़ता है।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, श्री लहरी सिंह ने जो अभी अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है उसका में समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने रवा तम्बाकू पर जो टैक्स लगाया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं जिस आदिवासी क्षेत्र से आता हूं वहां पर ३ लाख आदिवासी बसते हैं और उनको सुबह से शाम तक खेत में काम करते हुये चिलम पीने की जरूरत पड़ती है। बाजार के दिन वह रवा तम्बाकू बाजार से खरीद कर ले जाते हैं। जिसने भी आदिवासी और किसान हैं वह सब तम्बाकू पीते हैं। काशी से रामेश्वरम् और कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जाइये आपको किसान किसी न किसी शक्ल में तम्बाकू का प्रयोग करते पायेंगे। वे किसी न किसी शक्ल में तम्बाकू पीते ही हैं। हमारे आदिवासियों में तम्बाकू को भांग कहते हैं अब ,हमारे वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि तम्बाकू एक लक्जरी हैं लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि कभी कभी लक्जरी नैसेसरी भी हो जाया करती है। अब यह कहा जा सकता है कि टोपी पहनना एक लक्जरी है लेकिन वही चीज हिन्दू समाज में नैसेसीटी हो गयी है। अब ठीक तम्बाकू के बारे में भी वही बात कही जा सकती है। हालांकि वित्त मंत्री के कथनानुसार तम्बाकू लक्जरी है तो भी किसानों की लाइफ में वह नैसेसिटी बन गई है। अब टैक्सेसशन के साधारण प्रिंसिपिल के अनुसार नैसेसिरी पर टैक्स नहीं लगना चाहिये।

तम्बाकू के लक्जरी और नैसेसरी होने की बात को छोड़ भी दिया जाय तो भी इस ऐक्साइज ड्यूटी के लगने से तम्बाकू की काश्त पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब हमारे मध्य प्रदेश में जहां कि शुगरकेन और टुबैको की काश्त में कम्पटीशन चलता है वहां हमने देखा कि काश्तकारों ने जिन खेतों में वह पहले शुगरकेन बोते थे उन में तम्बाकू बोने लग गये। लेकिन तम्बाकू पर भी धीरे धीरे जब ऐक्साइज ड्यूटी बढ़ी तब उन्हीं काश्तकारों ने तम्बाकू की जगह पर शुगरकेन बोना शुरू कर दिया। तम्बाकू का प्रोडक्शन कम होने से हमारी आय में भी कमी होती है क्योंकि कम पैदावार होने से ऐक्सपोर्ट पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने शायद इधर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस रवा और भूसा तम्बाक पर टैक्स

कम कर दें। किसानों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह आपको धन्यबाद देंगे। माननीय वित्त मंत्री का कहना है कि इस देश में टैक्सिज बढ़े नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने १९५७ में क्या कहा था। उन्होंने दर कम करने के लिए यह तर्क दिया था :—

> "हमारे वर्तमान कर दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और उनसे न केवल प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता बल्कि कर न देने के लिए भी प्रोत्साह न मिलता है।"

परन्तु हमारे वर्तमान वित्त मंत्री महोदय का अनुभव इससे भिन्न प्रतीत होता है। मैं उनसे कहूंगा कि कम से कम रवा टोबैको पर टैक्स को कम किया जाये, क्योंकि उसका असर न कवल साधारण किसान पर, बल्कि टोबैको का उत्पादन करने वालों पर भी पड़ता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और इस हाउस से यह अपील करता हूं कि यदि इस सम्बन्ध में डिविज़न होता है, तो टोबैको पर से टैक्स हटाने के लिये जो एमेंडमेंट रखा गया है, उस को स्वीकार किया जाये।

अगर कोई व्यक्ति आंखें बन्द कर के बैठता है तो यह समझा जाता है कि उसको नींद नहीं आई है। इसलिए मुझे आशा है कि आपको एड्रेस करके जो कुछ मैं कह रहा रहा हूं, माननीय वित्त मंत्री महोदय उसको ध्यानपूर्वक सुनते होंगे ...

श्री मोरारजी देसाई : इसीलिए तो मैंने आंखें बन्द की हुई हैं।

श्री बड़े : ... और वह इस तरफ़ ध्यान देंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : तम्बाकू पर कर अनुचित है। उसके परिणामस्वरूप आगे चल कर बीड़ी के दाम भी बढ़ जायेंगे, जिसका प्रयोग गरीब और मजदूर वर्ग करते हैं।

पश्चिम बंगाल में मालिकों द्वारा बहुत से बिजली के करघे बन्द कर दिये गये हैं। उन्होंने सरकार के सामने अपनी कठिनाइयां रखी हैं। परन्तु सरकार को कम से कम इतना तो देखना चाहिये कि मजदूरों को नौकरी से अलग न किया जाये।

प्लाइवुड निर्माताओं को जो कुटीर उद्योग के आधार पर कार्य कर रहे हैं और बिजली का प्रयोग नहीं करते हैं, कर से छूट दी जानी चाहिये। कम से कम न्यूनतम मात्रा को बढ़ाकर ४०,००० वर्ग मीटर कर देना चाहिये।

पटसन तथा सन के नये कर के सम्बन्ध में भी हमें पुनः विचार करना चाहिये। इसका प्रभाव यह होगा कि खाद्यान्न, सीमेंन्ट आदि कुछ आवश्यक वस्तुऐं अधिक महंगी हो जायेंगी। अप्रत्यक्ष करों का तो हम एक नीति के रूप में विरोध करते हैं। इसी उद्देश्य से ही संशोधन संख्या ३४ प्रस्तुत किया गया है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : तम्बाकू प्लाईवुड और पावरलूमों के सम्बन्ध में मैं स्थिति इस से पूर्व बता चुका हूं ? यह कहना ठीक नहीं कि तम्बाकू उगाने वालों की स्थिति बहुत खराब है। संशोधनों द्वारा इस दिशा में उत्पादन शुल्क को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे इस बारे में प्रस्तुत की गयी युक्तियां पसन्द नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

आई । उत्पादन शुल्क में १९६०-६१ में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह भी वास्तविकता है कि तम्बाकू की खेती से बहुत अधिक लाभ हुआ है । यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि तम्बाकू पर लगाये गये कर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं । इसी प्रकार मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिजली के करघों में (पावरलूमों) के मामले में रियायतें देने की बात मेरी समझ में नहीं आई । और उसकी कोई गुंजाइश नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या मैं सभी संशोधन एक साथ प्रस्तुत करूं ?

†**श्री प्र० के० देव :** संशोधन संख्या २१ अलग से प्रस्तुत किया जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०, पंक्तियां ४ से ११, निकाल दी जाय (ii) (२१) :

सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में ३४ और विपक्ष में १२१

संशोधन संख्या २१ अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या ३४ तो संशोधन संख्या २१ जैसा ही है तथा संशोधन संख्या ४१ भी संशोधन संख्या २३ के जैसा ही है । अतः इन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं । मैं संशोधन संख्या ४८ और ४९ के अतिरिक्त शेष सभी संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं :—

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ से २५, ३५ से ४०, ४२ और ४३ रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं अब सरकारी संशोधन संख्या ४८ और ४९ मतदान के लिये रखता हूं :—

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ११, पंक्तियां २८ और २९

शब्द "Including Pigment Dyestuffs" [रंगने के पदार्थों सहित] के बाद "and Synthetic Organic Derivtives used in dying progess" [प्रांगारिक व्युत्पन्न पदार्थ] । रख दिये जायें ।" —(४८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १६ पंक्ति ७—"joints" ["जोड़"] शब्द के स्थान पर "joists" ["धरणिका"] शब्द रख दिया जाय । (४९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खंड १३ को लेंगे जिस के लिए मत विभाजन की मांग की गयी थी ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि खंड १३ विधेयक का अंग बन "।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में १३२, विपक्ष में ३३ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १७, १८ और १९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दूसरी अनुसूची में भी एक संशोधन है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ ३७ पंक्ति ३१ "Joints" ["जोड़"] शब्द के स्थान पर "Joists" ["धरणिका"] शब्द रख दिया जाय (५१) ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३७, पंक्ति ३१, "joints" ["जोड़"] शब्द के स्थान पर "joists" [" धरणिका "] शब्द रख दिया जाय (५१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

***श्री सरकार मुरमू** (बलूरघाट) : मैं आदिवासी क्षेत्र से चुन कर आया हूं हम आदिवासियों को बहुतसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई कठिनाइयां आ रही हैं। मालदा और पश्चिम दीनाजपुर में रहने वाल आदिवासी बहुत गरीब हैं। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन के पास अपनी भूमि है। बड़े परिश्रम से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पश्चिमी बंगाल के भूमि सुधार अधिनियम से उन लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। बल्कि उन्हें बेदखल करने के प्रयत्न हो रहे हैं। इस से तो ये लोग दर दर के भिखारी बन जायें। सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए।

इस के अतिरिक्त मालदा और पश्चिमी दीनाजपुर में पानी की बहुत कमी है इस से भी इस क्षेत्र के लोगों को कठिनाई हो रही है। वहां शिक्षा संबंधी सुविधायें भी नहीं हैं। सरकार को उनकी कठिनाइयों पर विचार कर के उनकी स्थिति सुधारने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : जो भी रियायतें दी गयी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूं। और भी सुविधायें दी जा सकती हैं। परन्तु पावर लूमों के बारे में मैं वित्त मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहती हूं। क्या सरकार सहकारी क्षेत्र के पावर लूमों (बिजली के करघों) पर कर लगायेगी अथवा नहीं? मेरा मत यह है कि यदि सरकार ने कोई कर लगाया तो उस से लोग सहकारी समितियों के निर्माण में हतोत्साहित हो जायेंगे।

मुर्शिदाबाद के माननीय सदस्य श्री बदरुजा ने मालदा की धाराओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें तथ्यों को गलत तथा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। एक लड़की के पास बलात्कार लोगों के मारे जाने और दुकानों तथा मकानों के जलाये जाने की बातें बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह कहना भी गलत है कि बहुत से मुसलमान मालदा छोड़कर कर चल गये हैं। प्रभावित क्षेत्र से एक भी मुसलमान बाहर नहीं गया है। परन्तु इसकी प्रक्रिया के रूप में जो लोग भारत आ रहे हैं उनकी हालत बड़ी शोचनीय है। मेरे विचार में इन आने वालों को दंडकारण्य भेजा जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

*मूल सन्थाली के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : अच्छा होता यदि श्री बदरुजा अपना भाषण न करते। उन्होंने झूठ बोलने में कमाल कर दिखाया है। उस पर कुछ न ही कहा जाये तो अच्छा है। मैं तो अपनी ही बात करूंगा। एक बार पुनः मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अपने दो संशोधनों की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इसका कोई कारण नहीं है कि जीवन बीमा निगम पर कम कर लगाया गया और दूसरे निगमों पर अधिक लगाया गया जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम। यह वर्गीचरण किसी भी प्रकार से उचित नहीं मालूम होता है। ऐसे करने से और भी कई एक समस्यायें आ खड़ी होंगी। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस मामले पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए था।

एक अन्य तथ्य की ओर मैं सरकार और सभा का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। बात यह है कि कुछ मामलों में स्थानीय प्राधिकारी ऋणों से बुरी तरह दबे होते हैं। उनके लिए ब्याज का खर्च निकालना बहुत कठिन हो जाता है। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे सारे मामलों में सारी की सारी कुल आय की राशि पर कर लगने चाहिए। कुल "आय" शब्द भ्रांतिपूर्ण है उनके स्थान पर "कुल शुद्ध आय" शब्द रख कर भ्रांति को दूर किया जा सकता है। इसीलिए तो मैं ने संशोधन का सुझाव दिया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: इस वित्त विधेयक में जो नीति अपनाई गयी है उसका हम घोर विरोध करते हैं। कराधान के सम्बन्ध में जिस नीति का प्रतिपादन किया जा रहा है वह बहुत गलत है। मध्यवर्ग की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गयी है। चावल का दाम २०, २५ से ३० रुपये मन तक चढ़ गया है। लोग भूखों मर रहे हैं। खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। यह बढ़े हुए दाम उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। और कठिनाई यह है कि सरकार की नीति अधिकांश करों की राशि अप्रत्यक्ष कर द्वारा लेने की है। बात यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच अनुपात वर्ष प्रतिवर्ष एक जैसा चला आ रहा है। छोटे पैमाने के और मध्य वर्गीय निर्माता और कुटीर उद्योगों के संचालक सदा ही पीड़ित रहते हैं। रियायतों का लाभ तो अधिकतर धनी लोग ही उठा ले जाते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि गरीब लोगों का भार कम करने की आवश्यकता है। यदि केवल गरीब लोगों पर कर लगाने की ही नीति अपनाई जायेगी तो इससे लोगों को योजना के विरुद्ध क्रांति करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि हमें योजनाओं की सफलता के लिए धन चाहिए। परन्तु यह धन उन साधनों से आना चाहिए जो इसे सहन कर सकें। हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न प्रस्तुत किया तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। मेरे विचार में आय व्ययक की वित्तीय नीति लोगों की योजनाओं के विरुद्ध उकसाने का काम कर रही हैं। इन करों के बिना योजना नहीं चल सकती यह बात बिलकुल गलत है। यह समाजवाद की स्थापना के बिल्कुल विरुद्ध बात है। मैं इस नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट करती हुई 'वाक आऊट' करती हूं।

(श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये)।

†**श्री त्यागी**: राज्य का काम करों की आय से ही चलता है। सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें हर नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार कर देता है और मेरा विचार है कि कराधान की योजना ऐसी होनी चाहिए कि उसका भार सब पर बराबर अनुपात से पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

करों का विरोध करना उचित नहीं है । पर करों का वितरण ठीक ढंग से होना चाहिए । इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जनता में संतोष तथा समाधान पैदा हो । और यह तभी हो सकता है जब जनता को यह विश्वास दिलाया जाये कि उसका धन व्यर्थ में बरबाद नहीं किया जाता ।

मुझे खेद है कि सरकारी धन के व्यय में बहुत बरबादी हो रही है । अभी मैं ने अखबार में पढ़ा है कि वित्तीय नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण विभिन्न मंत्रालयों में किया जा रहा है । यदि ऐसा किया गया तो मंत्रिमंडल की संयुक्त म्मिेदारी की भावना नष्ट हो जायेगी । लगभग एक करोड़ रुपये की राशि तक मंत्रालयों को स्वतंत्रता दी जा रही है ; यह एक नया प्रयोग है । मेरा सुझाव है कि सरकार अपनी नीति का पुनरीक्षण करे और व्यय पर विशेषतया सरकारी क्षेत्र में पूरा नियंत्रण रखे ।

सरकारी क्षेत्र से हमें अधिकाधिक राजस्व मिलना चाहिए । पर मैं देखता हूं कि ऐसी बात नहीं है ; उनमें धन का अपव्यय हो रहा है । जहां तक उपव्यय का प्रश्न है रूरकेला में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या ७ हजार थी पर अब उनकी संख्या ११ या १२ हजार तक पहुंच चुकी है । पांच या छः हजार से अधिक तो खलासी ही हैं ।

मेरा निवेदन है कि व्यय पर अधिकाधिक नियंत्रण और कड़ा नियंत्रण होना ही चाहिए । यदि हम शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक व्यय कर रहे हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इससे जनता को लाभ होता है । मेरा प्रयोजन है कि खर्च के सम्बन्ध में कुछ निर्धारित नियम होने चाहिएं ; कुछ स्थापित परम्परायें होनी चाहिएं और वित्त पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए ।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री बड़े: अध्यक्ष महोदय इस समय फाइनेंस बिल का तृतीय वाचन हो रहा है । इस बिल के पास होने से पहले मैं दो तीन बातें वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं । मैं इस हाउस से वित्त मंत्री जी को वहां ले जाना चाहता हूं जो स्थान नर्मदा के दक्षिण किनारे पर सतपुड़ा पर्वत का है जहां पर रहने वाले आदिवासियों के पास पहनने को लंगोटी नहीं पैरों के लिये जूते नहीं, रहने के लिये फूस के टापरे हैं और खाने को रोटी नसीब नहीं है: वह लोग खाते बहुत खा देते हैं । जब कल मैं उन के पास जाउंगा तो वे कहेंगे कि मैं ने यहां पर उन के लिये क्या किया । मैं कहूंगा कि मैं ले आया हूं उन के लिये प्लैनिंग का भूत । वे कहते हैं कि उन को प्लैनिंग चाहिये । प्लैनिंग का भूत नहीं चाहिये । जब मैं जाऊंगा तो कहेंगे कि मैं ने उनका टैक्स क्यों बढ़वा दिया । मैं ने उसे अपोज क्यों नहीं किया ?

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सेंटर स्टेट्स लोकल बाडीज और पंचायतों का कोआर्डिनेशन नहीं है । जो चाहता है जिस तरह का टैक्स लगा देता है । अभी मध्य प्रदेश में बजट आने वाला है वहां पर टैक्स और लगेंगे । स्पेशल टैक्सेज हैं, एजुकेशन टैक्स लगाया जायेगा, हरिजन टैक्स लगाया जायेगा, पैसेन्जर टैक्स लगाया जायेगा, पंचायत टैक्स लगाया जायेगा । तरह तरह के टैक्स लगाये जायेंगे । लेकिन स्टेट टैक्सेशन में और सेंटर टैक्सेशन में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों पर जो टैक्स पड़ने जा रहा है क्या कभी आप ने उस पर विचार किया है ?

यदि आप ने विचार किया है तो आप को देखना चाहिए कि प्रत्येक स्टेट में सेंटर से कितना टैक्सेशन होता है, स्टट से कितना टैक्सेशन होता है पंचायतराज से कितना टैक्सेशन होता है और जिन से वह टैक्स वसूल किया जाता है उन की पेइंग कैपेसिटी क्या है ।

आज हमारे यहां मध्य प्रदेश में १० लाख आदिवासी हैं जिनमें से मेरे क्षेत्र में ३ लाख आदिवासी हैं। आज उन को ८०० रुपये में एक बैल मिलता है । उस क्षेत्र से ३०० गायें रोज कटने के लिये बम्बई चली जाती हैं, इसलिये बैल महंगे हो गये हैं। उन लोगों को बैल मिलते नहीं हैं। जानवर मिलते नहीं हैं। वहां पर जमीन अधिक नहीं है इसलिये वे फारेस्ट में जाते हैं। लेकिन वहां से उन का कब्जा खत्म कर के उन को हटा दिया जाता है, उन का टापरा जला दिया जाता है । जिस तरह से आज भिंड और मोरेना में डाकुओं की समस्या हो गई है वैसे ही वहां पर आदिवासियों की समस्या हो जायेगी। आप का कहना है कि इंडाइरेक्ट टैक्स लगाये जाने चाहियें । लेकिन उन की लंगोटी में कुछ भी नहीं है । न उन के पास खाने को है और न पीने को या तो वे तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं। मध्य प्रदेश शासन आज कल एक कलाली बना हुआ है । वह शराब बेचने की बड़ी भारी फैक्ट्री हो रही है । जितना रेवेन्यू जमीन से आता है उतना ही रेवेन्यू शराब से आता है । इतना होते हुए भी सरकार वहां की कहती है कि वह शराबबन्दी कर रही है । मैं कहना चाहता हूं कि तीनों टैक्सेज यानी लोकल टैक्सेज, स्टेट टैक्सेज और सेंट्रल टैक्सेज का कौआर्डिनेशन होना चाहिये। यहां पर इंडाइरेक्ट टैक्सेशन बढ़ता जाता है जब कि हमारे यहां के लोगों के पास खाने को भी नहीं रहता हैं । मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी इस पर विचार करें ।

इसके बाद जो रवा तम्बाकू है मैं उसके बारे में बतलाना चाहता हूं। हमारे यहां बीड़ी के कारखाने बहुत हैं। बीड़ी के कारखाने होने के कारण वहां पर रवा तम्बाकू और बीड़ी तम्बाकू में बड़ा कम्पिटीशन है । वहां पर जो बीड़ी के कारखानेदार हैं वे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं । उन्होंने हमारे वित्त मंत्री जी पर इंडाइरेक्ट वजन डलवा कर रवा तम्बाकू पर टैक्स लगवा दिया है ऐसा इम्प्रेशन जनता में है ?

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कहने से क्या फायदा है ?

श्री बड़े: ऐसा इम्प्रेशन है, हो सकता है कि यह गलत हो। चूंकि ऐसा इम्प्रेशन है इसलिये मैं ने सोचा कि इस को सामने आना चाहिये। बहरहाल मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो टैक्सेशन होता है कम से कम गरीबों पर तो वह न डाला जाये। इसलिये रवा तम्बाकू पर जो टैक्स लगाया गया है उस पर विचार किया जाये और हो सके तो उस को दूर किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी यह बिल सदन में पास होने जा रहा हैं। मुझ सिर्फ एक चीज वित्त मंत्री जी से कहनी हैं। मैं यह समझता था कि कम से कम जब कांग्रेस के हाथ में हुकूमत आयगी तो वह राज्य करने से अलग हो कर जिन के हाथ में राज्य की सत्ता होगी उन को समझाने की कोशिश करेगी। आज जो टैक्सेशन की नीति हैं मैं समझता हूं कि उस से गरीब और गरीब हुआ हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण करने में धन की जरूरत होती हैं और करदाता को आहुति की शक्ल में कर देना चाहिये। इस के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन क्या जनता में देने की शक्ति हैं। इस के बारे में हम लोग सोचें। मैं समझता हूं कि उस की सीमा पहुंच गई हैं। चाहे वित्त मंत्री जी को अच्छा लगे या नहीं लेकिन

[श्री स० मो० बनर्जी]

इस के लिय एक देशव्यापी आन्दोलन होगा और मेरे खयाल में कल सारे हिन्दुस्तान में बड़े बड़े शहरों में टैक्सेशन के खिलाफ चाहे रेलवें में हो या जो दूसरे छोटे छोटे टैक्सेज हों आन्दोलन होगा। यहां मैंने देखा कि यह कहा जाता हैं कि चन्द नये पैसे ही तो बढ़े हैं आखिर इस से क्या होगा ? लेकिन जब एक मध्यम वर्ग का या मामूली आदमी महीने के आखिर में देखता हैं तो पाता हैं कि एक एक दो दो नये पैस निकलते निकलते उस की जेब में न नैया पैसा रह जाता हैं और न पुराना पैसा रह जाता हैं। यह उस की असलियत हैं।

गांधी जी का क्या आदर्श था वह मैं एक मिनट में आप के सामने पेश कर के अपना भाषण खत्म कर दूंगा। मेरे पास यह पंडित जी की लिखी हुई किताब "राष्ट्र पिता" हैं। उन्होंने यह लिखा हैं कि जब वह बापूजी से मिलते थे तो वे सवेर घूमने जाते थे और बात करते थे। इस सम्बन्ध व कहते हैं :—

> "मुझे याद है कि एक दिन उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के सम्बन्ध में अपने विचार बता कर मुझे चकित कर दिया था। मैं सोचा करता था कि स्वतन्त्रता मिल जाने पर कांग्रेस का कांग्रेस के रूप में आप से आप अन्त हो जायेगा। किन्तु उन का विचार यह था कि कांग्रेस को रहना चाहिये लेकिन एक शर्त पर—वह यह कि कांग्रेस अपने लिये एक आत्मत्याग का कानून बना ले और यह निश्चय कर ले कि उसका एक भी सदस्य राज्य की अधीनता में कोई वैतनिक पद स्वीकार नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति राज्य में किसी अधिकारी का पद ग्रहण करना चाहेगा तो उसे कांग्रेस से अलग हो जाना पड़ेगा। इस समय मुझे ठीक से याद नहीं कि उन्होंने यह बात किस तरह से समझाई किन्तु उनका असली मन्तव्य यह था कि कांग्रेस अपने आत्मत्याग के बल पर और चिंताहीन रह कर सरकार के कार्यकारी और अन्य विभागों पर बड़ा जबर्दस्त नैतिक दबाव डाल सकती हैं और उन्हें ठीक मार्ग पर रख सकती हैं।"

मेरा कहना यह हैं कि वह चीजें भूल गये है लोग और आज की सरकार एक मस्त हाथी की तरह साधारण जनता को रौंदती हुई चली जाती है। इस पर अंकुश लगाना चाहिये था उन कांग्रेसी भाइयों को जिन के हाथ में राज्य की बागडोर आई थी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को राज सत्ता से अलग रक्खा जाना चाहिये था। लेकिन उन आदर्शों को जिन की नेहरू जी ने अपनी किबात में सराहना की हैं शायद प्रधान मंत्री जी भूल गये है और हमारे वित्त मंत्री जी जिन्होंने गांधी जी के चरणों में राजनीति की शिक्षा पाई थी शायद वे भी भूलते जा रहे है। मुझे इतना ही कहना हैं कि वे आज भी इस के बारे में सोचें कि जनता की देने की ताकत नहीं हैं। यदि वे सोचते है कि जनता के पास देने की ताकत नहीं हैं लेकिन उन के पास लेने की ताकत हैं तो मैं समझता हूं कि यह वन वे ट्रैफिक चल सकता हैं कि जनता टैक्स देती चली जाय जब कि उसके पास खाने के लिये सूखी रोटी भी नसीब नहीं हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से इतना ही कहना है कि वे इस पर विचार करें।

†**श्री मोरारजी देसाई**: महोदय इसी सत्र में तीन अवसरों पर वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में मैं बहुत अधिक कह चुका हूं। अतः इस समय मैं केवल उन्हीं बातों का उत्तर दूंगा जो कही गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती रेणुका राय ने पूछा कि विद्युत् चालित करघों के सदस्यों की सहकारी समितियां जो ४ करघों की सीमा के भीतर आयेंगी क्या इस छूट का लाभ पायेंगी ? यदि २५ सदस्यों की सहकारी समिति के पास १०० तक विद्युत् चालित करघे होंगे तो उनको अवश्य लाभ मिलेगा। यदि उनमें से प्रत्येक के पास ४ से कम करघे होंगे तो उनकी सहकारी समिति को लाभ मिलेगा।

माननीय सदस्य को मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं प्लाईवुड के छोटे पैमाने के निर्माताओं के प्रश्न पर भी विचार कर रहा हूं। मैं विचार कर रहा हूं कि कितनी मात्रा तक उन्हें छूट दी जा सकती हैं। इस समय यह मात्रा ४००० वर्ग मीटर हैं। परन्तु मैं इसे बढ़ा दूंगा।

माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी नीतियां सही नहीं हैं। मेरा निवेदन हैं कि अपनी नीति के सही होने का समाधान मैं उन्हें तब तक नहीं करा सकता जब तक कि वह मेरी नीति व विचारधारा को स्वीकार न करलें। मैं उनकी बातें मानने से इन्कार नहीं करता और उनके अच्छे सुझावों को मानने के लिये सदैव तैयार हूं।

इस सरकार की कराधान सम्बन्धी नीतियां सब को मालूम है। आलोचना के कारण उन नीतियों को छोड़ देने का प्रश्न नहीं पैदा होता। यदि किसी को असुविधा या परेशानी हो तो हम इसे सुनते तथा उनके निराकरण के लिये कार्यवाही करने को तैयार हैं।

श्री त्यागी को इस बात से मैं पूर्णत: सहमत हूं कि व्यय पर पूर्ण निगरानी रखी जानी चाहिये। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि कुछ अप व्यय हो रहा है; परन्तु सब अपव्यय रोका नहीं जा सकता परन्तु फिर भी कुछ तो रोका ही जाना चाहिये। हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक मंत्रालयों को अधिकार सौंपने का प्रश्न हैं हम वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम यह कर रहे हैं कि आय-व्ययक में सम्मिलित मदों का एक बार छानबीन हो जाने के बाद मंत्रालय उस सीमा तक अपने आप व्यय कर सकती है परन्तु उस सीमा से अधिक व्यय करने के लिये उन्हें वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।

मंत्रालय कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुये धन का विनियोजन कर सकते हैं और एक विषय से दूसरे विषय में भी आ सकते हैं। हर बात में विलम्ब की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पर न आने पाये इसीलिये हम मंत्रालयों पर ही जिम्मेदारी डाल रहे है। जिन मामलों में वित्त मंत्रालय पहले से किसी मद के प्राक्कलन तथा आर्थिक प्रभावों को छानबीन नहीं कर लेता उनमें मंत्रालयों को वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होती है। अत: यह बात नहीं है कि हम ढील डाल रहे है या बेपरवाही कर रहे हैं।

आर्थिक शक्तियों का यह प्रत्यायोजन इसलिये किया जा रहा है कि मंत्रालय स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रखें और अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग स काम करें।

हम शक्तियों के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि अधिकारों का प्रयोग अधिकाधिक प्रभावी ढंग से और अधिक किफायत से किया जाये। अत: हम मंत्रालयों से कह रहे है कि वे कार्यालयों के प्रधानों को कुछ अधिकार दें ताकि विलम्ब न होने पावे और अधिक किफायत से खर्च हो।

खर्च के अपव्यय के संबंध में मैं कई बार बता चुका हूं कि अपव्यय को रोकने के लिये कई अभिकरण बनाये गये है परन्तु फिर भी अप व्यय होता ही है। इसका कारण यह नहीं है कि किसी को गलती होती हैं बल्कि हमारे सामने नय-नये अनुभव आते है। अनुभव कमाने के लिये

[श्री मोरारजी देसाई]

हमें कीमत देनी ही पड़ती है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री आलोचना करें और हमें सुझाव दे ताकि हमें उनका सहयोग मिल सके। हम उनकी हर बात स्वीकार नहीं कर सकते पर इसके लिये हम उनके आभारी होंगे।

हवा तम्बाकू की बात भी कही गई।

श्री बड़े : माननीय अध्यक्ष बीड़ी में (रवा) नहीं पड़ता है पत्ता नहीं पड़ता।

†**श्री मोरारजी देसाई :** बड़ी-बड़ी फैक्टरियों के स्वामियों को लाभ देने के लिये यह नहीं किया गया है। वे बीड़ा में भी रवा का प्रयोग करके लाभ उठा रहे हैं। वे हमारे अधिकारियों को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। यही कारण हैं कि हमने ऐसा किया हैं।

माननीय सदस्य आदिवासियों की गरीबी की चर्चा करते हैं और दूसरी ओर उन्हें बीड़ी आदि पीने का प्रोत्साहन देते है। उन्हें चाहिये कि उन्हें समझायें कि भोजन की चिन्ता पहले और बीड़ी आदि की बाद में करें।

अतः मेरा निवेदन है कि वित्त विधेयक में निर्धारित सरकार की नीतियां बहुत समझ बूझ कर रखी गई है। फिर भी इनमें सुधार की गुंजाइश होती हैं और हम इस में सुधार कर सकते हैं।

अन्त में मैं जीवन बीमा निगम की बात लेता हूं। कहा गया है कि जीवन बीमा निगम को मुक्त कर दिया गया है। परन्तु मेरा कहना हैं कि ऐसी बात नहीं हैं। निगम अधिकर देता है। ये दोनों कर अलग हैं। जीवन बीमा निगम २२.५ प्रतिशत अधिकर देता हैं जब कि सामान्य समवाय २५ प्रतिशत देते हैं। स्थानीय निकाय १६ प्रतिशत देते हैं सहकारी समितियां भी १६ प्रतिशत देती है। अतः यह नहीं समझना चाहिये कि जीवन बीमा निगम के साथ कुछ भिन्न व्यवहार किया जा रहा हैं।

इसके अलावा यह बात आज नहीं की जा रही है। जीवन बीमा निगम बनने से पहले सब बीमा समवाय इसी दर से कर देते थे। अतः मैंने कोई नई बात नहीं की हैं। माननीय सदस्य जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि यह निगम अब एक राष्ट्रीयकृत संस्था हैं।

मुझे आशा हैं कि मेरे माननीय मित्र वित्त विधेयक को इन बातों की पृष्ठभूमि में समझेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि विधेयक का संशोधित रूप में पारित किया जाये ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५९-६०

१९५९–६० के लिये आय व्यय (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	उद्योग	१,५९,१८९
३१	वार्धक्य भत्ते और पेंशनें	६,७५,९८६
५१	जनगणना	३,२८ ०३९
५५	हिमाचल प्रदेश	२७,९३,०७१
५७	मनीपुर	५,८३,४६७
९३	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित)	१४,४४,८३७
९७	अन्य असैनिक कार्य	१,०१,१७,८८१
१११	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	३,४५,९७९
१२२	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	९,२३,६१३

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं केवल मांग संख्या ३१, ५१, ५५ और ११५ के संबंध में अपने विचार व्यक्त करुंगा। मांग संख्या ३१ वार्धक्य भत्तों और पेंशनों के संबंध में है।

किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा निवृत होने के बाद उनके पेंशन का मामला १ साल या २ साल तक भी नहीं तय हो पाता। कई बार तो उसकी मृत्यु के बाद तय होता है यही बात उपदान के संबंध में भी है। मेरा निवेदन है कि उसे सेवा-निवृत होने के तीन या छः महीने के भीतर उपदान मिल जाना चाहिये अधिकांश सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों में इस संबंध में विलम्ब होता है। मेरा सुझाव है कि सेवा-निवृत होने पर उन्हें तुरन्त पदर्थ भुगतान किया जाना चाहिये और बाद में उसका समायोजन कर दिया जाना चाहिये इससे निवृत कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा के समय माननीय उपमंत्री ने कहा था कि पेंशन संबंधी नियमों में संशोधन कर दिया गया है और पेंशन की मात्रा भी बढ़ा दी गयी है। कलकत्ता की अखिल भारतीय पेंशन भोगी संस्था ने तीन मांगें रखी हैं। पहली यह थी कि उनकी पेंशन की राशि पर कुछ महंगाई भी दी जानी चाहिये। २०, ५०,१०० या १२० रु० पेंशन पाने वालों को कुछ महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा था कि प्रश्न विचाराधीन है।

उनकी दूसरी मांग पेंशन के रूपान्तरण का है। यह मांग बड़ी सरल है और इस पर कुछ अधिक खर्च भी नहीं आता। मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

मांग संख्या ३५ विभाजनपूर्व के भुगतानों के संबंध में है। मेरी सूचना है कि पाकिस्तान अपने वचन पूरे नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान से कितनी रकम वसूल हो गयी है और कितनी बाकी है।

मांग संख्या ५१ जनगणना के संबंध में है। मैं कानपुर, मदूरै, मद्रास, जैपुर तथा अन्य नगरों के स्तर को बढ़ाने की बात पुनः कहता हूं। कानपुर की जनसंख्या (जनगणना में) ९,४६१,००० है। वहां के नगर निगम के अनुसार जनसंख्या ११ लाख है। इसी प्रकार मद्रास की जनसंख्या २७ लाख है।

जनगणना के बाद हजा ों कर्मचारी फालतू हों जायेंगे। महंगाई व बेरोजगारी के जमाने में इतने व्यक्तियों का बेरोजगार होना ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि उनके लिये कोई और काम ढूंढा जाना चाहिये।

मांग संख्या ५५ हिमाचल प्रदेश के बारे में है। वहां के लिये जब हम इतनी बड़ी राशि स्वीकार कर रहे हैं, तो यह भी आवश्यक है कि सुरक्षा के लिये वहां की सीमा की रक्षा की व्यवस्था की जाये और वहां सड़कें आदि बनवाई जायें।

अभी हाल में हिमाचल प्रदेश के परिवहन कर्मचारियों से कहा गया है कि वे या तो पेंशन संबंधी लाभ लें या कार्मिक संघ बनाने की सुविधा। यह तो उनके साथ अन्याय है।

हिमाचल प्रदेश मे मकानों की अवस्था खंडहरों की सी हो गयी है। पुराने राजे-रजवाड़ों के मकानों को वहां की सरकार ने बहुत अधिक दामों पर खरीदा है। मैं चाहता हूं कि इस विषय में छानबीन की जाये। हिमाचल प्रदेश में अच्छे मकानों की सुविधायें नहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वालों को अच्छे मकान दिये जाने चाहियें। इस समय अच्छे मकान होटलों आदि के लिये इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

अन्त में मैं मांग संख्या ११५ के बारे में जो कि पेंशन की रुपांतरित कीमत के बारे में है, निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस पर पुनः विचार करें।

†**श्री दशरथदेव** (त्रिपुरा पूर्व) : मैं मांग संख्या ९७ के संबंध में बोलना चाहता हूं। अगरतल्ला कलकत्ता खंड में विमानों की कमी रहती है। अगरतल्ला सामान नहीं पहुंच पाता। कलकत्ते में १५०० किलोग्राम सामान रुका पड़ा है। इससे बड़ी हानि हो रही है।

इस संबंध में मैं जब भी ध्यान दिलाता हूं, मुझे आश्वासन दिया जाता है, परन्तु बाद में कुछ नहीं किया जाता। स्थिति पहले जैसी ही रहती है। अतः निवेदन है कि माननीय मंत्री इस संबंध में सावधानी रखेंगे।

विमान किराया भी बढ़ता ही जा रहा है। पहले ३५ रु० था और अब बढ़ कर ६७ रु० हो गया है। अगरतल्ला से कलकत्ता जाने के लिये और कोई परिवहन नहीं है। और गरीब आदमी इतना किराया नहीं दे सकता। अतः मेरा निवेदन है कि यह किराया ४५ रु० से अधिक नहीं होना चाहिये।

इसके बाद मैं गृह-कार्य मंत्रालय के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हाल ही में त्रिपुरा प्रशासन ने वहां से मुसलमानों को निकाल दिया है। ४ से ६ जून के बीच ७०० मुसलमानों को निकाला गया है। इनमें से १०१ व्यक्ति पाकिस्तानी नहीं थे। मेरा निवेदन है कि पाकिस्तानियों को निकालने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर भारतीय राष्ट्रजनों को परेशान न किया जाये और उन्हें बाहर न निकाला जाये। श्री दातार से मेरा निवेदन है कि व त्रिपुरा जाकर देखें वहां क्या हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : इस पत्रिका को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह आय व्ययक पहले की अपेक्षा बहुत सावधानी से तैयार किया गया है। मैं समझता हूं कि अतिरिक्त अनुदानों को यह प्रक्रिया अब अन्तिम प्रक्रिया होगी और भविष्य में ऐसा अवसर नहीं आयेगा जबकि हमें इन पर मतदान करने का अवसर मिलेगा। अतिरिक्त अनुदानों की मांगों में जो यह कमी हुई है वह इस बात का प्रतीक है कि लोक लेखा समिति ने लेखाओं की उचित देख भाल की है और उसी का फल है कि इन अनुदानों में इतनी कमी हुई है। जिन मदों के लिये अनुदान मांगे गये हैं उनकी व्याख्या सही ढंग से नहीं की गई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

जनगणना का काम ठीक ढंग से हुआ है। लेकिन कहीं कहीं बड़ी भूलें भी देखने में आई हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बटाला नामक एक स्थान है। यह बात सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां की जनसंख्या बढ़ी है किन्तु जनगणना के कागजों में यहां की जनसंख्या घटी हुई दिखाई गई है। अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे ऐसे कामों के लिये अच्छे व्यक्तियों का चयन करें।

पेंशन के कागजात पूरे होने में बहुत समय लगता है। आवश्यकता इस बात की है कि पेंशन के नियमों को बदला जाये। गृह मंत्रालय एक समिति नियुक्त करे जो इन नियमों की जांच पड़ताल करे और इन नियमों को ऐसा मोड़ दे ताकि पेंशन के कागजात को निपटाने का काम शीघ्रता से हो सके। पेंशन के काम में देर होने से लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। अगर यह कार्य जल्दी नहीं किया तो लोगों को सन्तुष्ट करने में बड़ी कठिनाई होगी।

हिमाचल प्रदेश, अथवा पंजाब में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या किसी और राज्य के लोग सरकारी सेवा में हैं तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। यह तो राष्ट्रीय एकता का चिन्ह है। हमतो इसका स्वागत करते हैं। बल्कि हम तो चाहते हैं कि दूसरे राज्य के लोग भी हमारे राज्य में आयें। यह तो राष्ट्रीय एकता की ओर एक कदम है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९-६० के संबंध में लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३१	१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पेंशन की त्रुटिपूर्ण गणना	१०० रुपये
५१	२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	जनगणना पर भारी व्यय	१०० रुपये
५७	३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	मनीपुर में लड़कियों की शिक्षा का व्यय	१०० रुपये
१२२	४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजना	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पेंशन का हिसाब लगाने का ढंग पेचीदा होने के कारण पेंशन मिलने में कई बार बहुत देरी हो जाती है। कुछ व्यक्तियों की पेंशन का निर्णय उनकी मृत्यु के बाद में हुआ। पेंशन के नियमों को सरल बनाया जाना चाहिये ताकि पेंशन के मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जा सके। पेंशन की दर भी रहन-सहन के बढ़ते हुये खर्च को देखते हुये बढ़ाई जानी चाहिये। इस पर सरकार को गौर से विचार करना चाहिये।

जनगणना के आंकड़ों का हिसाब बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हमारी योजनाएं, और कई स्कीमों का निर्भर है। जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण पर देश की सुरक्षा का निर्भर है। इस लिये इस कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारी अपने कार्य में बहुत कुशल होने चाहियें।

जनगणना के पूर्ण होने तक ३ वर्ष के लगभग समय लग जाता है। जो कर्मचारी इस काम पर नियुक्त किये जाते हैं, उन्हें इस काम का तजुर्बा हो जाता है। सरकार को उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिये। जैसा कि १९५१ की जनगणना के मामले में किया गया था उनको किसी न किसी सेवा में खपा लेना चाहिये और इस कार्य के लिये केन्द्र, गृह मंत्रालय और राज्यों के बीच में अधिक समन्वय होना चाहिये।

मनीपुर और त्रिपुरा के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। अब वहाँ, स्कूल, होस्टल और अध्यापकों के क्वाटर बनाने के लिए और अनुदानें माँगीं जाती हैं। सरकार पहले इस सम्बन्ध में गलती से भूल गई। इस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। त्रिपुरा में स्त्री शिक्षा के लिए जो गैर सरकारी समिति नियुक्त की गई थी, उस की राय में मनीपुर की लड़कियां बहुत पिछड़ी हुई हैं, क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं बोल सकतीं। यथार्थ ये सामाजिक रूप में ये लड़कियाँ काफी आगे हैं। हम मनीपुर और त्रिपुरा के आदिवासियों को विकास न करने दे कर जानबुझ कर पिछड़ा बनाए हुए हैं। इस के लिए केन्द्रीय प्रशासन की नौकरशाही प्रवत्ति जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को बदलना होगा।

राष्ट्रीय जलसम्भरण तथा स्वच्छता योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सभा को इस बात का पता नहीं है कि इस योजना का कार्य कैसा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में आयोजन का अभाव है। कलकत्ता जैसे बड़े नगरों को स्वच्छता आदि के कारण बहुत नुक्सान होता है। हमें जल सभरण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कलकत्ता में जल की कमी से भी काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अतिरिक्त माँगें पेश करने में बहुत देरी कर दी गई है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की ओर ध्यान नहीं देती। सरकारी संगठन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। स्थित में सुधार की आवश्यकता है।

जहाँ तक जनगणना का सम्बन्ध है, गणनाकर्ताओं से पहले की तरह से ही गणना करने के लिए कहा जाना चाहिए था; उन से आँकड़ों में जाति को सम्मिलित न करने के लिये कहने का कोई लाभ नहीं है। कागजों में से जाति के स्तम्भ को निकाल देने से लोग अपनी जाति को भल नहीं गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथों के मामले में हमारी नीति प्रगतिशील नहीं है । दिल्ली से राजस्थान और मध्य भारत होती हुई बम्बई जाने वाली सड़क जिसे अंग्रेजों ने १८३७ में बनवाया था की स्थिति बहुत खराब है । इसे राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जाना चाहिए । इस काम के लिए किसी प्रगतिशील निकायों की आवश्यकता है जो कि राजपथों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने और राजपथों की देख भाल के लिए उचित सुझाव दे सके ।

आदिम जातियों के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । आदिम जातियों के लिए दिए जाने वाले धन का लाभ वे लोग उठा रहे हैं जो ईसाई बन गए हैं, वास्तविक गरीब आदिवासियों को, जिन को संस्कृति और धर्म की जड़े हमारे देश में गहरी जमी हुई हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है और वे अभी भी पीड़ित हैं ।

कुछ पेंशन वालों को पेंशनें देर से मिलती हैं । इस लिए उन की स्थिति दयनाय है । सरकार को इस काम के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए । पेंशनरों को पेंशन ठीक मिलनी चाहिए और पेंशन बढ़ा दी जानी चाहिए । कई व्यक्तियों को बहुत कम पेंशन मिलती है । उनकी पेंशन बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि उन का निर्वाह तो हो सके . सरकार को पेंशन वालों की स्थिति सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो गजेटेड आफिसर्स हैं वह तो बर्दाश्त भी कर सकते हैं लेकिन गजेटेड अफसरन के नीचे क्लास के जो पेंशनर्स हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता है । आप इसके लिए कमेटी अथवा कोई कमिशन बना सकते हैं । जोकि उनकी हालत का जायजा ले और यह देखे कि किस बुरी हालत के अन्दर वह गूजर कर रहे हैं । जो पेंशन उनको दी जाती हे वह बहुत मामूली है और खास कर आज जब कि महंगाई जोरों पर है और चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, उनको मिलने वाली पेंशन की रकम बहुत ही नाकाफी साबित हो रही है । मैं ऐसी जगह पर रहता हूं जहाँ कि काफी पेंशनर्स रहते हैं और उन से मिलने और बातचीत करने का मूझे मौका मिलता रहा है और मैं जानता हूं कि बस किसी तरह वह जिंदा रहते हैं । सरकार को ऐसे बुढ़े पेंशनर्स पर रहम दिखाना चाहिए और खास कर आज के हालात में जबकि प्राइसेज इतनी बढ़ रही हैं और दिन पर दिन मंहगाई बढ़ रही है, उनकी पेंशन में इजाफा करना चाहिए । प्राइसेज इतनी हाई जा रही हैं कि उनकी साम्यर्थ के बाहर हैं । जब गजेटेड अफसरान तो अपने इंश्योरेंस से या और चीज से रुपया निकाल कर जैसे तैसे गुजर भी कर लेते हैं लेकिन वे कर्मचारी जिनकी कि तनख्वाहें मामूली होती हैं, फोर्थ क्लास सर्विस के हैं, क्लर्क्स हैं, असिस्टेंट हैं या सुपरिनटेंडेंट्स हैं उनकी पेंशन आज के हालत में बहुत ही मीगर है और उनकी हालत काबिले रहय है और उनकी पेंशन बढ़ाने की ओर ध्यान देने की जरुरत है ।

जहाँ तक हैल्थ का सवाल है नेशन की हैल्थ के लिए यहाँ आ कर कहा जाता है कि हमने यह किया और वह किया लेकिन पानी जोकि किसी नेशन की प्राइम नेसेसिटी होती है और नेशन की हैल्थ शुद्ध पानी पर डिपेंड करती हैं, उस पानी का इंतजाम नहीं किया जा सका है । आज मुल्क के अंदर फ्लड्स और वाटरलोगिंग की प्राब्लम पैदा हो गई है और सारे के सारे कुए खराब हो चुके हैं । दिल्ली राज्य को ही ले लें । यहाँ के तमाम गाँवों के अन्दर पानी भरा हुआ है । ६ महीने पानी भरा रहता है । कुए खराब हो चुके हैं और यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है । अब शो के लिए बाहर से यदि कोई आता है

[श्री लहरी सिंह]

तो उसको अशोक होटल दिखा दिया जाता या चंड़ीगढ़ भेज देते हैं या कोई यहाँ की अच्छी सड़क दिखा देते हैं। दूर क्यों जाइये यहीं दिल्ली स्टेट के अन्दर फ्लड्स और वाटरलोगिंग की वजह से गाँव के कुए खत्म हो चुके हैं। उनके अन्दर पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। कुओं की मरम्मत, उनकी देखभाल और दुरुस्ती करने की हमारी रफ्तार इतनी धीमी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में तो हैल्थ डिपार्टमेंट को अगर तोड़ दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हैल्थ डिपार्टमेंट वही अंग्रेजों के वक्त में जैसे वह काम करता था, अब भी कर रहा है। उसका ध्यान दिल्ली को डेवेलप करने की ओर रहता है कि यहाँ अच्छी, अच्छी सड़कें हो जायें। लेकिन अन्य जगहों और विशेष कर गाँवों की हालात दुरुस्त करने की ओर वह अमली कदम नहीं उठाता है और उधर उसकी रफ्तार निहायत ही धीमी रहती है। अब यह ठीक है कि यहाँ दिल्ली में ऐसे मकान बनवा दिये गये हैं जहाँ कि मक्खी और मच्छर नहीं आते हैं। यह बड़े अफसोस का मुकाम है कि नेशनल गवर्नमेंट को इस देश में कायम हुए १४ वर्ष हो गये और काफी ग्रांट्स वगैरह भी वह प्रोवाइड करती है लेकिन पता नहीं वह ग्रांट्स कहाँ जाती है या उनको खा लिया जाता है क्योंकि हैल्थ डिपार्टमेंट दस गांवों के वास्ते भी यह दावा नहीं कर सकता कि वहाँ उसने पानी का उचित बन्दोबस्त कर लिया है। गाँवों में वही गन्दगी, मक्खी मच्छर, कूड़ा करकट का ढेर और गन्दी टट्टियों देखने को मिलेंगी। यह तो ठीक है कि वह दिल्ली में साउथ एवेन्यु आपको मकानों में मक्खी, मच्छर नहीं मिलेंगें लेकिन दूर क्यों जायें यहीं दिल्ली में बाकी जगहों में वहीं गन्दगी और खराब हालत मौजूद है। अब नेशनल गवर्नमेंट को कायम हुए करीब १५ साल हो गये कम से कम पानी जोकि हैल्थ के लिए बहुत जरुरी है, उसका तो बन्दोबस्त ठीक से होना चाहिए। लेकिन आज हम उसमें भी मिजरेबिली फेल हो रहे हैं। अब अंग्रेज में जवाब दे दिया जाता है कि यह हो रहा है और वह होने जा रहा है लेकिन दरहकीकत नाला वहीं पर बह रहा है जहाँ कि वह पिछले बहता था। मैं तो जहाँ जहाँ गया हूं मैं ने वहीं खराब हालत पाई है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में इनक्वायरी कराई जाये कि ग्रांट्स जो उसको मिलती है वह दरअसल कहाँ जाती है या फिर इस महकमे को ही तोड़ दिया जाये तो भी अच्छा होगा।

श्री शिव नारायण (वाँसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं शर्मा जी का बड़ा अनुगृहीत हूं कि फाइनेंस बिल पर बोलते हुए मैं एक प्वाइंट मिस कर गया था सो आज उन्होंने मुझे वह रिमाइंड करा दिया। उन्होंने सेंसस की बात कही। उन्होंने अपनी कांस्टीटुएंसी के एक कस्बे का जिक्र किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं ने गांव गांव में घूम कर देखा है कि जिस गांव में जिस घर में १० वोट थे वहां सिर्फ दो वोट हैं। ब्राह्मण चमार मुसलमान सब ने इस बारे में शिकायत की और यहां तक कहा कि मालूम होता है कि डिक्टेटरशिप चल रही है। अब शर्मा जी को शायद मालूम नहीं है कि यह सेंशस के काम की जिम्मेदारी गांव के प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर्स की है और उनसे इसकी बेगार ली जाती है। इसी लिये गवर्नमेंट के पास कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है और सेंशस का काम यह टीचर्स लोग ही करते हैं। अब मेरा कहना है कि इस तरह की बेगार उनसे क्यों ली जाती है? अगर उनसे यह काम लिया जाय तो उसके लिये मुनासिब मेहनताना भी उनको मिलना चाहिये। आज मैं समझता हूं कि बजाय ४० करोड़ के हिन्दुस्तान की कुल आबादी करीब ६० करोड़ के हो गई है लेकिन इस बारे में सही इनफारमेशन गवर्नमेंट

के पास नहीं है । इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि यह सैंशस का काम ठीक ढंग से करे और उसके लिये उचित व्यवस्था करे ।

पेंशन के बारे में जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने कहा है पेंशन माकूल दी जाय और इन टाइम दी जाय । रिटायर होने के ६ महीने बाद से उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जानी चाहिये क्योंकि इसमें देर होने से बुढ़ापे में उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । पानी की व्यवस्था करने का जहां तक सवाल है हमारी उत्तरप्रदेश की सरकार ने इस दिशा में प्रबन्ध किया है और कर रही है । ट्यूबवैल्स के जरिये वह गांव गांव में पानी दे रही है । मैनीफैस्टो में इस बात का ऐलान किया है कि वह अगले पांच वर्षों में लोगों के वास्ते शुद्ध पानी का बन्दोबस्त कर देंगे । अब जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हैल्थ डिपार्टमेंट तोड़ दिया जाय तो इससे तो काम होगा नहीं । अब एकदम से कोई जादू तो हो नहीं सकता है । हैल्थ डिपार्टमेंट की आवश्यकता है और वह रहना चाहिये अलबत्ता इस बात की निगरानी रखनी चाहिये कि ठीक से काम किया जाय । संयोग से हमारी हैल्थ मिनिस्ट्री में दोनों मिनिस्टर्स डाक्टर हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि उनके कारण वहां ठीक से काम चलेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान दिया जायगा ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य था कि अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य सभी विषयों पर बोल सकेंगे क्योंकि पिछले हफ्तों में ही विभिन्न मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा हुई और उस समय सदस्य प्रत्यक मंत्रालय से सम्बन्धित विषयों पर बोल सकते थे ।

जहां तक इन मांगों के औचित्य का सम्बन्ध है किसी को आपत्ति नहीं थी । यथार्थ में लोक लेखा समिति ने स्वयं इन को नियमित रूप देने के लिये सिफारिश की थी । जो जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं उन का ध्यान रखा जाएगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने जनगणना के बारे में कहा । जनगणना कार्य से सम्बन्धित शिकायतें गत वर्ष ही अधिकारियों की जानकारी में लाई जानी चाहिये थीं; इस समय तो सरकार उनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रकाशनों का संकलन कर रही है ।

†**श्री का० रा० गुप्त** (अलवर) : उस समय हम सदन में नहीं थे ।

†**श्री दातार** : हमने नियत समय के अन्दर सारी जानकारी को इकट्ठा करके किताबों के रूप में छापना होता है । जनगणना के सम्बन्ध में एक आपत्ति एक माननीय सदस्य ने ठीक उठाई । **उन्होंने कहा कि जनगणना अधिकारियों** ने २,००० टन कागज मांगे थे । अब प्राक्कलन लगाया गया **था तो जो चाहिये था** उससे कुछ अधिक था । अन्त में पता हुआ कि केवल १,६४३ टन कागज पर्याप्त होगा । हम ने हिसाब लगा कर १,३५० टन मांगें थे । कुछ और चाहिये था परन्तु यह २,००० टनों की मूल मांग से बहुत कम था । इन परिस्थितियों में सदन इस बात की सराहना करेगा कि जनगणना जैसे महान कार्य में भी बचत की गई ।

हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में कहा गया था कि वहां उत्तरप्रदेश राज्य के कुछ अधिकारी थे । सरकारी सेवा के बारे में निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध संसद् के अधिनियम द्वारा हटा दिए गए हैं । किन्तु हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मनीपुर, और आन्ध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

निम्न स्तर के कुछ पद स्थानीय लोगों के लिये सुरक्षित रख दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों के अधिकारी बहुत भर दिए गए हैं ।

जहां तक मनीपुर का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र ने बताया कि कुछ राशियां जो मांगी जानी चाहिये थीं वे उचित समय पर नहीं मांगी गईं । उन्होंने "ओवरसाईट" शब्द पर आपत्ति की थी । जब बहुत बड़ी योजनाएं चल रही थीं तो अनवधानता के कारण कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में सारा विधेयक ठीक समय पर नहीं आया । जब तक वे तैयार हुईं, काम चलना था । अतः यह अनवधानता योजनाएं प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में थी और योजनाओं के कार्यान्वियन के बारे में नहीं थी ।

†**श्री बड़े** (खरगोदा) : क्या सारी राशि का व्यय हो चुका है ।

†**श्री दातार** : खर्च करने का प्रश्न नहीं है ।

†**श्री बड़े** : कितना हिस्सा उन्होंने व्यय किया है ।

†**श्री दातार** : योजनाए प्रस्तुत करने में कुछ देरी थी । इस से अधिक कुछ नहीं । योजनाओं का कार्यान्वियन हो रहा था और बाद में जहां तक द्वितीय योजना का सम्बन्ध है व्यय बढ़ गया था । जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध था कुछ न्यूनताएं थीं, परन्तु गति बढ़ गई और इसीलिये बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ गई । इस राशि की मांग समय पर नहीं की गई और जिस समय यह राशि मांगी गई, वर्ष समाप्त हो गया । यही कठिनाई थी ।

जहां तक आदिम जातियों का सम्बन्ध है, एक संवैधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूर्ण ध्यान रखा जाना है । जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का प्रश्न है, उस का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह केवल अनुसूचित जातियों के हिन्दुओं के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है । अतः धर्म के प्रश्न को उठाना उचित नहीं होगा । सरकार की यह नीति है कि अनुसूचित आदिम जातियों तथा उनके क्षेत्रों का पूर्णतः विकास हो ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मांगों को प्रस्तुत करने में देरी का मामला उठाया गया । यह पूछा गया कि अतिरिक्त मांगें क्यों होनी चाहिये । सही स्थिति इस प्रकार है कि अतिरिक्त अनुदानों की मांग लोक लेखा समति की सिफारिशों के आधार पर पेश की गई हैं । लोक लेखा समिति का सम्बन्धित प्रतिवेदन ११ मार्च, १९६२ को संसद् को पेश किया गया था । ऐसी परिस्थिति में मांग पेश करने में बिलम्ब अपरिहार्य था । इस में सम्बन्धित मंत्रालयों का कोई दोष नहीं है ।

लोक लेखा समिति ने ठीक प्रक्रिया अपनाई है जिस के अनुसार उसने अपने मुख्य प्रतिवेदन से पहले ही सिफारिशें देनी आरम्भ कर दी हैं । यद्यपि अन्तरिम प्रतिवेदन बुनियादी आलोचनाओं के बारे में हो, शीघ्र कार्यवाही की जाती है । १९५९ और १९६० से सम्बन्धित अनुदानों और विनियोगों में से केवल १४ मामलों में अधिक खर्च हुआ । यह संख्या बहुत अधिक नहीं है । वह

†मूल अंग्रेजी में

खर्च भी सम्बन्धित मंत्रालयों की चालू बचत से उसी अनुपात में कम हो गया है। इसलिये विभिन्न मंत्रालयों में जो बचत हुई है उन से इसे बहुत हद तक पूरा किया है।किया है । बजट तैयार करने और वित्तीय नियन्त्रण के सारे प्रश्न नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा १९५८ में की गई प्रस्थापना के सम्बन्ध में पूर्णतया निरीक्षण हो चुका है और जो त्रुटियां ध्यान में आती हैं हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं ।

पेंशनों का सम्बन्ध गृह-कार्य और वित्त मंत्रालयों से है। अभ्यावेदन जो मिले हैं उन के सम्बन्ध में सुधार करने की ओर ध्यान दिया गया है। सरल किए हुए पेंशन के नियमों की एक प्रति अप्रैल, १९६१ में सभा पटल पर रख दी गई। प्रत्येक वर्ष लाखों मामले निपटाये जाते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन में कठिनाई होती है, परन्तु अब हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि देरी न हो ।

महंगाई भत्ते के बारे में एक अभ्यावेदन सरकार के पास आया कि निवृत्ति की तिथि को ध्यान में न रखते हुए मंहगाई भत्ता सब को देना चाहिये। अल्प पेंशन पाने वाले लोगों को तदर्थ वृद्धि देने का प्रश्न विचाराधीन है और सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय करेगी।

सब निवृत्त व्यक्तियों के पेंशन दर बढ़ाने का प्रश्न उठाया गया था । हमें अपने शब्दों और वक्तव्यों के महत्व को समझना चाहिये। यह कहना कि "यह करिए और वह करिये" बहुत आसान है। हमारे लिये भी यह उचित है कि प्रत्येक प्रस्थापना की पेचीदगियों का अध्ययन करें ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने यह बात उठाई है । मैं मानती हूं कि कम पेंशन पाने वाले पेंशनरों को बड़ी कठिनाई हो रही है। किन्तु क्या हम उस को पूरा कर सकते हैं ? यदि हम सब पेंशनरों के मामले को लें, तो हमें केवल एक बात अर्थात् पेंशन पर बहुत खर्च करने की समस्या हमारे सामने आयेगी। हमारी वित्तीय स्थिति को तथा धन खर्च करने की अपनी क्षमता को देखते हुए मैं मा० सदस्य से पूछूंगी कि क्या वह इसे व्यावहारिक बात समझते हैं । और कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि हम पेंशनरों के एक वर्ग तथा दूसरे वर्ग के बीच कैसे भेद करें। यदि हम वास्तव में ही उन की मूल नीति को स्वीकार करते हैं, तो सभी पेंशनरों को इस की परिधि में लाना होगा। मैं नहीं समझती कि मा० सदस्य ने इस प्रस्ताव के वित्तीय पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया होगा । अन्यथा वह यह न कहते कि सब पेंशनों में वृद्धि करने की सामान्य नीति अपनाई जानी चाहिये ।

किन्तु मैं मा० सदस्यों को यह बताना भी चाहती हूं कि पूर्वनिर्धारित राशि को सर्वथा न्यूनतम मानना संभव नहीं है, क्योंकि इस का कारण यह है कि पेंशन के आकार का पेंशन वाली सेवा वाले सब लोगों की संख्या तथा उस की सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में सरकारी कर्मचारी प्राप्त द्वारा वेतन आदि के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। अतः उन का यह तर्क कि पेंशनरों को बहुत कम धन मिलता है, सभी मामलों में सही नहीं होता, क्योंकि अपनी सेवा के अन्तिम वर्षों मे उस व्यक्ति को अपने वेतन का अधिकतम मिलता है और पेंशन उस आधार पर परिवर्तित तथा नियत की जाती है ।

मैं सभा को यह भी बताना चाहती हूं कि हम ने कम वेतन वाले सरकारी कमचारियों को कुछ शिक्षक रियायतें भी दी हैं । किन्तु सभी पेंशन वालों को यह रियायत देना सम्भवतः कठिन होगा ।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

शन के बारे में दूसरी बात भी है, कि यह सही तरीके से परिवर्तित नहीं की जाती क्योंकि पेंशन नियम सरल नहीं हैं। मैं सभा को बता दूं कि पेंशन की मात्रा दो बातों पर निर्भर है, एक अर्हनीय सेवा और दूसरी वेतन आदि। इन दोनों को गिनती करने के नियमों पर वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात् हाल ही विचार किया गया है तथा सरल बनाया गया है। इसलिये मैं यह नहीं समझती कि इन नियमों को सरल बनाये जाने के पश्चात् अब अधिक कष्ट उठाना पड़ता है।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूं। श्री लहरी सिंह ने यह बात उठाई है और कहा है कि जल संभरण के मामले में अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहती हूं कि उन को सभा में इस प्रकार का निराधार आरोपजनक वक्तव्य देने से पूर्व अधिक तथ्य जान लेने चाहियें। मेरे पास जल संभरण के सम्बन्ध में दूसरी योजना की प्रगति के बारे में एक पूरा पृष्ठ है। और क्योंकि उन्होंने ऐसा आरोप वाला वक्तव्य दिया है मैं उन आंकड़ों का उल्लेख करूंगी। दूसरी योजना में ५७ करोड़ रुपये केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में—३४ करोड़ रुपये और राज्य स्वास्थ्य योजनाओं में २३ करोड़ रुपये की व्यवस्था केवल राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (नगरीय) के लिये किया गया था। २७.९ करोड़ रुपये की लागत की २०८ योजनायें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी योजना में अनुमोदित की गई थीं और लगभग ४२ करोड़ रुपयों की ऋण सहायता उस अवधि में सब राज्य सरकारों को दी गई थी। यह नगरीय जल संभरण के लिये है। ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता योजनाओं के लिये, राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (नगरीय) के अन्तर्गत राज्य योजनाओं में २८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। लगभग ५.४८ करोड़ रुपयें की लागत की २१४ ऐसी योजनायें इस अवधि में अनुमोदित हुई थीं और इन योजनाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग १८ करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

इस का यह अर्थ नहीं है कि वह सब राशि बेकार गई है और कोई परिणाम नहीं निकला है। मैं उन से प्रार्थना करूंगी—वह न केवल बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं और विधान सम्बन्धी पर्याप्त अनुभव रखते हैं किन्तु वह स्वयं सरकार में रहे हैं—उन को तथ्यों के सम्बन्ध में मेरी बात स्वीकार करनी चाहिये। उन को कम से कम यह बात मन में रखनी चाहिये कि निराधार आरोप वाले वक्तव्य योजना के सम्बन्ध में अपने देश के लोगों के विश्वास को घटाने में बहुत हानिकारक होते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से प्रार्थना करूंगी कि अधिक अनुदान की इन सब मांगों को स्वीकार कर लिया जाये और मैं पुनः दुहराऊंगी कि जहां तक संभव होगा हम विलम्ब और अधिक खर्च को रोकने के लिये अपना पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वह स्वास्थ्य मंत्रालय को समाप्त करवाना चाहते हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इसीलिये मैं ने कहा है कि वह स्वयं मंत्री रहे हैं और उनको इस प्रकार के निराधार आरोप वाली बात नहीं कहनी चाहिये।

ये बातें बार बार आती रही हैं। इसलिये मैं गालिब के इन शब्दों का उल्लेख कर के अपना भाषण समाप्त करती हूं :—

"या रब न तो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात।
दे और दिल उन को जो न दे मुझ को जुबां और।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : औचित्य प्रश्न है कि गणपूर्ति न हो के कारण वित्तीय मांगें अब नहीं रखी जा सकतीं ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मुझे एक वक्तव्य देना है ।

आज प्रातः कुछ मा० सदस्य जानना चाहते थे कि क्या हम सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों सम्बन्ध में संसद् की संयुक्त समिति के बारे में एक संकल्प पेश कर रहे हैं मुझे अभी उद्योग मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में वह कहते हैं कि उस संकल्प की चर्चा के लिये कम से कम दो दिन सभा में लगेंगे । यदि मंत्री जी स्वयं दो दिन कहते हैं तो मैं नहीं जानता कि शायद सभा कुछ और अधिक समय लेना चाहेगी । पिछली बार कुछ विवादास्पद प्रश्न उठाये गये थे आप को याद होगा । इसलिये इस को अब लाना संभव नहीं है क्योंकि हमने २२ को सभा बर्खास्त करने का फैसला किया है । मैं उस संकल्प को अगले सत्र के आरम्भ में लाने का विचार करता हूं जो अगस्त के पहले सप्ताह में अर्थात् ६ अगस्त को होने वाला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सोमवार को मतदान करेंगे । सभा सोमवार के ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा १८ जून १९६२/ज्येष्ठ २८, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, १६ जून, १९६२

२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शाक)

	विषय	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४८९	एयर इंडिया के सुपर कांस्टेलेशन विमान	५०६५—६६
१४९०	देश में नर्सों की कमी	५०६६—६८
१४९१	'ट्रैफिक डैब्ट्स' के कारण कर्मचारियों से बैसूली	५०६८—६९
१४९३	ग्राम की कुरचना के बारे में अनुसन्धान	५०६९—७०
१४९४	विदेशी पर्यटकों के लिये शराब के परमिट	५०७०—७३
१४९५	दिल्ली आयुर्वेदिक कालेज	५०७३—७४
१४९६	स्वचालित ट्रंक काल की सुविधा वाले स्थान	५०७४—७६
१४९८	पानी के शुल्क की दरों का सुव्यवस्थाकरण	५०७६—७८
१४९९	मत्स्य पालन कार्यकर्ता प्रशिक्षण संस्था, कोचीन	५०७८—७९
१५००	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	५०७९—८०
१५०१	बिना टिकट यात्रा की जांच करने के लिये रेलवे मजिस्ट्रेट	५०८०
१५०२	कृषकों को ऋण	५०८०—८१
१५०३	पूर्वी तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	५०८२—८३
१५०५	दामोदर घाटी निगम	५०८३—८५
१५०७	पश्चिम जमुना नहर का व्यवर्तन	५०८५
१५०८	दिल्ली में तापीय विद्युत् संयंत्र	५०८५—८६
१५०९	उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ने के मूल्यों में कमी	५०८६—८८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४९२	दक्षिण रेलवे में पदोन्नति की प्रक्रिया	५०८९
१४९७	अन्तर्देशीय परिवहन के लिये ब्रह्मपुत्र का तलकर्षण	५०८९—९०
१५०४	आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत	५०९०
१५०६	बम्बई गोदी में खाद्यान्नों का इकट्ठा होना	५०९०—९१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या		
३२१४	बीकानेर में औद्योगिक साईडिंग पर रोशनी और पानी का प्रबन्ध	५०९१
३२१५	कोटा को डबल लाइन के द्वारा बम्बई और दिल्ली के साथ मिलाना	५०९१–९२
३२१६	सहायक खुराक की फसलें	५०९२
३२१७	केरल में आम का फल	५०९२–९३
३२१८	केले के पेड़ों का रोग	५०९३
३२१९	नयी दिल्ली में विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारी	५०९३–९४
३२२०	मीनाम्बक्कम् हवाई अड्डा	५०९४
३२२१	केरल में राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम	५०९४
३२२२	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	५०९५
३२२३	राजस्थान के लिए वृक्ष संरक्षण काय	५०९५
३२२४	राजस्थान नहर योजना	५०९५–९६
३२२५	दक्षिण पूर्व रेलवे में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाएं	५०९६–९७
३२२६	डाक तथा तार घर	५०९७
३२२७	रेलवे रक्षा बल में भर्ती	५०९७
३२२८	सिन्दरी उर्वरक कारखाने के लिये जिप्सम का लदान	५०९७
३२२९	चीनी के कारखाने	५०९८
३२३०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	५०९८
३२३१	मछलियों की बिक्री	५०९९—५१००
३२३२	ग्रामीण दुग्धशालाएं	५१००
३२३३	मद्रास राज्य में नौय्यल योजना	५१००
३२३४	कोयाबटूर में लोकोशेड	५१००–०१
३२३५	होसुर, मद्रास जिले में प्लेग	५१०१
३२३६	रायपुर और बिलासपुर जिलों में तारघर	५१०१
३२३७	रायपुर और विशाखापटनम के बीच की लूप लाइन	५१०२
३२३८	रायपुर जिले में सघन खेती कायक्रम	५१०२–०३
३२३९	मद्रास राज्य में नदियों का सर्वेक्षण	५१०३
३२४०	स्टेशनों पर प्रतीक्षालय	५१०३
३२४१	उत्तर रेलवे स्टेशनों को जल संभरण	५१०३–०४
३२४२	आंध्र प्रदेश में भूमि संरक्षण योजनाएं	५१०४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमशः)

अतरांकित
प्रश्न, संख्या

३२४३	हिन्गोली को बार्शी से मिलाने वाली रेलवे लाइन . .	५१०४—०५
३२४४	मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजनायें . .	५१०५—०६
३२४५	मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना . . .	५१०६
३२४६	पहाड़ी इलाकों में उठाऊ सिंचाई . . .	५१०६
३२४७	कर्ण फूली बांध	५१०६
३२४८	डोढा डीह रेलवे स्टेशन पर भूमि अधिग्रहण . .	५१०६—०७
३२४९	होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति	५१०७
३२५०	स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सहायता समिति, दिल्ली द्वारा दूधका विक्रय	५१०७—०८
३२५१	कोसी कलां स्टेशन के पास रेल दुर्घटना . . .	५१०८
३२५२	सहकारी कृषि समितियां, त्रिपुरा . . .	५१०८
३२५३	विदेशों में पर्यटक कार्यालय	५१०८
३२५४	दक्षिण पूर्व रेलवे पर रांची और बाडुमुण्डा के बीज रेलवे लाइन	५१०९
३२५५	गुजरात राज्य में टेलीफोन	५१०९—१०
३२५६	दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यात्रियोंके मासिक किराया टिकट	५११०
३२५७	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पहाड़ी सेक्शनमें रेलगाड़ी सेवामें अव्यवस्था	५११०—११
३२५८	मद्रास राज्य में क्षयरोग की रोक थाम के लिए अग्रिम परियोजना	५१११
३२५९	बिहार में अजय नदी पर बांध . .	५१११
३२६०	सचदेव समिति की रिपोर्ट	५११२
३२६१	कुम्भ मेला में उत्तर रेलवे की भोजन व्यवस्था .	५११२
३२६२	बिना टिकट यात्रा	५११३
३२६३	वन सम्पदा का अध्ययन	५११३—१४
३२६४	सी० एच० एस० डिस्पेंसरी, लक्ष्मीबाई नगर . .	५११४
३२६५	सी० एच० एस० डिस्पेंसरी, लक्ष्मीबाई नगर . .	५११४
३२६६	बेलरैन रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) की चारदीवारी बनाना .	५११४—१५
३२६७	भोजन में विष के कारण मौतें . . .	५११५
३२६८	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाई . .	५११५—१६
३२६९	हिमाचल प्रदेश प्रशासन परिवहन . . .	५११६—१७
३२७०	हिमाचल प्रदेश में निजी परिवहन चालक . . .	५११७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३२७१ हिमाचल प्रदेश में मोटर चलने योग्य सड़कें . . ५११७
३२७२ हिमाचल प्रदेश में परिवहन का प्रशासनिक ढांचा . . ५११८
३२७३ १९६० में हुई आम हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना ५११८
३२७४ केरल में भूमि को कृषि योग्य बनाना . . . ५११८–१९
३२७५ केरल में पीने के पानी का अभाव . . . ५११९
३२७६ उड़ीसा में हल्दीपाड़ा और बस्ता के लेवल क्रासिंग . . ५११९–२०
३२७७ मैसूर राज्य में मालप्रभा परियोजना . . . ५१२०
३२७८ रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की तरक्की . . . ५१२०–२१
३२७९ आगरा का वाटर वर्क्स ५१२१
३२८० फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन पर व्यापारियों के लिये माल डिब्बे ५१२१
३२८१ भारतीय विमान सेवा निगम के सेवा विमानों में दिया जाने वाला भोजन ५१२२
३२८२ त्रिवेन्द्रम के आंखों के अस्पताल . . ५१२२
३२८३ आंध्र प्रदेश में विद्युत् परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा . ५१२२–२३
३२८४ आंध्र प्रदेश से सिंचाई और विद्युत् परियोजना प्रतिवेदन . ५१२३
३२८५ हैदराबाद अलीपट्टम राजपथ . . . ५१२३
३२८६ हैदराबाद-मसलीपट्टम सड़क पर पुल . . ५१२४
३२८७ भाखड़ा बांध . . . ५१२४
३२८८ भाखड़ा बांध . . . ५१२४
३२८९ राज्यों को कृषि विकास के लिये ऋण . . . ५१२४–२५
३२९० हावड़ा डिवीजन में कमर्शियल क्लर्कों की तरक्की . ५१२५
३२९१ रेलवे में कमर्शियल क्लर्कों की तरक्की . . . ५१२५
३२९२ उर्वरक संभरण के लिये व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई . ५१२६
३२९३ चम्बल परियोजना में मस्टर रोल का गायब हो जाना . ५१२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५१२६—२९

श्री हेम बरुआ ने पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही ज़िले से आने वाले व्यक्तियों पर, जोकि १४ जून को भारत आ रहे थे, पाकिस्तानी सशस्त्र सेना द्वारा गोली चलाये जाने, जिस के परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कुछ को चोटें आईं, के बारे में ध्यान दिलाया ।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—क्रमश:	
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती मेनन) ने इस बारे मे एक वक्तव्य दिया ।	
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
स्थायी सिन्ध नदी आयोग की ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	५१२९—३०
खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० क० पाटिल) ने केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के बारे में ८ मई, १९६२ को दिये गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य दिया ।	
विधेयक पारित	५१३०—५८
वित्त (संख्या २) विधेयक १९६२ पर खण्डवार चर्चा समाप्त हुई । विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९-६० . . .	५१५८—६९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) आय-व्ययक, १९५९-६० की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
सोमवार, जून १८, १९६२ / २८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९५९-६० की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९५९-६० की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा उन पर मतदान । राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा तथा पारित किया जाना और रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव ।	

GIPND—LSIII—1245(Ai)LSD—24-11-62—150.